"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 102] रायपुर, बुधवार, दिनांक 31 मार्च 2010—चैत्र 10, शक 1932

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21/13/2009/13/2 .— विद्युत अधिनियम, 2003 (केन्द्रीय अधिनियम क्र. 36, सन् 2003) की धारा 131 सहपठित धारा 133 की उपधारा (1) एवं (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के परामर्श से, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की संपत्तियों, उपक्रमों, हितों, अधिकारों, बाध्यताओं, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों को उसकी उत्तरवर्ती कंपनियों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित को अंतरित करने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अन्तरण योजना नियम, 2008 जारी किये थे. राज्य सरकार एतद्द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-1/8/2008/13/1 दिनांक 19 दिसंबर, 2008 की अधिसूचित योजना को अधिक्रमित करते हुए पुनरीक्षित योजना जारी करती है.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2010

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ :-**

(एक) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2010 कहलाएगी.

(दो) इस योजना का विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा.

(तीन) यह 1 जनवरी, 2009 से प्रभावशील मानी जाएगी.

उपर्युक्त के होते हुए भी, इस अधिसूचना के माध्यम से अधिक्रमित योजना में समाविष्ट प्रावधानों के अनुसरण में की गई कोई कार्यवाही अथवा निर्णय वैध होगा तथा संबंधित पक्षों पर बंधनकारी रहेगा.

2. **आस्तियों तथा दायित्वों हेतु योजना का लागू होना :** यह योजना राज्य के भीतर तथा बाहर स्थित मण्डल की आस्तियों, संपत्तियों, हितों, उपक्रमों, अधिकारों तथा दायित्वों, कार्यवाहियों और कर्मियों पर लागू होंगी.

3. **परिभाषायें :** इस योजना में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों :

(क) "लेखाकंन प्रक्रिया" से अभिप्रेत है, होल्डिंग कंपनी द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान इस योजना के नियम 12 के अनुसरण में स्थापित की जाने वाली व्यवस्था,

(ख) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का सं. 36),

(ग) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है, दिनांक 1 जनवरी 2009 जैसा कि इस योजना के अधीन समस्त उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिये, अधिनियम एवं इस योजना के अनुसार संबद्ध अंतरितीयों को मण्डल के कृत्यों, संपत्तियों, हितों, उपक्रमों, अधिकारों तथा दायित्वों, कार्यवाहियों या कार्मिकों के अंतरण को प्रभावी बनाने के लिए है,

(घ) **"मंडल"** से अभिप्रेत है, विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 54) की धारा 5(i) के अधीन गठित छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल जो कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 172(क) के अनुसार राज्य पारेषण युटिलिटी एवं अनुज्ञप्तिधारी के रूप में भी कार्यरत हैं;

(ड.) **"नगद प्रवाह प्रबंधन"** से अभिप्रेत है, होल्डिंग कंपनी द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान इस योजना के नियम 12 के अनुसरण में स्थापित की जाने वाली व्यवस्था,

(च) **"कंपनी"** से अभिप्रेत है, ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का सं.1) के अधीन विकसित तथा पंजीकृत हों और जिसमें केन्द्रीय, राज्य या प्रान्तीय अधिनियम के अधीन कोई निगमित निकाय सम्मिलित हैं,

(छ) **"वितरण कंपनी" अथवा "सी.एस.पी.डी.सी.एल"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन विद्युत के वितरण और आपूर्ति के मुख्य उद्देश्य के साथ निगमित की गयी एक कंपनी,

(ज) **"वर्तमान कर्मचारी"** से अभिप्रेत होगा, ऐसे सभी कार्मिक जिन्होनें मंडल में अपनी सेवाएं 1 जनवरी 2004 से पूर्व प्रारंभ की हैं,

(झ) **"वर्तमान पेंशन भोगी"** से अभिप्रेत है, ऐसे सभी व्यक्ति जो कि मंडल से नियत तिथि को पेंशन पाने हेतु पात्रता रखते हैं, और इसमें वर्तमान पेंशन भोगियों के परिवार के सदस्य भी सम्मिलित होंगे,

(ञ) **"उत्पादन कंपनी" अथवा "सी.एस.पी.जी.सी.एल"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन वर्तमान विद्युत उत्पादन संयंत्रो के प्रचालन और संधारण के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य में नवीन ऊर्जा संयंत्रो के प्रतिष्ठापन के मुख्य उद्‌देश्य के साथ निगमित की गयी एक कंपनी,

(ट) **"परिवेदना समिति"** से अभिप्रेत है, ऐसी समिति जो इस योजना के नियम 8ख.(ख) में वर्णित है,

(ठ) **"होल्डिंग कंपनी" अथवा "सी.एस.पी.एच.सी.एल."** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित, कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी, पारेषण कंपनी और व्यापार कंपनियों के बीच उपक्रमों के क्रियाकलापों के समन्वयन के मुख्य उद्‌देश्य के साथ उपर्युक्त उल्लिखित उत्तरवर्ती कंपनियों के सुचारू संचालन के लिए और उपर्युक्त सभी उत्तरवर्ती कंपनियों हेतु निवेश कंपनी के रूप में कार्य करने के लिए निगमित की जाने वाली एक कंपनी,

(ड) **"दायित्वों"** से अभिप्रेत है, सभी दायित्वों, ऋणों, कर्तव्यों, बाध्यताओं तथा अन्य व्ययों जिसमें वैधानिक दायित्वों तथा सभी प्रकार की शासकीय वसूली, चाहे वे किसी भी प्रकृति की हों और समाश्रित दायित्वों जो इस योजना के अधीन अंतरित उपक्रमों के संबध में नियत तिथि से पूर्व के संव्यवहारों के संबंध में उद्‌भूत हो सकेगा, सम्मिलित है,

(ढ) **"नवीन भर्तियां"** से अभिप्रेत है, ऐसे सभी कार्मिक जिनमें प्रशिक्षु भी सम्मिलित हैं और जिन्होनें मण्डल/किसी उत्तरवर्ती कंपनी में अपनी सेवाएं 1 जनवरी 2004 से या के पश्चात् प्रारंभ की है,

(ण) **"कार्मिक"** से अभिप्रेत है, मंडल के कामगार, कर्मचारीगण, अधिकारीगण, तथा भर्ती के लिए प्रशिक्षुओं को सम्मिलित करते हुए, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो तथा वे जो मंडल से अन्य संगठन या संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् है, किन्तु इसमें मंडल में अन्य संगठनों या संस्थानों से प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत् कर्मचारी सम्मिलित नहीं होंगे,

(त) **"प्राथमिक सेवाएं"** से अभिप्रेत है, ऐसे कार्यालय जो उत्तरवर्ती कंपनियों के और जैसे हैं जहाँ हैं, के आधार पर संबद्ध उत्तरवर्ती कंपनी को आबंटित ऐसे कार्यालयों में कार्यरत कुल कार्मिक में से किसी एक के संबंध में सेवा उपलब्ध करा रहे हों,

(थ) **"कार्यवाही"** से अभिप्रेत है, वाद, अपीलें, शिकायतें, याचिका, आवेदन सुलह, माध्यस्थम, चाहे वे सिविल या आपराधिक या अन्यथा सहित सभी कार्यवाहियां जो किसी भी प्रकृति की हों,

(द) **"सम्पत्ति"** से अभिप्रेत है, वे सभी आस्तियां जिसमें विद्युत प्रणाली, उत्पादन स्टेशन, पारेषण एवं वितरण प्रणाली, डेम्स, टनल्स, संयंत्र, मशीनरी, भूमि, भवन, कार्यालय, भण्डार, फर्नीचर फिक्सचर्स, वाहन, आवासीय भवन तथा अतिथि गृह तथा उनसे सम्बन्धित सुख सुविधायें और संलग्न प्रतिष्ठान और अन्य चल तथा अचल आस्तियों, हस्तगत नगदी, बैंक में नगदी, निवेश, भौतिक या अभौतिक पुस्तक–ऋण, ठोस तथा अस्पष्ट अस्तियां /लाभ, अनुज्ञप्तियॉ, सहमतियॉ, प्राधिकारियां, पंजियां एकस्व, ट्रेडमार्क तथा सभी प्रकार की शक्तियां, प्रकृति एवं विवरण जैसा भी हो, विशेषाधिकार, विशिष्टाधिकार, भोगाधिकार, सुविधाओं, लाभों व अनुमोदनों, संविदाओं, विलेखों, योजनाओं, बॉडों, अनुबंधों एवं अन्य दस्तावेज तथा अन्य किसी भी स्वरूप तथा कहीं पर भी स्थित अधिकार (हित) सम्मिलित है,

(ध) **"एस.एल.डी.सी"** से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (1) के अधीन स्थापित केंद्र, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर,

(न) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है, इस योजना से संलग्न अनुसूचियां,

(प) **"योजना"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल अंतरण योजना नियम, 2010,

(फ) **"सहभागित सेवाएं"** से अभिप्रेत है, वे कार्यालय जो एक से अधिक उत्तरवर्ती कंपनियों को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सेवा उपलब्ध करा रहे हैं और जिनका इस योजना की अनुसूची (छः) के भाग दो में उल्लेख किया गया है,

(ब) **"राज्य"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य,

(भ) **"राज्य शासन"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार,

(म) **"उत्तरवर्ती कंपनियां"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (जो इसमें इसके पश्चात् "सीएचपीएचसीएल" अथवा "होल्डिंग कम्पनी" के रूप में निर्दिष्ट है), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (जो इसमें इसके पश्चात् "सीएचपीजीसीएल" अथवा जनरेशन कंपनी के रूप में निर्दिष्ट है), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (जो इसमे इसके पश्चात् "सीएचपीडीसीएल" अथवा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के रूप में निर्दिष्ट है), छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रॉसमिशन कंपनी लिमिटेड (जो इसमें इसके पश्चात् "सीएसपीटीसीएल" अथवा ट्रॉसमिशन कंपनी के रूप में निर्दिष्ट है) और छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (जो इसमें इसके पश्चात् "ट्रेडिंग कंपनी" अथवा

"सीएसपीट्रेडको" के रूप में निर्दिष्ट है), यथास्थिति जिसमें अधिनियम के प्रावधानों सहपठित इस योजना के प्रावधानों के नियमों में मण्डल के कार्य एवं उपक्रम निहित है,

(य) **"वृत्तिक अभिलाभ"** से अभिप्रेत है, उपादान (ग्रेच्युटी), पेंशन, महंगाई भत्ते और अन्य प्रयोज्य राहत, चिकित्सा अभिलाभ और अन्य प्रयोज्य अभिलाभ जिसमें नियम (प्रेक्टिस) जो कि मण्डल में प्रचलित था को समाविष्ट करते हुये उपर्युक्त अभिलाभों के समुचित पुनरीक्षण किये जाने हेतु अधिकार भी सम्मिलित है ।

(र) **"ट्रेडिंग कंपनी"** अथवा **"सी.एस.पी.ट्रेडको"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित बिजली का व्यापार करने के मुख्य उद्देश्य के साथ कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन निगमित की गयी एक कंपनी,

(ल) **"व्यापार प्रतिनिधि"** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त ट्रेडिंग कंपनी को आई.पी.पी./सी.पी.पी. से उर्जा क्रय किये जाने और ऐसी संविदाकृत उर्जा को छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विक्रय करने हेतु प्राधिकृत किया गया हो,

(व) **"अंतरिती"** से अभिप्रेत है, पारेषण कंपनी या उत्पादन कंपनी या वितरण कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी या होल्डिंग कंपनी यथास्थिति मंडल के कृत्य और उपक्रम, अधिनियम के उपबंधो के साथ पठित इस योजना के नियमों में निहित है,

(श) **"संक्रमण अवधि"** से अभिप्रेत है, 1 जनवरी 2009 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2010 तक की अवधि अथवा कोई अन्य तिथि जैसा कि राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए,

(ष) **"पारेषण कंपनी"** अथवा **"सी.एस.पी.टी.सी.एल."** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत पारेषण के उपक्रम के मुख्य उद्देश्य से तथा राज्य पारेषण उपस्कर के रूप में कार्य करने तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार एस.एल.डी.सी. कार्यो के निर्वहन हेतु निगमित की गयी एक कंपनी,

(स) **"उपक्रम"** से अभिप्रेत है, मंडल के कृत्य तथा संपत्तियों, हित, अधिकार तथा दायित्वों के संवर्ग या संवर्गों उसी सीमा में तथा रीति में विर्निदिष्ट होगा जैसा कि उपक्रम में अंशतः हो एवं अन्य ऐसी संपत्तियां, हित, अधिकारों, तथा दायित्वों, कार्मिकों तथा कार्यवाहियॉ जैसा कि योजना में विनिर्दिष्ट उनके कार्यो से सुसंगत हो।

4. इस योजना में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्ति, किन्तु विशेष रूप से इस योजना में परिभाषित नही है, उनका वही अर्थ होगा जैसा कि अधिनियम में उसके लिये समनुदेशित है ।

5. **मंडल के उपक्रमों का वर्गीकरण :**

(क) मंडल के उपक्रमों को निम्नलिखित अनुसूची में वर्गीकृत किया गया है:—

(i) उत्पादन उपकम जैसा कि अनुसूची—एक में वर्णित है,

(ii) पारेषण उपकम (स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी तथा एस.एल.डी.सी के कार्यो के साथ) जैसा कि अनुसूची—दो में वर्णित है,

(iii) वितरण उपकम जैसा कि अंनुसूची—तीन में वर्णित है,

(iv) ट्रेडिंग उपकम जैसा कि अनुसूची—चार में वर्णित है,

(v) होल्डिंग उपकम जैसा कि अनुसूची—पॉच में वर्णित है,

(ख) यदि उपनियम 5(क) के अधीन उपक्रमित आस्तियॉ मण्डल द्वारा ली गयी किसी वित्तीय सहायता या बाध्यता के लिए तीसरे पक्षकार के पक्ष में किसी प्रतिभूति दस्तावेजों या प्रबंधो के अध्यधीन है तथा उसके संबंध में दायित्व, विभिन्न उंपकमों में वर्गीकृत है, राज्य शासन इस प्रयोजन के लिये जारी किये गए आदेश द्वारा, ऐसी संपत्तियों, आस्तियों तथा अधिकारों द्वारा प्रतिभूत दायित्व के प्रभाजन के लिए उपबंध कर सकेगा और ऐसे प्रभाजन पर, प्रतिभूति केवल ऐसे प्रभाजित दायित्वों की सीमा तक लागू होगी।

6. **राज्य को संपत्तियों का अंतरण :-** (क) अधिनियम की धारा 131 (1) के अनुसरण में, नियत तिथि, 1जनवरी 2009 से अनुसूची-एक से पॉच में यथा विनिर्दिष्ट मण्डल की संपत्तियों, तथा समस्त हितों, अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यवाहियॉ इस योजना के अधीन आगामी चरण के अन्तरणों के प्रयोजनों के लिये इसके अधीन विनिर्दिष्ट सीमा को छोड़कर, राज्य शासन को अंतरित तथा निहित हो जायेंगी।

(ख) उपनियम 6 (क) में कोई बात, कार्मिकों के संबंध में अधिकार, उत्तरदायित्व, दायित्व तथा बाध्यताओं तथा कार्मिक से संबंधित विषयों जिसमें विधिक तौर पर देय जैसे वेतन, मजदूरी, उपादान, पेंशन, भविष्य निधि, क्षतिपूर्ति सेवान्त तथा सेवानिवृत्ति लाभ सम्मिलित है, को लागू होगी तथा ऐसे सभी विषय इस योजना के नियम 8 के अधीन उपबंधित किये गये रीति में हल किये जायेंगे।

(ग) राज्य शासन एतद् द्वारा चाहे प्रत्यक्ष अथवा होल्डिंग कंपनी के माध्यम से अथवा वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न आई.पी.पी. और सी.पी.पी. से राज्य में नियत तिथि पर और उसके उपरांत संविदाकृत उर्जा का स्वामित्व धारण करता है, ऐसे अनुबंध छत्तीसगढ़ राज्य शासन में निहित होंगे।

(घ) संक्रमण अवधि के लिए, ऐसे अतिशेष (सरप्लस) राजस्व जो ऊपर यथा विनिर्दिष्ट उर्जा के विक्रय से, राज्य शासन की ओर से होल्डिंग कंपनी द्वारा क्रय की हुई उर्जा की लागत और अन्य किन्हीं ऐसी उर्जा के क्रय के संबंध में किये गये अनुषांगिक व्ययों का भुगतान करने और ट्रेडिंग कंपनी द्वारा विक्रय प्रतिनिधि के रूप में दी गई सेवाओं के कमीशन (यदि कोई हो) को रखने के उपरांत, राज्य शासन द्वारा होल्डिंग कंपनी में निवेश किया जायेगा, जो बदले में अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में बतौर अंश, राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार निवेश किया जायेगा।

(ड.) संक्रमण अवधि की पश्चातवर्ती अवधि के लिए, राज्य शासन द्वारा अपने व्यापार प्रतिनिधि के माध्यम से ऊर्जा के विक्रय से प्राप्त अतिशेष (सरप्लस) राजस्व का साठ प्रतिशत (60%) खरीदी गई उर्जा की लागत तथा उर्जा के क्रय के संबंध में हुए अन्य अनुषांगिक व्ययों का भुगतान करने और व्यापार प्रतिनिधि के रूप में दी गई सेवाओं के लिए ट्रेडिंग कंपनी का कमीशन (यदि कोई हो) को रखने के पश्चात् होल्डिंग कंपनी को राज्य सरकार द्वारा बतौर अंशदान (इक्विटी कॉन्ट्रीब्युशन) भुगतान किया जायेगा बदले में होल्डिंग कंपनी द्वारा इस अंश को राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों में निवेश कर दिया जायेगा और शेष राशि वित्त विभाग द्वारा निर्धारित लेखां शीर्ष में प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात् 30 दिवस की समय-सीमा में जमा की जायेगी ।

7. **राज्य द्वारा उपकमों का अंतरण :-** (क) अनुसूची-एक में वर्णित अनुसार निर्मित उपक्रम उत्पादन उपक्रम का भाग है, अधिनियम एवं इस योजना में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन नियत तिथि से उत्पादन कंपनी को अंतरित एवं निहित किये जायेंगे।

(ख) अनुसूची–दो में वर्णित अनुसार स्टेट ट्रांसमिशन यूटीलिटी (एस टी यू) के कार्यों के साथ निर्मित उपक्रम, पारेषण उपक्रम का भाग है अधिनियम एवं इस योजना में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन नियत तिथि से पारेषण कंपनी को अंतरित एवं निहित किये जायेंगे।

(ग) अनुसूची–तीन में वर्णित अनुसार निर्मित उपक्रम वितरण उपक्रम का भाग है अधिनियम एवं योजना में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन नियत तिथि से वितरण कंपनी को अंतरित एवं निहित किये जायेंगे।

(घ) अनुसूची–चार में वर्णित अनुसार निर्मित उपक्रम ट्रेडिंग कंपनी उपक्रम का भाग है, अधिनियम एवं योजना में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन नियत तिथि से ट्रेडिंग कंपनी को अंतरित एवं निहित किये जायेंगे।

(ड.) अनुसूची–पॉच में वर्णित अनुसार निर्मित उपक्रम होल्डिंग कंपनी उपक्रम का भाग है, अधिनियम एवं योजना में विनिर्दिष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन नियत तिथि से होल्डिंग कंपनी को अंतरित एवं निहित किये जायेंगे।

(च) इस योजना के उपनियम 7(क), 7(ख), 7(ग), 7(घ), 7(ड.) के नियमों में तथा अन्यथा उपबंधित को छोड़कर उपक्रमों को ऐसे अंतरित तथा निहित किये जाने पर, संबंधित अंतरिती सभी कृत्यों, संबिदाओं, अधिकारों, विलेखों, योजनाओं, बाण्डों, अनुबंधों तथा अन्य अधिकार पत्र, जिस भी प्रकृति के हों, अपने–अपने अंतरित उपक्रम के संबंध में उत्तरदायी होंगे जिसमें मण्डल पक्षकार हो, नियत तिथि से अस्तित्व में रखने या प्रभावी बनाये रखने के लिये उसी रीति में जैसा कि मण्डल नियत तिथि के ठीक पूर्व दायी था एवं उसी तरह अपने–अपने अंतरिती के विरूद्ध या पक्ष में लागू तथा प्रभावी होंगे और प्रभावकारी रूप से लागू हो सकेगा मानो कि अंतरिती मंडल के बजाय उसका पक्षकार हो ।

(छ) इस योजना में यथा विनिर्दिष्ट अंतरिती को आस्तियों एवं दायित्वों के अंतरण एवं निहित होने के प्रतिफलस्वरूप राज्य शासन तथा/या किसी कंपनी को शेयर तथा/या अधिकार पत्र जारी किया जायेगा जैसा कि राज्य शासन द्वारा विनिश्चित किया जाये।

(ज) इन योजना के नियमों में नियत तारीख से उपक्रमों का अंतरितीयों को अंतरण एवं निहित किया जाना, इस बात के होते हुए भी, तुरंत प्रभावशील होगा कि ऐसे उपक्रम का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है और बाद की तारीख में निर्धारित किया जायेगा।

(झ) अंतरितीयों को अंतरित की जाने वाली आस्तियों का मूल्य, निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक आधारों पर निर्धारित किया गया उचित मूल्य होगा :

(एक) राजस्व अर्जन क्षमता, या

(दो) अवक्षयित प्रतिस्थापन मूल्य, या

(तीन) पुस्तकीय मूल्य (बुक वेल्यू)

(ञ) अंतरितीयों की प्रारंभिक बैलेंस शीट को राज्य सरकार द्वारा इन योजना के नियम 11 में यथाउल्लिखित नियत तिथि से अनंतिम (प्रोवीजनल) अड़तालिस माह की अवधि के दौरान किसी भी समय अंतिम रूप दिया जा सकेगा तथा अधिसूचित किया जा सकेगा।

8. कार्मिकों का स्थानांतरण

(क) कार्मियों का अंतरण अधिनियम की धारा 133 तथा धारा 134 में अंतर्विष्ट निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन किया जायेगा।

(ख) इस योजना के अंतर्गत :

i. नियत तिथि को मण्डल के कार्मियों को उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी, पारेषण कंपनी होल्डिंग कंपनी तथा ट्रेडिंग कंपनी की सेवा में यथास्थिति जैसे हैं जहॉ हैं के आधार पर सौंपे जायेंगे, अर्थात राज्य शासन के आगामी आदेश तक जहां नियत तिथि पर वे कार्यरत हो, उसी स्थान में सेवा में बने रहेंगे।

ii. पूर्ववर्ती सीएसईबी की प्राथमिक सेवाओं के संबंधित संवर्ग (कैडरों) में स्वीकृत अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर (समतुल्य संवर्ग के पदों को सम्मिलित करते हुए) के उन पदों के लिए जिन्हें केवल पदोन्नतियों के प्रयोजन हेतु सामान्य संवर्गो के रूप में चिन्हित किया गया है, को एतद्द्वारा उत्तरवर्ती कम्पनियों को आबंटित किया जायेगा तथापि वे नियत तिथी से आगामी अड़तालिस माह तक के लिये मात्र पदोन्नतियों के प्रयोजन हेतु संयुक्त (कॉमन) कैडर में बने रहेंगे जो होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रशासित होंगे । तथापि, दैनंदिनी सेवा–विषयों जिनमें स्थानान्तरण, पदांकण (पदस्थापना) आदि सम्मिलित हैं, ये कार्मिक ऐसे उत्तरवर्ती कम्पनियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सौंपे जायेंगे।

iii. राज्य शासन एतद्द्वारा पूर्ववर्ती मंडल की प्राथमिक सेवाओं को अनुसूची–छः के भाग–एक में वर्णित अनुसार उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी को आबंटित करेगी ।

(ग) नियत तिथि से पूर्व की सभी कार्यवाहियॉ, जिनमें कर्मियों के विरूद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही, जो कदाचरण, भुलचूक अथवा नियत तिथि से पूर्व किये गये कार्य और लोप से संबंधित हो, समाप्त नहीं होगे और संबद्ध अंतरिती द्वारा जारी रखे जाऐंगे।

(घ) अंतरिती को अंतरित किये गये कार्मिक, ऋण, अग्रिम तथा अन्य देय राशियों के प्रतिसंदाय के संबंध में या अन्यथा, मंडल में उनके द्वारा किये गये उपक्रमित बाध्यताओं का पालन करने जो नियत तिथि को लंबित बने रहे, मंडल की व्यवस्था में अंतर्विष्ट अनुसार उन्हीं निबंधनों तथा शर्तो पर, संबंधित अंतरिती के साथ अनुबंध में प्रवेश किया गया समझा जाएगा ।

(ड.) राज्य शासन या केंद्र शासन या किसी अन्य संस्थान से मंडल में नियत तिथि तक प्रतिनियुक्ति पर आये कार्मिकों के लिए इस योजना में अंतर्विष्ट कोई बात लागू नहीं होगी, किन्तु ऐसे कार्मिक संबंधित अंतरिती को जिन्हें इनकी सेवाएँ सौंपी गई हैं, राज्य शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी आदेशों के अनुसार, जैसे हैं जहॉ हैं के आधार पर या अन्यथा प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे ।

8क. सहभागित सेवाओं के लिए कार्मिकों का स्थानांतरण

(क) इस योजना के अंतर्गत :

(i) राज्य शासन एतद्द्वारा प्रावधान करती है कि होल्डिंग कंपनी, आबंटित पदों के विरूद्ध सहभागी सेवाओं के कार्मिकों को उत्तरवर्ती कंपनियों में अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों के परामर्श से सौंपेगी। सहभागी सेवाओं का चिन्हांकन अनुसूची–छः के भाग–दो में किया गया है।

(ii) पूर्ववर्ती सीएसईबी की सहभागी सेवाओं के संबंधित संवर्ग (कैडरों) में स्वीकृत अनुभाग अधिकारी और उससे ऊपर (समतुल्य संवर्ग के पदों को सम्मिलित करते हुए) के उन पदों के लिए जिन्हें केवल पदोन्नतियों के प्रयोजन हेतु सामान्य संवर्गो के रूप में चिन्हित किया गया है, को एतद्द्वारा उत्तरवर्ती कम्पनियों को आबंटित किया जाएगा जैसा कि अनुसूची–छ: के भाग–तीन में उपबंधित हैं, तथापि वे नियत तिथी से आगामी अड़तालिस माह के लिये मात्र पदोन्नतियों के प्रयोजन से संयुक्त (कॉमन) कैडर बने रहेंगे जो होल्डिंग कंपनी द्वारा प्रशासित होंगे । तथापि, दैनंदिनी सेवा–विषयों जिनमें स्थानान्तरण, पदांकण (पदस्थापना) आदि सम्मिलित हैं, ये कार्मिक ऐसे उत्तरवर्ती कम्पनियों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सौंपे जायेंगे।

(ख) उपर्युक्त उपनियम 8 (ख) एवं 8क.(क) के अधीन उत्तरवर्ती कंपनियों को सौंपा जाना तब तक जारी रहेगा जब तक कि विशिष्ट उत्तरवर्ती कंपनी की सेवाओं में, इस अधिनियम और इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कार्मिकों का संविलियन नहीं हो जाता है।

8ख. अंतरिती कंपनी में कार्मिकों का संविलियन :

(क) राज्य शासन द्वारा उत्तरवर्ती कंपनियों के परामर्श से, कार्मिकों की उपयुक्तता, योग्यता और अनुभव, रिक्त पदों की संख्या, प्रकृति तथा अन्य सुसंगत कारकों तथा जारी समुचित आदेशों के आधार पर जैसा भी उचित समझा जाये, के बारे में नियम 11 में वर्णित अनुसार नियत तिथि से अड़तालिस माह के भीतर ऐसी स्थायी संविलियन के लिये कार्मिकों के अंतरण का अंतिमीकरण और अंतरिती में स्थायी संविलियन किया जायेगा ।

(ख) राज्य शासन द्वारा उल्लिखित उपनियम 8 ख(क) के प्रयोजन के लिये एतद्द्वारा एक परिवेदना समिति का गठन करेगा जो उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्मिकों के स्थानांतरण और संविलियन के संबंध में उसी रीति में, अभ्यावेदन प्राप्त करेगी और अनुशंसा प्रस्तुत करेगी जो कि अनुसूची–सात में वर्णित है और उनके कार्यों और दायित्वों को भी विहित करेगी।

(ग) राज्य शासन उत्तरवर्ती कंपनियों में कार्मिकों के स्थानांतरण के संबंध में परिवेदना समिति की अनुशंसा पर विचार करने के उपरांत, स्थानांतरण और स्थायी संविलियन को अंतिम रूप देगा।

(घ) उपनियम 8ख(ग) के नियमों में अंतिम रूप देने पर राज्य शासन अथवा मंडल अथवा अंतरिती अथवा कार्मिक सहित अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जाने वाली विलेख अथवा कोई बात बिना किसी अग्रेतर कार्य के, इस प्रयोजन हेतु जारी किये गये आदेशों के अनुसरण में पद, वेतनमान अथवा वरिष्ठता संबंधित अंतरिती की सेवा का भाग बन जायेगा।

(ड.) अधिनियम और इस योजना के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, अंतरिती, इस योजना के अधीन अंतरिती को अंतरित कर्मियों की सेवा शर्तों में संशोधन करने या प्रशासित करने वाली नया विनियम निर्मितकरने के लिये सशक्त होगा, तथापि उनकी श्रेणी, वेतनमान, वेतन, भत्ते, तथा अन्य आर्थिक अभिलाभ जिसमें पेंशन सेवांत प्रसुविधाएं (अंतिम अभिलाभ) आदि सम्मिलित हैं, नियत तिथि के पश्चात् किसी भी परिस्थिति में उक्त अंतरण के ठीक पूर्व उनके लिये लागू सेवा शर्तों से कम स्तर की नहीं होगी।

(च) भविष्य निधि, उपादान निधि, पेंशन तथा कोई अन्य अधिवर्षिता निधि या कर्मियों के लाभ के लिये बनायी गयी तथा विद्यमान किसी अन्य विशेष निधि सहित, सभी कानूनी तथा अन्य स्कीमों तथा नियोजन से संबंधित मामलों के संबंध में, मण्डल हेतु समस्त प्रयोजनों के लिए तथा किसी भी संबंध में मण्डल के समस्त अधिकार, शक्तियॉ तथा बाध्यताएं संबद्ध अंतिरिती को प्रतिस्थापित होंगी तथा ऐसे समस्त विषय उनको लागू होगी जो संबंधित अंतरिती हों, इस योजना के लागू होने के प्रयोजन के लिये कार्मियों की सेवा को निरंतर बनाये रखते हुये संव्यवहार किया जाएगा ।

8ग. भविष्य निधि के लिए व्यवस्था :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सी एस ई बी) भविष्य निधि न्यास के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाएं इस योजना की अधिसूचना के अनुसरण में तब तक जारी रहेंगी जिस समय तक उत्तरवर्ती कंपनियां अपने स्वयं के न्यास कोष गठित नहीं कर लेतीं। उस समय तक ये होल्डिंग कंपनी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन रहेंगें और होल्डिंग कंपनी इस संबंध में आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेगी ।

8घ. वर्तमान पेंशन भोगियों के लिए व्यवस्था :

(क) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल (सी एस ई बी) उपादान एवं पेंशन कोष न्यास के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाएं इस योजना की अधिसूचना के अनुसरण में तब तक जारी रहेंगी जिस समय तक उत्तरवर्ती कंपनियां अपने स्वयं के न्यास कोष गठित नहीं कर लेतीं। होल्डिंग कंपनी, संक्रमण अवधि के दौरान और उसके उपरांत, नियत तिथि को मण्डल के विद्यमान पेंशन धारियों और नवीन भर्तियों (केवल उपादान के उद्देश्य से) हेतु पेंशन और सेवांत अभिलाभों के निधि और भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाएं स्थापित करेगी तथा ऐसे भुगतान यथास्थिति, उत्पादन कंपनी, वितरण कंपनी अथवा पारेषण कंपनी अथवा होल्डिंग कंपनी अथवा ट्रेडिंग कंपनी, जैसा कि प्रकरण हो, द्वारा किये जायेंगे ।

(ख) उपर्युक्त उपनियम 8ग(क) तथा 8घ(क) के प्रावधान, नियत तिथि को मंडल के विद्यमान कार्मिकों एवं विद्यमान पेंशनरों (उपादान के प्रयोजन से नवीन भर्तियों को छोड़कर) पर लागू होंगे। अंतरिती द्वारा नियत दिनांक के बाद भर्ती किये गये या नियुक्त किये गये सभी कार्मिक भविष्य निधि की ऐसी समुचित योजना के द्वारा प्रशासित होंगे जिसे संबंधित अंतरिती इस प्रयोजन हेतु स्थापित कर सकेगी ।

9. **तीसरे पक्षकारों के अधिकारों एवं बाध्यताओं पर प्रतिबंध** : अधिनियम तथा इस योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रभावित हो रहे अन्तरण पर, सभी व्यक्तियों (इसमें निगमित निकाय, वित्तीय संस्थान, देनदार आदि सम्मिलित होंगे) के अधिकार तथा बाध्यतायें, जिसको वे अंतरित किये गये हैं, उस अंतरिती के लिए प्रतिबंधित हो जायेंगे तथा किसी विलेख, दस्तावेजों, लिखतों, करारनामों या व्यवस्थाएं जो ऐसे व्यक्ति ने मण्डल के साथ की हैं, में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुये भी, वह राज्य सरकार, मण्डल या किसी अन्य अंतरिती के विरूद्ध किसी अधिकार या हित का दावा नहीं करेगा।

10. लम्बित दावे, कार्यवाहियॉं, इत्यादिः (क) नियत तिथि को मण्डल द्वारा अथवा उनके विरूद्ध लंबित किसी भी प्रकार की कार्यवाहियॉं, इस योजना के अधीन किसी अन्तरण के कारण दुष्प्रेषित या बन्द या अन्यथा किसी भी रूप में प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी तथा इस योजना या उसके अधीन जारी आदेशों के अनुसार, कार्यवाहियॉं जिसको यथावत सौंपे गये हैं, अंतरिती द्वारा अथवा उनके विरूद्ध जारी, अभियोजित या लागू की जा सकेगी ।

(ख) यदि इस योजना में विनिर्दिष्ट अंतरण नहीं किया गया तो ऐसी कार्यवाहियॉं उसी रीति में तथा उसी सीमा तक जारी रहेंगी जिस तक मण्डल द्वारा या उनके विरूद्ध जारी, अभियोजित या लागू रहती या रह सकती।

11. संप्रत्ति, अधिकार, दायित्वों और कार्यवाहियों का वर्गीकरण और अंतरण, प्रथम दृष्टयां प्रावधानिक होगा :

(क) इस योजना के अधीन, कार्मिकों सहित उपक्रमों का वर्गीकरण और अन्तरण जब तक राज्य सरकार द्वारा जारी किसी अन्य आदेश में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों प्रावधानिक होगा एवं नियत तिथि अथवा ऐसी अन्य तिथि जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जाये, से अड़तालिस माह की समाप्ति पर अंतिम किया जायेगा ।

11क. योजना का अंतिमीकरण

क) नियत तिथि से अड़तालिस माह की अवधि के दौरान किसी भी समय अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिनांक से राज्य शासन अपने अधिसूचित की जाने वाली आदेश द्वारा अंतरण को संशोधित, परिवर्तित, उपांतरित, जोड़ना, परिवर्धित, विलोपित, या अन्यथा कर सकेगी, अंतरण में शामिल किया गया मद एवं ऐसी संपत्तियों, अधिकारों, हितों, दायित्वों, कार्मिकों एवं अंतरिती के किसी उपक्रम के निर्मित भाग की कार्यवाहियों को किसी अन्य अंतरिती या मंडल या राज्य शासन को ऐसी रीति में एवं ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जैसा कि राज्य शासन उचित समझे, अंतरित कर सकती है।

ख) नियत तिथि से अड़तालिस माह की अवधि की समाप्ति पर अथवा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य दिनांक से एवं राज्य शासन द्वारा दिये गये किसी निर्देश के अध्यधीन रहते हुए इस योजना के अनुसार बनाये गये उपक्रमों, संपत्तियों, हितों, अधिकारों, दायित्वों, कार्मिकों और कार्यवाहियों, का अंतरण अंतिम होगा।

12. नगदी प्रवाह व्यवस्था और लेखांकन पद्धतियां : (क) राज्य शासन एतद्द्वारा अधिसूचित करता है कि होल्डिंग कंपनी–उत्तरवर्ती कंपनियों हेतु नगद प्रवाह के प्रबंधन के लिये आवश्यक व्यवस्था स्थापित करेगी तथा उत्तरवर्ती कंपनियों के बीच नगद से संबंधित संव्यवहारों, सौदों, नगद अंतःप्रवाह, नगद बाह्यप्रवाह और संक्रमण अवधि के दौरान उसके लेखांकन की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करेगा । इसके अतिरिक्त होल्डिंग कंपनी, उत्तरवर्ती कंपनियों द्वारा संक्रमण अवधि के दौरान अपने दैनंदिनी लेखांकन संव्यवहारों और लेखापुस्तकों के संधारण के लिए लागू विधिक प्रावधानों के अनुसार अपनायी जाने वाली आवश्यक लेखापद्धतियों को स्थापित करने हेतु भी उत्तरदायी होगी।

(ख) संक्रमण अवधि के पश्चात् प्रत्येक उत्तरवर्ती कंपनी समस्त वित्तीय मामलों के संबंध में स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी और विहित लेखा पद्धतियों के अनुरूप आवश्यक लेखांकन अभिलेख संधारित करेगी।

13. **विधि के प्रवर्तन द्वारा अंतरण** :— इस योजना की निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुये, इस योजना के प्रकाशन एवं इस योजना के संबंध में आदेश जारी करते हुये, राज्य शासन के कार्यवाही के अनुसरण में, एवं राज्य शासन, मंडल, अंतरिती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले विलेख, या अन्य बात, बिना किसी अग्रेतर कार्य के इस योजना के अधीन, अंतरण क्रियाशील एवं प्रभावशील हो जायेगा ।

14. **राज्य सरकार के निर्णय अंतिम होंगे** : (क) इस योजना के अधीन अन्तरण के संबंध में, यदि कोई संन्देह, विवाद, मतभेद या वाद उत्पन्न होता है तो अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुये राज्य शासन का निर्णय उस पर अंतिम होगा तथा सभी पक्षकारों पर बाध्य होगा।

(ख) राज्य शासन द्वारा राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस योजना में संशोधन कर सकेगा एवं ऐसे उपबंध बना सकेगा, जो अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, और जो इस योजना के अधीन अन्तरण को क्रियान्वित करने में आई कठिनाईयों को दूर करने हेतु आवश्यक हो ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

अनुसूची – एक
उत्पादन उपक्रम
भाग एक

आस्तियां एवं दायित्व

उत्पादन उपकम में मण्डल की विद्युत उत्पादन से संबंधित सभी आस्तियॉ, दायित्व और कार्यवाहियॉ जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परन्तु उन तक सीमित नहीं हैं, समाविष्ट होंगी :

उत्पादन आस्तियां

I. विद्यमान विद्युत स्टेशन :

ताप :

(क) कोरबा (पश्चिम) विद्युत उत्पादन गृह के साथ फेस 1 (2x210) मेगावाट एवं फेस–2 (2x210) मेगावाट उत्पादन इकाई और सभी संबंधित उपकरणो, उपस्करों जैसे जनरेटर्स टरबाईन्स, बायलर्स, कंडेंसर्स, इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर, कन्ट्रोल एवं इन्स्ट्रूमेंटेशन, रेलवे साईडिंग, कोल हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, राखड़ बांध, प्राकृतिक जल आपूर्ति एवं शोधन पद्धति, डी.एम.वाटर प्लांट, सेकेन्डरी फ्यूल आयल भंडारण सुविधाएं और उसकी हैंडलिंग पद्धति, स्विच यार्ड जिनमें स्टेप अप ट्रांसफार्मस, सर्विस ट्रांसफार्मस, ऑक्सलरी यूनिट ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, एच.टी. और एल.टी. स्विचगियर्स, नियंत्रण और सुरक्षा पद्धति, ओवर–हैड केनें, चिमनी, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, उपयोगी, कच्चा माल आदि एवं निर्माणाधीन कार्य शामिल हैं।

(ख) कोरबा (पूर्व) विद्युत उत्पादन गृह के फेस–2 उत्पादन इकाईयों (4x50) मेगावाट और फेस–3 (2x120) मेगावाट क्षमता प्रत्येक उत्पादन इकाईयों और सभी संबंधित उपकरणों, उपस्करों जैसे जनरेटरर्स, टरबाईन, बायलर्स, कंडेंसर और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स, कंट्रोल और इन्स्ट्रूमेंटेशन, रेलवे साईडिंग कोल, हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, राखड़ बांध, प्राकृतिक जल आपूर्ति व शोधन पद्धति, डी. एम. वाटर प्लांट, सेकेन्डरी फ्यूल आयल भंडारण सुविधाएं और उसकी हैंडलिंग पद्धति, स्विच यार्ड सहित स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, सर्विस ट्रांसफार्मस सहित, आक्सलरी यूनिट, ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, एच.टी. और एल.टी. स्विचगियर्स, नियंत्रण और सुरक्षा पद्धति, ओवर हैड केनें, चिमनी, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, उपयोगी कच्चा माल आदि तथा निर्माणाधीन कार्य शामिल हैं।

(ग) (2x250) मे0वा0 कोरबा (पूर्व) विद्युत उत्पादन गृह और सभी संबंधित उपकरणों, उपस्करों जैसे जनरेटरर्स, टरबाईन, बायलर्स, कंडेंसर और इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटर्स, कंट्रोल और इन्स्ट्रूमेंटेशन, रेलवे साईडिंग कोल, हैंडलिंग सिस्टम, ऐश हैंडलिंग सिस्टम, राखड़ बांध, प्राकृतिक जल आपूर्ति व शोधन पद्धति, डी.एम. वाटर प्लांट, सेकेन्डरी फ्यूल आयल भंडारण सुविधाएं और उसकी हैंडलिंग पद्धति, स्विच यार्ड सहित स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स, सर्विस ट्रांसफार्मर्स सहित, आक्सलरी यूनिट, ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, एच.टी. और एल.टी. स्विचगियर्स, नियंत्रण और सुरक्षा पद्धति, ओवर हैड केनें, चिमनी, स्टोर्स, स्पेयर पार्ट्स, उपयोगी कच्चा माल आदि तथा निर्माणाधीन कार्य शामिल हैं।

जल विद्युत केन्द्र :

(क) **हसदेव बॉगो** : इन्टेक स्ट्रक्चर पर पेनस्टाक्स, पेन स्टाक गेट, ड्राफ्ट ट्यूबगेट टेलरेसचैनल, विद्युत गृह तीन इकाईयों सहित, प्रत्येक 40 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली टरबाईनों और समस्त संबंधित सामाग्री सहित, उपकरणों/उपस्करों तथा स्विचयार्ड, स्टेपअप ट्रांसफार्मर्स स्वीचयार्ड सहित, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स सर्किट ब्रेकर्स, नियंत्रण और सुरक्षा पद्धति, ओव्हर.हेड केन, गेन्ट्री केन्स, हाईड्रोलिक हॉइस्ट, विद्युत सामाग्री भंडार, स्पेयर पार्ट्स, उपयोगी कच्चा माल आदि तथा निर्माणाधीन कार्य।

(ख) **रूद्री मिनी/माइको स्टेशन** : इन्टेक स्ट्रक्चर्स पर पेनस्टाक, पेन स्टाक गेट, ड्राफ्ट ट्यूब गेट, टेल रेस चैनल, 0.20 मे0वा0 उत्पादन क्षमता के विद्युत गृह के साथ, जनरेटरों, टरबाईनों और सभी संबंधित सामाग्री और संबंधित उपकरणें एवं स्विचयार्ड सहित स्टेप अप ट्रांसफारमर्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मस, सर्किट ब्रेकर्स, नियंत्रण एवं संरक्षण प्रणाली, उपरी केनों, गैन्ट्री केन, हाइड्रोलिक ह्वॉइस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त पुर्जे, कन्ज्यूमेबल, कच्चा माल इत्यादि एवं निर्माणाधीन कार्य।

(ग) **गंगरेल केन्द्र पन बिजली परियोजना** : इन्टेक स्ट्रक्चर्स पर पेनस्टाक, पेन स्टाक गेट, ड्राफ्ट ट्यूब गेट, टेल रेस चैनल, 4x2.5 मे0वा0 उत्पादन क्षमता के विद्युत गृह के साथ, जनरेटरों, टरबाईनों और सभी संबंधित सामाग्री और संबंधित उपकरणें एवं स्विचयार्ड सहित स्टेप अप ट्रांसफारमर्स, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, सर्किट ब्रेकर्स, नियंत्रण एवं संरक्षण प्रणाली, उपरी केनों, गैन्ट्री केन, हाइड्रोलिक ह्वॉइस्ट, विद्युत गृह भंडार, अतिरिक्त पुर्जे, कन्ज्यूमेबल, कच्चा माल इत्यादि एवं निर्माणाधीन कार्य।

(घ) **कोरबा पश्चिम स्थित 850 किलोवाट क्षमता की छोटीजल विद्युत गृह** : इस विद्युत संयंत्र से संबंधित सभी सहायक निर्माण जिसमें पेनस्टॉक, गेट्स, ड्राफ्ट, ट्यूब गेट, टेलरेस चेनल आदि सम्मिलित है।

(ड.) **सिकासार जल विद्युत परियोजना (2x3.5 मे.वा.)** : इस विद्युत संयंत्र से संबंधित सभी सहायक निर्माण जिसके पेनस्टॉक, गेट्स, ड्राफ्ट, टयूब गेट, टेलरेस चेनल आदि सम्मिलित है।

<u>गैर परम्परागत विद्युत गृह</u>

(क) कर्वधा कोजेन परियोजना (6 मे.वा.)

II. निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाएँ :–

(क) कोरबा (पश्चिम) विद्युत गृह कमांक–3 (1x500 मेगावाट)

(ख) 2x500 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट, मड़वा

(ग) छोटी (मिनी) जल विद्युत परियोजना 850 कि0वा0

(घ) कोल ब्लॉक्स का विकास

III. सामान्य आस्तियां :

निम्नलिखित यदि केवल या मूलतः उत्पादन इकाईयों या परियोजनाओं जैसा कि उपर कंडिका 1 व 2 में उल्लिखित है या इस प्रकार की उत्पादन इकाईयों या परियोजनाओं से संबंधित गतिविधियों के लिए, जो :

(क) विशेष औजार एवं उपकरण, माल, रख–रखाव से संबंधित उपकरण, अर्थ मवर्स, बुलडोजर, कांक्रीट, मिक्सचर, केन ट्रेलर, भारी एवं हल्के वाहन, फर्नीचरों, फिक्सचर्स, ऑफिस उपकरणों, वातानुकूलक

संयंत्रों, रेफ्रिजरेटर्स, कम्प्यूटर्स एवं संकेत प्रणाली, अतिरिक्त पुर्जे, कन्ज्यूमेबल, कच्चा माल, जमीन एवं बांधो, बैराजों, केनाल मार्गों, भवनों, कर्मचारी आवास–गृहों, अतिथि गृहों, संपत्तियों, एवं संरचनाओं को शामिल करते हुए विभिन्न सिविल कार्यों की संरचनाएं तथा उनसे संबंधित भवनों, विद्यालयों, औषधालयों, परीक्षण, प्रयोगशालाओं एवं उपकरणों, प्रेशिक्षण केन्द्रों, कार्यशाला, निर्माणधीन कार्य सुधार हुए भेजे गए स्क्रेप या अप्रचलित मशीनरी एवं उपकरण/उपस्करों।

(ख) समस्त स्वतंत्र एवं पृथक से स्थापित अतिथि गृह जो मण्डल के किसी उपकेन्द्र/प्रतिष्ठान का अंश न हो।

(ग) कार्यालय स्थापना एवं अन्य भवनों एवं भूमियों, जो कि इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं शामिल नहीं हैं एवं जो प्रमुख रूप से नियत तिथि को उत्पादन उपक्रमों की गतिविधियों में प्रवृत्त/उपयोग की जा रही हैं।

IV. विविध :

(क) अनुबंध, करारनामे, हित एवं व्यवस्थाएँ जहॉ तक वे उत्पादन गतिविधयों या उपकमों या उपर कंडिका I से III में उल्लिखित आस्तियों से संबंद्ध हो या जुड़ी हुई हो जिसमें कोल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कंपनी एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ अनुबंध भी सम्मिलित है।

(ख) आकस्मिक दायित्व जहॉ तक वे उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपर वर्णित कंडिका I से III में उल्लिखित आस्तियों से संबंद्ध या मान्य हो।

(ग) कार्यवाही जहॉ तक वे उत्पादन गतिविधियों या उपक्रमों या उपर कंडिका I से III में उल्लिखित आस्तियों से संबंद्ध हो या जुड़ी हुई हो।

(घ) निम्नलिखित कार्यालयों की सामान्य परिसंपत्तियॉ जिन्हें सहभागित सेवाओं के रूप में चिन्हित किया गया है वे उत्पादन उपक्रम की भाग बनेगी :–

अधीक्षण यंत्री कार्यालय, सिविल परियोजनाएं, जगदलपुर

मुख्य अस्पताल, कोरबा (पूर्व)

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल डिस्पेंसरी, मचडोली,

एस.टी.पी.एस अस्पताल, कोरबा (पश्चिम)

मुख्यालय डंगनिया, रायपुर स्थित औषधालय (सहभागी आधार पर)

V. सामान्य :

(क) उत्पादन उपक्रम की आस्तियां उत्पादन कंपनी में निहित होंगी।

(ख) उपर उल्लिखित अंतरण पर विचार करते हुए राज्य शासन उत्पादन कंपनी को निर्देशित कर सकती है कि वह इन्स्ट्रूमेंट जैसे कि इक्विटि, प्रिफरेंस शेयर, डिबंचर या अन्य प्रतिभूति इत्यादि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के पक्ष में या किसी अन्य कंपनी जैसा कि राज्य शासन मण्डल की आस्तियों एवं दायित्वों को उत्पादन कंपनी में अंतरण को ध्यान में रखते हुए निर्देशित करे, जारी करें।

उत्पादन उपक्रम
भाग – दो

उत्पादन कंपनी के कार्य एवं दायित्व

उत्पादन कंपनी के कार्य एवं दायित्व इस कंपनी के द्वारा निर्मित "संस्था के ज्ञापन पत्र" एवं "संस्था की नियमावली" की धाराओं के अंतर्गत मूल रूप से विरचित या समय–समय पर परिवर्तित अनुसार होंगे।

उत्पादन कंपनी के प्रमुख कियाकलाप एवं दायित्व :

(क) विद्युत उत्पादन गृहों से संबंधित अर्जन, स्थापना, निर्माण, अधिग्रहरण, स्थापित करना, बिछाना, संचालन, चलाना, प्रबंध, भाड़े पर लेना लीज, कय, विकय, संधारण, वृद्धि करने, परिवर्तन करने, मरम्मत करना, नवीनीकरण, विद्युत उत्पादन गृहों का कार्य एवं उपयोग, परियोजना संबंधित लाइनें और उससे संबंधित सभी वस्तुओं जो विद्युत के उत्पादन से संबंधित हैं, जिसमें विद्युत गृह, सिविल वर्क, केबल, वायर, लाईनों, संयंत्र मोटरों, मीटरों, उपकरणों, सामग्रियों और निर्माण उत्पादन, उपयोग, भण्डार माप एवं पारेषण लाइन/एक्यूम्यूलेटर, प्लांट, मोटर्स, मीटर्स, उपस्करों, केप्टिव कोयला खानों का विकास, कोयला खनन एवं विद्युत के उत्पादन, निर्माण, उपयोग, परिमापन, संग्रहण तथा विद्युत पारेषण लाइनों से जुड़े कार्य।

(ख) विद्युत का निर्यात, उत्पादन, व्यापार, निर्माण या विद्युत शक्ति के लेनदेन से संबंधित कारोबार को चलाना एवं उत्पादन बितरण या विद्युत के व्यापाररत अन्य कंपनियों एवं संबंधितों के किया–कलापों जिनमें सहायिकी, संबंधित एवं सम्बन्द्ध. शामिल हैं, को विद्युत उत्पादन गृहों, सम्बधित लाइनों एवं निर्माण, उत्पादन, उपयोग, भण्डार एवं विद्युत माप एवं आपूर्ति से संबंधित समस्त मसलों पर समन्वय सहायता एवं परामर्श देना।

(ग) वर्तमान व नये संयंत्रो का अध्ययन करना, अनुसंधान, इन्फार्मेशन एवं डेटा संग्रहण, कार्यों की समीक्षा, रिसर्च, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, कार्यप्रणाली में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना, वर्तमान में कार्यशील स्टेशनों को सुधारने एवं आधुनिक बनाने हेतु सुझाव देना, नए विद्युत संयंत्र स्थापित करने में सहयोग करना एवं उपलब्ध संसाधनों का उत्तम प्रयोग करना।

अनुसूची – दो
पारेषण उपक्रम
भाग – एक

आस्तियाँ और दायित्व

पारेषण उपक्रम में अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 72 में वर्णित मंडल की समस्त आस्तियां, दायित्व और कार्यवाहियाँ सम्मिलित होंगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं हैं :

I.पारेषण आस्तियां :

पारेषण आस्तियों से अभिप्राय समस्त हाई प्रेशर केबल (उच्चदाब केबल) तथा ओवरहेड लाईनें (जो वितरण कंपनी के आवश्यक भाग न हों) जो एक उत्पादन केन्द्र से दूसरे उत्पादन केन्द्र या उप–केन्द्र को विद्युत पारेषित करती हैं, स्टेप–अप तथा स्टेप–डाउन ट्रांसफॉरमरों को सम्मिलित करते हुए, स्विच गेयर, एवं अन्य ऐसे आवश्यक कार्यों जो इस प्रकार के केबलों और ओवरहेड लाईनों को नियंत्रित करने हेतु आवश्यक हों, और ऐसे भवनों अथवा उनके भागों जिनकी आवश्यकता ऐसे ट्रांसफॉरमरों, स्विचगेयरों एवं अन्य कार्यों को अधिवासित करने के लिए आवश्यक हों, स्विचगेयर एवं अन्य कार्य तथा इसमें विद्युत की 66 के0व्हीं0 और इससे ऊपर की पारेषण लाईनें भी सम्मिलित होंगी (यद्यपि ये वर्तमान में 66 कि.वा. से कम वोल्टेज क्षमता पर कार्यरत हो) विविध क्षमता वाले ग्रिड उपकेन्द्र के साथ डबल सर्किट/सिंगल सर्किट/सिंगल सर्किट जो डबल सर्किट टॉवर पर लगे हैं एवं समस्त संबद्ध संबंधित उपकरण जिनमें स्टेप अप, स्टेप डाउन ट्रान्सफॉर्मर, सर्किट ब्रेकर्स, मीटरिंग व्यवस्थाएँ, अन्य सुरक्षा उपकरण सम्मिलित हैं, के साथ पावर लाईन संचार पद्धति, एलाईड नियंत्रण कक्ष, भार प्रेषण केन्द्र, भूमि (पहुंच अधिकार को सम्मिलित करते हुए), भवनों, सड़कों एवं अन्य सहायक सम्पत्तियों जो प्रदेश के अंदर एवं बाहर फैली हुई हो एवं उन सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए जो निर्माणाधीन हो एवं सम्पत्तियाँ जो अर्जित की गई हो, अंतरित या जिसके अधिकार मंडल पर, अंतरण, विक्रय, लीज़ या अन्यथा के द्वारा निहित हों, किन्तु उन निर्माणों या स्थापनाओं को छोड़कर जो विधिपूर्वक अन्य के स्वामित्व और प्रबंधन में हों।

उपरोक्त के अतिरिक्त 33 के.व्ही. एवं उससे कम के वितरण प्रणाली जो 66 के.व्ही. एवं उससे उपर के ग्रिड उपकेन्द्र में हैं एवं जो 66 के.व्ही. तथा उससे उपर के दाब (वोल्टेज) को 33 के.व्ही., निम्नदाब (वोल्टेज) में रूपान्तरण के अभिन्न हिस्से हों वे पारेषण प्रणाली के भाग होंगे और वे वितरण उपक्रम के भाग नहीं होंगे भले ही किसी अन्य अनुसूची में अन्य प्रकार से वर्णित या सम्मिलित हो।

II.सामान्य आस्तियां :

(क) निम्न, यदि ये पूर्णरूपेण या मुख्यतः उपरोक्त दर्शित पारेषण पद्धति की सम्पत्तियों या परियोजनाओं या कार्यों से सम्बन्धित इस प्रकार की पारेषण पद्धति, सम्पत्ति एवं परियोजनाओं से संबंधित हों।

(i) विशेष औजारों, उपकरणों, मटेरियल, हैंडलिंग इक्यूपमेंट, अर्थ मूव्हर्स, बुलडोजर्स, कांक्रीट, मिक्सचर, क्रेन, ट्रेलर, हैवी और लाईट व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कार्यालय उपकरण,

एअर कंडीशनर्स, रेफ्रीजरेटर्स, कम्प्यूटर्स और सिग्नल सिस्टम, स्पेअर्स, कर्मशाला में रखे सभी भण्डार एवं स्पेयर्स, कन्स्यूमेबल, कच्चा माल भूमि और सिविल वर्क्स, रोड, भवनों स्टाफ क्वाटर्स, विश्राम गृहों, संपत्तियों एवं ढांचों एवं उससे संबंधित भवनों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और उपकरणों, प्रशिक्षण केन्द्रों, कर्मशालाओं निर्माणधीन कार्यों, मशीनरी और मरम्मत के लिए प्रेषित सामान, स्क्रेप और अप्रचलित उपकरणों को शामिल करते हुए प्रतिष्ठान।

(ii) मण्डल के समस्त स्वतंत्र एवं एकल विश्राम गृह जो किसी स्थापना/उपकेन्द्र के भाग नहीं है।

(iii) वे सभी कार्यालय, स्थापनायें एवं अन्य भवन एवं भूमि जो इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं शामिल नहीं है एवं प्रधान रूप से, स्थानांतरण की प्रभावी तिथि से पारेषण उपक्रम के कार्यकलापों के लिए आधिपत्य/उपयोग में हैं।

(ख) सहभागित सेवाओं के रूप में चिन्हित कार्यालयों की निम्नांकित सामान्य परिसंपत्तियां पारेषण उपकम का भाग बनेगी ;

कार्यालय का नाम :

समस्त कैंप हाउस (विश्राम गृह)
132 के.वी. और उससे उपर के सभी उपकेन्द्रो से संबद्ध कर्मचारी आवाश (स्टाफ क्वाटर्स)
मुख्य अभियंता कार्यालय, सिविल (टी एण्ड डी), रायपुर
कार्यपालन अभियंता, सिविल संभाग, जगदलपुर
अधीक्षण कार्यालय, रायपुर क्षेत्रीय, सिविल
कार्यपालन अभियंता सिविल संभाग, भिलाई
कार्यपालन अभियंता, सिविल संभाग राजनांदगांव
कार्यपालन अभियंता, सिविल संभाग, मुख्यालय, रायपुर
कार्यपालन अभियंता, सिविल संभाग अम्बिकापुर
कार्यपालन अभियंता, भंडार संभाग, भिलाई
कार्यपालन अभियंता, भंडार संभाग, बिलासपुर
टी एण्ड सी वृत्त, रायपुर एमआरटी–1 संभाग
एमआरटी कम सब स्टेशन संभाग जगदलपुर
टी एण्ड सी वृत्त, भिलाई, एमआरटी संभाग
टी एण्ड सी वृत्त, बिलासपुर, एमआरटी संभाग
टी एण्ड सी वृत्त, बिलासुपर, एमआरटी–कम–सबस्टेशन संभाग रायगढ़,
टी एण्ड सी वृत्त बिलासपुर, एमआरटी–कम–सबस्टेशन संभाग, विश्रामपुर
सी.एस.ई.बी. औषधालय (डिस्पेंशेरी) भिलाई

III. विविध :

(क) संविदा अनुबंध हित और व्यवस्थाओं की हद के साथ सम्बद्ध है या पारेषण की कार्यवाही से सम्बन्धित या वचनों से या उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में वर्णित सम्पत्ति से संबंधित।

(ख) उपरोक्त कंडिका 1 एवं 2 में उल्लिखित आस्तियों या पारेषण क्रिया–कलापों या उपक्रमों से सम्बन्धित संबंद्ध आकस्मिक दायित्वों, जहां तक वे चिन्हित होती हो।

(ग) पूर्व में दर्शित कंडिका 1 एवं 2 में कार्यवाहियॉ जो पारेषण क्रिया कलापों या उपक्रमों या दायित्वों से संबंधित हो।

IV. सामान्य :

(क) पारेषण अधोसंरचना से संबंधित आस्तियों छत्तीसगढ़ पारेषण कंपनी मर्यादित में निहित होंगी।

(ख) उपर उल्लिखित अंतरण पर विचार करते हुए राज्य शासन पारेषण कंपनी को निर्देशित कर सकती है कि वह इन्स्ट्रुमेंट, जैसे कि इक्विटि, प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर या अन्य प्रतिभूति इत्यादि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित के पक्ष में या किसी अन्य कंपनी जैसा कि राज्य शासन मण्डल की आस्तियों एवं दायित्वों को पारेषण कंपनी में अंतरण को ध्यान में रखते हुए, निर्देशित कर सकेगी।

पारेषण उपक्रम
भाग – दो

पारेषण कंपनी के कार्य एवं दायित्व

पारेषण कंपनी के कार्य एवं दायित्व कंपनी के द्वारा निर्मित "संस्था के ज्ञापन–पत्र" एवं "संस्था नियमावली" की धाराओं के अंतर्गत मूलतः निर्दिष्ठ रूप में या जैसा समय–समय पर परिर्वतन हो, तद्नुसार होंगी :–

पारेषण कंपनी के कार्य एवं दायित्व :

(क) विद्युत पारेषण लाईनों का अर्जन, योजना, स्थापना, निर्माण, अधिग्रहण, स्थापित करना, बिछाना, संचालन, चलाना, प्रबंध, भाड़े पर, लीज, कय, विकय, संधारण, वृद्धि करने, परिवर्तन करने, कार्य एवं उपयोग, नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, विद्युतीय पारेषण लाइनें और/या अति उच्च दाब, उच्च दाब, मध्यम दाब एवं निम्न दाब की संरचना एवं संबोधित उप केन्द्रों जिसमें केबल, वायर, एक्यूम्यूलेटर प्लांट, मोटर्स, मीटर्स, उपकरणों, कम्प्यूटर्स एवं पारेषण से संबंधित सामग्री, सहायिकी सेवाओं, टेलीकम्यूनिकेशन एवं टेलीमीटरिंग उपरकरणों से संबंधित सामग्री शामिल है।

(ख) अति उच्च दाब, उच्च दाब, मध्यम दाब एवं निम्न दाब लाइनों का प्रबंधन (अन्य एवं उनके पक्ष में स्थापित करने, संचालन, संधारण) एवं संबंधित उपकेन्द्रो, उपकरणों, यंत्रो, केबलों एवं वायरों का उत्तरदायित्व लेना।

(ग) पारेषण, छत्तीसगढ़ राज्य में पारेषण से संबंधित कार्यो, भार प्रेषण के क्रियाकलापों एवं ऐसे अन्य कियाकलाप जो कि कंपनी को कानून या अन्यथा शासन या विद्युत व्यवस्था के संचालन से संबंधित शासकीय अधिकृत द्वारा निर्देशित किये गये हैं, का उत्तरदायित्व लेना एवं उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय एवं विद्युती उर्जा की व्हीलिंग, सहायिकी, समागमित एवं संबद्ध शाखा को सम्मिलित करते हुए अन्य कंपनियों एवं संबंधितों के क्रियाकलापों का समन्वयन, अनुदान एवं सलाह आदि के कार्य।

(घ) विद्युत दर के निर्धारण हेतु कार्यवाही, बिलिंग एवं उसके संग्रहण को शामिल करते हुए व्हीलिंग, पारेषण एवं पद्धति संचालन के व्यवसाय को चलाना। उत्पादन, पारेषण, वितरण श्एवं विनिमय कंपनियों, केन्द्रीय एवं राज्य के उत्पादन गृहों, क्षेत्रीय विद्युत मण्डलों, पड़ोसी राज्यों, निकायों, कंपनियों एवं व्यक्तियों आदि से अनुबंध निष्पादित करना।

(ड.) पारेषण एवं अन्य कंपनियों एवं व्यक्तियों से विद्युत की व्हीलिंग के अनुबंध निष्पादित करना एवं उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय एवं विद्युती उर्जा की व्हीलिंग में संलग्न सहायिकी, समागमित एवं संबद्ध शाखा के कियाकलापों का समन्वयन, अनुदान एवं सलाह आदि के कार्य।

(च) केन्द्रीय स्वामित्व की विद्युत उत्पादन इकाईयों से राज्य को प्राप्त निश्चिख्त अंश एवं अन्य राज्यों के उपकमों से खरीदी गयी बिजली को सम्मिलित करते हुए राज्य की विद्युत प्रणाली से संबद्ध समस्त इकाईयों के उत्पादन को व्यवस्थित करना एवं प्रेशित करना एवं भार प्रेषण का संचालन व नियंत्रण आदि।

(छ) राज्य को दिये गये भाग के संबंद्ध में और अन्य राज्यों के उपक्रमों से क्रय की गई बिजली के संबंद्ध में राज्य उर्जा व्यवस्था, जिसमें केन्द्रीय स्वामित्व के उत्पादन केन्द्र सम्मिलित हैं से संबद्ध सभी इकाईयों के उत्पादन का समय–सारणीयन एवं निर्गम करना।

अनुसूची – तीन
वितरण उपक्रम
भाग – एक

आस्तियॉ एवं दायित्व

अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 18 एवं 19 में दर्शाये अनुसार वितरण उपक्रम में मंडल की छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व जिले रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, रायगढ़, कोरिया, कोरबा, सरगुजा, जॉजगीर–चांपा, महासमुंद, कर्वधा, धमतरी, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर एवं नारायणपुर में विद्युत वितरण से संबंधित सभी आस्तियॉ, दायित्व एवं कार्यवाहियां, जिसमें निम्न शामिल हैं, परन्तु उन तक सीमित नहीं हैं, समाविष्ठ होंगी ।

I. वितरण आस्तियॉ :

वितरण आस्तियों से अभिप्रेत है विद्युत तारों की वह प्रणाली तथा संबद्ध सुविधाएं जो पारेषण लाईनों के प्रदाय बिन्दुओं के मध्य स्थित हैं अथवा वितरण केन्द्र या उत्पादन केन्द्र संयोजन से उपभोक्ताओं के प्रतिष्ठापन बिन्दु तक विद्युत प्रदाय करती हों,, किसी मुख्य केन्द्र का वह भाग जिसके साथ कोई सेवा लाईन सीधे संयोजित है या शीघ्र ही संयोजन के लिए आशयित है, सहपठित विद्युत नियम 2005 की धारा (4) तथा उसमें सम्मिलित होंगे वे समस्त 33 के.व्ही., 11 के0व्ही0, निम्न दाब (सिंगल फेस 2 वायर से 3 फेस 5 वायर तक) लाईनें (ओवरहेड लाईनें एरियल बंच केबल और भूमिगत तार सहित) और उपकेन्द्रों का विभिन्न प्रकार के आधार के साथ विभिन्न आकारों के कंडक्टर्स और स्टेप अप/स्टेप डाउन ट्रांसफॉमर्स, ब्रेकर्स, संरक्षण और मीटर प्रणालियां (मीटरिंग डिवाईस) तथा नियंत्रण कक्ष, परीक्षण प्रयोगशाला, भूमि (पहुंच अधिकार सहित), भवनों, सड़कों, डीजल जनरेटिंग सेट या अन्य पारम्परिक और गैर–पारम्परिक उत्पादन इकाईयों सर्विस कनेक्शनों तथा उपभोक्ताओं के परिसर के भीतर प्रतिष्ठापनों, सड़क बत्ती टाइमर एवं सिग्नल प्रणालियां जो कि मंडल के आधिप्तय में रही हों अथवा उससे पट्टे पर दी गई हों किन्तु फिटिंग्स, फिक्सचर और संस्थापन जो कि निजी व्यक्तियों या स्थानीय निकायों, के स्वामित्व की हो, को छोड़कर तथा नियत तिथि पर उपरोक्त किसी भी प्रकार की निर्माणाधीन आस्तियों को शामिल करते हुए।

II. सामान्य आस्तियों

निम्न यदि केवल या मूलतः उपरोक्त दर्शित वितरण पद्धति, सम्पत्ति या परियोजनाओं या काम से संबंधित उस प्रकार की वितरण पद्धति, सम्पत्ति या परियोजनाओं से संबंधित हो:

(क) विशेष औजारों, उपकरणों, मटेरियल, हैंडलिंग इक्यूपमेंट, अर्थ मूव्हर्स, बुलडोजर्स, कांक्रीट, मिक्सचर, केन, ट्रेलर, हैवी और लाईट व्हीकल, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कार्यालय उपकरण, एअर कंडीशनर्स, रेफ्रीजरेटर्स, कम्प्यूटर्स और सिग्नल सिस्टम, स्पेअर्स, कर्मशाला में रखे सभी भण्डार एवं स्पेयर्स, कन्स्यूमेबल, कच्चा माल भूमि और सिविल वर्क्स, रोड, भवनों स्टाफ क्वाटर्स, विश्राम गृहों, संपत्तियों एवं ढांचों एवं उससे संबंधित भवनों, विद्यालयों, चिकित्सालयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं और उपकरणों,

प्रशिक्षण केन्द्रों, कर्मशालाओं निर्माणधीन कार्यों, मशीनरी और मरम्मत के लिए प्रेषित सामान, स्क्रेप और अप्रचलित उपकरणों को शामिल करते हुए प्रतिष्ठान।

(ख) सभी स्वतंत्र एवं पृथक से स्थापित अतिथि गृह जो मण्डल के किसी उपकेन्द्र/प्रतिष्ठान या अन्य अंतरिती का हिस्सा न हो, जो कि प्रमुख रूप से वितरण, उपक्रम द्वारा प्रयोग किया जाता है।

(ग) कार्यालय स्थापना और अन्य भवनों और भूमि जो इस अनुसूची में अन्यत्र कहीं शामिल नहीं हैं, जो नियत तिथि पर प्रमुख रूप से वितरण कंपनी के वितरण उपक्रम से संबंधित गतिविधियों में संलिप्त/कार्यरत हो।

(घ) सहभागित सेवाओं के रूप में चिन्हित कार्यालयों की निम्नांकित सामान्य परिसंपत्तियां वितरण उपक्रम का भाग बनेगी ;

कार्यालय का नाम :

कार्यपालन अभियंता, भंडार संभाग, रायगढ़

कर्मचारी आवास संकुल गुढ़ियारी,

कर्मचारी आवास संकुल रायपुर,

समस्त 33 केव्ही उपकेन्द्रो से संबद्ध कर्मचारी आवाश

अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिविल, बिलासपुर क्षेत्र

कार्यपालन अभियंता सिविल, एमटीसी संभाग रायपुर

कार्यपालन अभियंता बिलासपुर

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय (भंडार), रायपुर क्षेत्र

कार्यपालन अभियंता भंडार संभाग रायपुर

कार्यपालन अभियंता भंडार एमटीआरयु संभाग भिलाई

कार्यपालन अभियंता भंडार संभाग अंबिकापुर

कार्यपालन अभियंता भंडार संभाग जगदलपुर

टीएण्डसी वृत्त, रायपुर, एमआरटी – II संभाग

टीएण्डसी वृत्त, रायपुर, एमआरटी संभाग, महासमुंद

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, रायपुर क्षेत्र के रायपुर एवं दुर्ग में

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, राजनांदगांव क्षेत्र

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी,बिलासपुर क्षेत्र के बिलासपुर,जांजगीर–चांपा एवं रायगढ़ में

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, अम्बिकापुर क्षेत्र

क्षेत्रीय लेखा अधिकारी, जगदलपुर क्षेत्र

मुख्यालय, डंगनिया, रायपुर का औषधालय (अंशदायी आधार पर)

गुढ़ियारी औषधालय, रायपुर

सीएसईबी औषधालय, बिलासपुर

सीएसईबी औषधालय, जगदलपुर

III. विविध

(क) संविदा, अनुबंध, हित एवं व्यवस्थाएँ जहाँ तक वे वितरण किया—कलापों या उपक्रमों या अस्तियों जैसा कि कंडिका 1 से 2 में उल्लिखित हैं, से संबंधित या संलग्न हैं, जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड तथा न्युक्लियर पॉवर कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड) निजी विद्युत उत्पादकों तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादकों के साथ सभी अनुबंध भी शामिल हैं।

(ख) आकस्मिक दायित्व जहाँ तक वे मान्य हैं एवं वितरण किया—कलापों या उपक्रमों या आस्तियों जैसा कि उपर कंडिका 1 से 2 में उल्लिखित है, से सबंधित या संलग्न है।

(ग) कार्यवाहियों जहाँ तक वे वितरण किया—कलापों या उपक्रमों या आस्तियों जैसा कि उपर कंडिका 1 से 2 में उल्लिखित है, से सबंधित या संलग्न है।

IV. सामान्य

(क) वितरण उपक्रमों से सम्बन्धित आस्तियों का वितरण कंपनी में निवेश होगा।

(ख) उपर उल्लिखित अंतरण पर विचार करते हुए राज्य शासन वितरण कंपनी को निर्देशित कर सकती है कि वह इन्स्ट्रमेंट जैसे कि इक्विटी, प्रिफरेंस शेयर, डिबंचर या अन्य प्रतिभूति इत्यादि राज्य शासन के पक्ष में या किसी अन्य कंपनी जैसा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित मण्डल की आस्तियों एवं दायित्वों को वितरण कंपनी में अंतरण को ध्यान में रखते हुए निर्देशित करे, जारी करें।

वितरण उपक्रम
भाग – दो

वितरण कंपनी के क्रियाकलाप एवं दायित्व

वितरण कंपनी के क्रियाकलाप एवं दायित्व कंपनी के द्वारा निर्मित "संस्था के ज्ञापन–पत्र" एवं "संस्था नियमावली" की धाराओं के अंतर्गत मूलतः निर्दिष्ट होंगे या जैसा समय–समय पर परिवर्तन हों।

वितरण कंपनी के मुख्य क्रियाकलाप एवं दायित्व :–

(क) विद्युत एवं उप–पारेषण लाईन उपार्जित करना, स्थापित करना, निर्माण करना, अधिकार में लेना, स्थापित करना, बिछाना, संचालन, चलाना, प्रबंध करना, भाड़े पर लेना, लीज, क्रय–विक्रय, संधारण वृद्धि, परिवर्तन, मरम्मत करना, नवीनीकरण, विद्युत उप–पारेषण, लाइनों का उपयोग और/कार्य, और/या नेटवर्क द्वारा उच्च विद्युत दाब, मध्यम विद्युत दाब और निम्न विद्युत दाब लाईन और संबद्ध उपकेन्द्रो, वितरण केन्द्रो, केबल, वायर्स, एक्यूम्यूलेटर प्लान्ट, मोटर्स मीटरों, उपकरणों, कम्प्यूटरों और सामग्रियों को शामिल करते हुए जो छत्तीसगढ़ राज्य में या अन्यत्र स्थित उप पारेषण सहित, वितरण, सहायक सेवायें विद्युत शक्ति की आपूर्ति, टेलीकम्यूनिकेशन एवं टेलीमीटरिंग से संलग्न है।

(ख) विद्युत एवं उप–पारेषण लाईन सामान , अन्य के लिए एवं की ओर से स्थापित, संचालन, संधारण, अनुरक्षण, अति उच्च विद्युत दाब का प्रबंधन, उच्च विद्युत दाब, उच्च दाब, मध्यम दाब एवं निम्न दाब का प्रबंधन, लाइनों एवं संबंधित उपकेन्द्रों, उपकरण, यन्त्र, केबलों, वायरों व कार्य करना, एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति की व्यस्था करना। ई.एच.वी. उपभोक्ता के लिए पारेषण की ई.एच.वी. लाइनों को प्रयोग करना।

(ग) बिलिंग का अंतिमीकरण एवं उसका संग्रहण करना।

(घ) ट्रेडिंग कंपनियों,, उत्पादन कंपनियों, केन्द्रीय एवं राज्य के उत्पादन केन्द्रो, क्षेत्रीय विद्युत मण्डलों, अन्य राज्यों निकायों, क्रम्पनियों एवं व्यक्तियों से विद्युत विद्युत खरीदी अनुबंध निष्पादित करना।

(ड.) अन्य वितरण एवं व्यापारी कम्पनियों एवं अन्य व्यक्तियों से/को विद्युत के क्रय या विक्रय संबंधी अनुबंध निष्पादित करना एवं अन्य कंपनियों एवं संबंधितों जिनमें उत्पादन, पारेषण,वितरण, प्रदाय एवं विद्युत की व्हीलिंग में संलग्न सहायिकी, संबंधित एवं सम्बद्ध शामिल हैं, को समन्वय सहायता सलाह दें।

(च) अध्ययन करना, अनुसंधान, इन्फार्मेशन एवं डाटा संग्रहण, कार्यों की समीक्षा, रिसर्च, प्रोजेक्ट, रिपोर्ट बनाना, कार्यप्रणाली में आने वाली कठिनाईयों का पता लगाना, वर्तमान में प्रयोग हो रहे उच्च दाब, मध्यम दाब एवं निम्न दाब लाइनों एवं उपकेन्द्रों के नवीनीकरण हेतु सुझाव देना।

(छ) विद्युत भार का पूर्वानुमान लगाना तथा पारेषण एवं उत्पादन कम्पनियों से सलाह कर आवश्यक उत्पादन क्षमता को निर्धारित करना।

(ज) निविदा अर्पित कर, नये उत्पादन संयंत्रों (सज्य के एवं केन्द्रीय क्षेत्र के) एवं निजी विद्युत उत्पादकों के साथ करारनामा करना।

(झ) विद्युत का कय, आयात, निर्यात, उत्पादन, व्यापार, निर्माण या विद्युत शक्ति के लेनदेन से संबंधित कारोबार को चलाना एवं उत्पादन वितरण या विद्युत के व्यापार में रत अन्य कम्पनियों एवं संबंधितों के किया कलापों जिनमें सहायिकी, संबंधित एवं सम्बद्ध शामिल है, को विद्युत उत्पादन गृहों, सम्बधित लाइनों एवं निर्माण, उत्पादन, उपयोग, भण्डार एवं विद्युत माप, वितरण एवं आपूर्ति से संबंधित समस्त मसलों पर समन्वय सहायता एवं सुझाव देना।

(ञ) बड़े परिणाम पर विद्युत की खरीदी एवं आपूति के किया कलाप नामशः केन्द्रीय विद्युत उत्पादन कम्पनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों एवं अन्य संयुक्त उपकम की कम्पनियों से बड़े परिणाम पर विद्युत की खरीदी एवं उसका छत्तीसगढ़ राज्य एवं भारत संघ के अन्य राज्यों की वितरण कम्पनियों को बड़े परिणाम पर विद्युत की आपूर्ति करना।

अनुसूची – चार

ट्रेडिंग उपक्रम

भाग – एक

आस्तियाँ एवं दायित्व

ट्रेडिंग उपक्रम में मण्डल की विद्युत ट्रेडिंग से संबंधित सभी आस्तियाँ, दायित्व एवं कार्यवाहियाँ शामिल हैं परन्तु उन तक सीमित नही है, समाविष्ठ होंगी :

I. **विविध : (क)** संविदा, अनुबंध, हित और व्यवस्थाओं जहां तक वे ट्रेडिंग किया–कलापों या उपकमों या आस्तियों जैसा कि उपर्युक्त संदर्भित है, से संबंधित है जिसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों (जिसके लिए केन्द्र शासन द्वारा राज्य को उर्जा का आबंटन नहीं किया जाता है), स्वतंत्र उर्जा उत्पादकों और राज्य के कैप्टिव उर्जा संयंत्रो के साथ संविदाओं, समझौतों, हितों, और व्यवस्थाओं को छोड़कर।

(ख) आकस्मिक दायित्वों, जहाँ तक वे मान्य हैं एवं ट्रेडिंग किया–कलापों या उपकमों या उपर्युक्त संबंधित से संबंधित हैं।

(ग) कार्यवाहियाँ जहां तक वे ट्रेडिंग कियाकलापों या उपर्युक्त संदर्भित उपकमों से संबंधित हैं।

II. **सामान्य :** उपर्युक्त अंतरण के प्रतिफल स्वरूप राज्य शासन ट्रेडिंग कंपनी को इक्विटी शेयर, प्रिफरेंस शेयर, डिबेंचर और अन्य प्रतिभुतियां होल्डिंग कंपनी के पक्ष में अंतरित करने को निर्देशित कर सकती है, जैसा कि राज्य शासन ट्रेडिंग कंपनी को मंडल से अंतरित आस्तियों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए निर्देश देना चाहे।

ट्रेडिंग उपक्रम

भाग – दो

ट्रेडिंग कम्पनी के कार्य एवं दायित्व

ट्रेडिंग कम्पनी के कार्य एवं दायित्व कंपनी द्वारा निर्मित "संस्था के ज्ञापन पत्र" एवं "संस्था नियमावली" की धाराओं के अंतर्गत मूलतः निर्दिष्ट किये अनुसार अथवा समय–समय पर उनमें किये गये परिवर्तन अनुसार होंगे। **ट्रेडिंग कम्पनी के मुख्य कार्य एवं दायित्व निम्नानुसार होंगे :**

(क) ट्रेडिंग कम्पनियों, उत्पादन कम्पनियों, केन्द्रीय उत्पादन केंद्रों (जिसके लिए केंद्र शासन द्वारा राज्य को ऊर्जा का आबंटन नहीं किया जाता) एवं राज्य के उत्पादन केन्द्रों, राज्य विद्युत मंडलो, अन्य राज्यों, निकायों, कम्पनियों एवं व्यक्तियों से विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित करना एवं पारेषण लाईसेंस धारियों से पारेषण सेवा समझौते निष्पादित करना;

(ख) अन्य वितरण एवं व्यापारी कम्पनियों एवं अन्य व्यक्तियों से अथवा उनको विद्युत के कय या विक्रय संबंधी अनुबंध निष्पादित करना एवं अन्य कम्पनियों एवं संबंधितों जिनमें उत्पादन, पारेषण, वितरण, प्रदाय एवं विद्युत की व्हीलिंग में संलग्न सहायिकी, संबंधित एवं सम्बद्ध शामिल है, को समन्वय, सहायता, सलाह देना;

(ग) राज्य शासन की ओर से केप्टिव विद्युत संयंत्रों एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता (आई.पी.पी.) द्वारा विकसित नये उत्पादन संयंत्रों से विद्युत के क्रय हेतु निविदा तथा संविदा करना और नियत तिथि से व्यापार प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करना। ट्रेडिंग कंपनी को राज्य शासन द्वारा समय–समय पर निश्चित किये अनुसार बतौर व्यापार प्रतिनिधि कार्य करने के एवज में कमीशन का भुगतान किया जायेगा।

(घ) विद्युत का क्रय, आयात, निर्यात, उत्पादन, व्यापार, निर्माण या विद्युत शक्ति के लेंनदेन से संबंधित कारोबार को चलाना एवं उत्पादन, वितरण या विद्युत के व्यापार में रत् अन्य कंपनियों एवं संबंधितों के क्रियाकलापों, जिनमें सहायिकी, संबंधित एवं सम्बद्ध शामिल हैं, को विद्युत उत्पादन गृहों, सम्बंधित लाइनों एवं निर्माण, उत्पादन, उपयोग भण्डार एवं विद्युत माप, वितरण एवं आपूर्ति से संबंधित समस्त मसलों पर समन्वय सहायता एवं सुझाव देना।

(ङ.) ट्रेडिंग कंपनी वितरण कंपनी की ओर से अधिशेष विद्युत के ट्रेडिंग हेतु उत्तरदायी होगी। इस प्रयोजन हेतु सीएसपीट्रेडको निम्नानुसार उत्तरदायी होगी :–

(i) वितरण कंपनी के अधिशेष विद्युत के क्रय के लिए वितरण कंपनी के साथ अनुबंध निष्पादित करना।

(ii) वितरण कंपनी के पास उपलब्ध अधिशेष बिजली के विकय की व्यवस्था करना ।

(च) वितरण कंपनी के उपभोक्ताओं के लिए अल्पकालिक आधार पर आपूर्ति हेतु किसी अपर्याप्त पॉवर की स्थिति को दूर करने के लिए लघुअवधि के आधार पर आपूर्ति हेतु ट्रेडिंग कंपनी विद्युत क्रय करेगी। इस उद्देश्य के लिए ट्रेडिंग कंपनी निम्नानुसार उत्तरदायी होगी :–

(i) द्विपक्षीय संविदाओं, पॉवर ट्रेडर्स, विनिमय व्यवस्थाओं, ऊर्जा विनिमय, ओपन एक्सेस आदि के द्वारा अल्पकालीन पॉवर क्रय करने की व्यवस्था करना, और

(ii) वितरण कंपनी की ऐसी किसी कमी की आपूर्ति हेतु यदि आवश्यक समझा जाए तो ट्रेडिंग कंपनी बड़ी मात्रा में विद्युत विक्रय अनुबंध करेगी।

(iii) यदि आवश्यक हो तो ट्रेडिंग कंपनी वितरण कंपनी की इस कमी को अधिशेष उपलब्ध ऊर्जा से पूर्ण करेगी जो कि आईपीपी के समझौता अनुबंध के मार्ग से अनुबंधित विद्युत के अलावा होगा, अथवा ऐसे अन्य स्त्रोतों से होगा, जिनमें राज्य के भीतर और राज्य के बाहर परिचालित कैप्टिव ऊर्जा संयंत्र सम्मिलित हैं।

(छ) ट्रेडिंग कंपनी इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी तथा उन शक्तियां का प्रयोग करेगी, जो इस योजना के अंतर्गत ट्रेडिंग कंपनी में निहित हैं। एक अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में ट्रेडिंग कंपनी के कार्य एवं कर्तव्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :–

(i) बाजार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए छत्तीसगढ़ शासन एवं पूर्ववर्ती छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल द्वारा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु निष्पादित समझौता करारों के प्रावधानों के अनुरूप निज़ी विद्युत विकासकर्ताओं को सुविधा पत्र (लेटर ऑफ कम्फर्ट) जारी करना;

(ii) बाजार की आर्थिक स्थिति अथवा राज्य शासन के निर्देशों के पालन में राज्य शासन की ओर से स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से विद्युत क्रय अनुबंध करना;

(ii–क) निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा विकसित परियोजनाओं से उत्पादित ऊर्जा को समुचित विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित कीमत पर प्राप्त करना और उसका उपयोग करना अथवा राज्य शासन के निर्देशों के अनुरूप इस ऊर्जा का विक्रय करना;

(ii–ख) उपरोक्तानुसार प्राप्त विद्युत हेतु पृथक् लेखा का संधारण व विद्युत के विक्रय से प्राप्त राजस्व को पृथक् से संधारित करना; और

(ii–ग) व्यापार संव्यवहारों के परिणामस्वरूप अर्जित अधिशेष कोष, यदि कोई हो, को जमा करना, ऐसे अधिशेष इस योजना के नियम 6(ड.) के प्रावधानों के अनुरूप सहभागित किए जाएंगे। परन्तु इस प्रकार के व्यापार संव्यवहारों के परिणामस्वरूप यदि कोई हानि होती है तो राज्य शासन ट्रेडिंग कंपनी की ऐसी हानि को पूर्णतया क्षतिपूर्ति करेगी।

(ज) ट्रेडिंग कंपनी, राज्य के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उपर्युक्त उल्लिखित कृत्यों और कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उचित परिपक्व लेखा पद्धतियां अपनाते हुए लेखा अभिलेख तथा बैंक लेखा संधारण हेतु उत्तरदायी होगी।

अनुसूची – पांच

होल्डिंग उपक्रम

भाग – एक

आस्तियां और दायित्व

होल्डिंग उपक्रम छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित में किए गए अंशपूंजी निवेश से मिलकर बनेगा।

I विविध :

(क) संविदाएं, समझौते, हित और व्यवस्थाएं जिस सीमा तक वे होल्डिंग कंपनी अथवा इस उपक्रम की गतिविधियों से संबंधित हैं;

(ख) समाश्रित दायित्व जिस सीमा तक उन्हें मान्य किया गया है अथवा होल्डिंग कंपनी या उपर्युक्त संदर्भित उपक्रम की गतिविधियों से संबंधित हों अथवा उससे जुड़े हों;

(ग) कार्यवाहियां जहां तक उनका संबंध होल्डिंग कंपनी अथवा उपर्युक्त संदर्भित उपक्रम की गतिविधियों से है अथवा उससे जुड़ी हों।

II सामान्य :

(क) उपर्युक्त अंतरण के प्रतिफलस्वरूप मण्डल से होल्डिंग कंपनी को अंतरित आस्तियों और दायित्वों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन होल्डिंग कंपनी को ऐसे इक्विटी शेयरों, प्रीफरेंस शेयरों, डिबेंचरों और अन्य प्रतिभूतियों को राज्य शासन के पक्ष में लिखतें जारी करने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

(ख) सहभागित सेवाओं के रूप में चिन्हित कार्यालयों के निम्नलिखित सामान्य परिसम्पत्तियां होल्डिंग उपक्रम का भाग बनेंगी –

कार्यालय का नाम :

सचिवालय सहित मुख्यालय संकुल

रायपुर का अतिथिगृह

संपर्क कार्यालय, दिल्ली

केन्द्रीय लेखा इकाई, रायपुर

होल्डिंग उपक्रम

भाग – दो

कार्य एवं दायित्व

होल्डिंग कंपनी के क्रियाकलाप एवं दायित्व कंपनी के द्वारा निर्मित "संस्था के ज्ञापन–पत्र" एवं "संस्था नियमावली" की धाराओं के अंतर्गत मूलतः निर्दिष्ट होंगे या जैसा समय–समय पर परिवर्तन हों।

होल्डिंग कंपनी के प्रमुख कार्य एवं दायित्व :

(क) होल्डिंग कंपनी के रूप में कार्य एवं दायित्व :

(i) होल्डिंग कंपनी नियत तिथि से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित (उत्पादन कंपनी), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (पारेषण कंपनी), छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (वितरण कंपनी) एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित (ट्रेडिंग कंपनी) में शत्–प्रतिशत् अंशपूजी (इक्विटी) रखेगी।

(ii) होल्डिंग कंपनी छत्तीसगढ़ शासन की सहमति से, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसपीडीसीएल एवं सीएसपीट्रेडको में समय–समय पर आवश्यक अतिरिक्त अंशपूजी निवेश कर सकेगी।

(iii) होल्डिंग कंपनी संक्रमण अवधि में समस्त आवश्यक सहयोग उत्तरदायी कंपनियों को प्रदत्त करेगी।

(iv) होल्डिंग कंपनी, अन्य उत्तरदायी कंपनियों के परामर्श से अंतिम रूप से आबंटन होने तक अभिलाभ की सेवाएँ प्रदत्त करेंगी। इसमें स्थानांतरण एवं आबंटित पद की लाभ सेवाएँ भी सम्मिलित होंगी।

(v) होल्डिंग कंपनी द्वारा व्यय की समस्त राशि जैसे प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय, विधिक एवं परामर्श शुल्क इत्यादि उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी और ट्रेडिंग कंपनी को क्रमशः समानुपातिक रूप से वितरित करेगी।

(ख) निवेश कंपनी के रूप में कार्य एवं दायित्व :–

(i) होल्डिंग कंपनी प्राथमिक रूप से एक निवेश कंपनी होगी तथा उत्पादन, पारेषण, वितरण तथा विद्युत की ट्रेडिंग से संबंधित किसी भी व्यवसाय में रत् कंपनियों में निवेश कर सकेगी।

(ii) निजी विकासकर्ताओं के साथ समस्त संयुक्त उपक्रम परियोजनाओं में विद्यमान इक्विटी होल्डिंग छत्तीसगढ़ राज्य शासन में विहित है व जिसके लिए नवीन पॉवर उत्पादन (जनरेशन) कंपनियों के विकास के लिए नियत तिथि के पूर्व संयुक्त उपक्रम (ज्वाइंट वेंचर) अनुबंध पहले ही संपादित किया जा चुका है, एतद् द्वारा को होल्डिंग कंपनी मे हस्तांतरित किया जाता है। ऐसे इक्विटी होल्डिंग का विवरण नीचे वर्णित किया गया है :–

	संयुक्त उपकम परियोजनाएँ	इक्विटी होल्डर्स	इक्विटी सहभागिता
अ)	आईसीपीएल (इफ्फको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड)	इण्डियन फामर्स फर्टीलाइज़र कोऑप्रेटिव लिमिटेड (इफ्फको)	चौहत्तर प्रतिशत् (74%)
		छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सीएसईबी)	छब्बीस प्रतिशत् (26%)
ब)	आईसीबीपीएल (इण्डियाबुल्स सीएसईबी भैय्याथान पॉवर लिमिटेड)	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (सीएसईबी)	छब्बीस प्रतिशत् (26%)
		इण्डियाबुल्स पॉवर सर्विसेज़	चौहत्तर प्रतिशत् (74%)

(iii) होल्डिंग कंपनी निजी विद्युत विकासकर्ता के साथ ज्वाइंट वेंचर रूट द्वारा क्रियान्वित किए जाने के लिए प्रस्तावित समस्त आगामी परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अंशपुंजी निवेश करेगी।

(ग) होल्डिंग कंपनी के समन्वयक कार्य :-

(i) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों के साथ समन्वय (आईपीपीज) :

(i-क) समस्त एमओयूज तथा छत्तीसगढ़ शासन के मध्य तथा पूर्ववर्ती सीएसईबी एवं स्वतंत्र विद्युत उत्पादनकर्ता निष्पादित अनुबंध का क्रियान्वयन होल्डिंग कंपनी के नाम से एतद् द्वारा हस्तांतरित होगी। होल्डिंग कंपनी समस्त एमओयूज कार्यपालन हेतु तथा भविष्य में अनुबंध के क्रियान्वयन बाबत् उत्तरदायी होगी।

(i–ख) होल्डिंग कंपनी एमओयूज रूट के अंतर्गत स्थापित किए जाने हेतु समस्त आईपीपीज की प्रगति की समीक्षा बाबत् उत्तरदायी भी होगी।

(ii) होल्डिंग कंपनी समस्त नवीन केपिटल परियोजनाओं के सिन्क्रोनाइजेशन तथा समय पर विकास हेतु प्रत्येक अनुमानित मूल्य सीएसपीजीसीएल की प्रत्येक योजना जिसकी लागत रू. बीस करोड़ तथा सीएसपीटीसीएल एवं सीएसपीडीसीएल तथा सीएसपीट्रेडको प्रत्येक की योजना जिसकी लागत रू. दस करोड़ है के समय पर पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए समन्वय करेगा। इस प्रयोजनार्थ, होल्डिंग कंपनी दो उच्च स्तरीय समितियों के गठन हेतु उत्तरदायी होगा। यथा संचालन समिति, जिसमें समस्त उत्तराधिकार कंपनी के प्रबंध संचालक सम्मिलित होगें तथा होल्डिंग कंपनी के अध्यक्ष समिति के अध्यक्ष होगें। तथा समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के वित्त तथा लेखा प्रमुख के साथ उत्तरवर्ती कंपनियों के वरिष्ठ कार्यपालन संचालकों / मुख्य अभियंताओं को सम्मिलित कर उपरोक्तानुसार कृत्य निर्वहन हेतु कार्यबल (टॉस्क फोर्स) का गठन करेगा। होल्डिंग कंपनी के नामॉकित व्यक्ति इस समिति एवं कार्यबल के संयोजक होंगे।

(iii) राज्य शासन या किसी अन्य राज्य शासन की एजेंसी और उत्तरवर्ती कंपनियों की सहभागिता से विकसित उत्पादन परियोजनाओं का विकास और क्रियान्वयन में समन्वय स्थापित करना।

(iv) यह आवश्यक होगा कि उत्तरदायी कंपनियों के सुचारू कृत्यकारिणी के लिए समय–समय पर होल्डिंग कंपनी राज्य शासन तथा उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करेगा।

(v) वित्त तथा लेखा से संबंधित समन्वय कार्य तथा कर्तव्य :–

(v-क) होल्डिंग कंपनी संक्रमण (ट्रॉन्जिशन) अवधि के दौरान नगद प्रवाह व्यवस्थाओं तथा लेखा प्रक्रिया के संबंध में उत्तरदायी कंपनियों हेतु समस्त कृत्यों तथा कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(v-ख) 31 दिसम्बर, 2008 तक पूर्ववर्ती सीएसईबी के दौरान के लेखों का अंतिमिकरण तथा अंकेक्षण।

(v-ग) होल्डिंग कंपनी ट्रॉन्जिशन अवधि के लिए प्रत्येक कंपनी के लेखाओं के अंतिमिकरण बाबत् उत्तरवर्ती कंपनियों हेतु सभी वांछित सहायता तथा जानकारी भी उपलब्ध करायेगा।

(vi) मानव संसाधन से संबंधित समन्वय कार्य तथा कर्तव्य :–

(vi-क) होल्डिंग कंपनी अन्य उत्तरदायी कंपनियों के साथ परामर्श कर उत्तरवर्ती कंपनियों के कर्मचारियों हेतु भर्तियाँ तथा पदोन्नति हेतु योजनाएँ / विनियम निर्माणार्थ उत्तरदायी होवेगी।

(vi-ख) होल्डिंग कंपनी अन्य उत्तरवर्ती कंपनियों के साथ परामर्श कर जैसा और जब अपेक्षित हो, उत्तरदायी कंपनियों हेतु वेतनमान तथा पारिश्रमिक देयक संरचना के संबंध में आवश्यक योजनाओं के निर्माणार्थ उत्तरदायी होवेगी। तथापि, प्रत्येक उत्तरवर्ती कंपनी कार्यदक्षता के विकास के संबंध में प्रोत्साहन तथा प्रशंसानार्थ उनके कर्मचारियों हेतु किसी पारितोषिक या प्रोत्साहन योजना की अभिकल्पना हेतु स्वतंत्र होगी।

(vi-ग) होल्डिंग कंपनी, सीएसईबी उपादान तथा वृत्ति निधि न्यास तथा सीएसईबी भविष्य निधि न्यास के प्रबंधन तथा पर्यवेक्षण सहित उत्तरदायी कंपनियों के कर्मचारियों हेतु टरमिनल दायित्वों के निर्वहनार्थ उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य समन्वय करेगी।

(vi-घ) होल्डिंग कंपनी अपने स्वयं की आवश्यकताओं हेतु स्वीकृत पदों के विरूद्ध यथावश्यक कार्मिक भर्ती करेगा।

(vii) विधिक मुद्दों से संबंधित समन्वयक कार्य तथा कर्तव्य :–

(vii-क) होल्डिंग कंपनी पूर्ववर्ती सीएसईबी के नाम में आयकर विधि के किसी न्यायालय में अवलम्बित अधिकरण या राज्य तथा केन्द्र शासन के किसी प्राधिकारी समस्त मामलों के साथ संव्यवहार्य करेगा।

(vii-ख) होल्डिंग कंपनी वैट, सेस, आयकर तथा सीमा कर ट्रॉन्जिशन अवधि के दौरान समस्त उत्तरवर्ती कंपनियों के मामलों हेतु समस्त विषयों के लिए समन्वय करेगा।

(vii-ग) एमपीईबी के पुनर्गठन तथा पूर्ववर्ती सीएसईबी के पुर्नसंगठन के लिए किसी विधिक लम्बित प्रकरणों को हस्तगत करने, किन्तु किसी वैयक्तिक उत्तरवर्ती कंपनी के उपक्रमों एवं आस्तियों से संबंधित प्रकरणों को त्याज्य कर ।

(घ) पूर्ववर्ती एमपीईबी / एमपीएसईबी / सीएसईबी के विवादों / मुद्दों के दायित्व निर्वहन तथा निपटारा :—

(i) होल्डिंग कंपनी उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य आबंटन तक पूर्ववर्ती सीएसईबी के समस्त दायित्व का निर्वहन करेगा एवं उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी, वितरण कंपनी तथा ट्रेडिंग कंपनी से इस राशि की वसूली करेगा।

(ii) होल्डिंग कंपनी अधोलिखित विवादों / मुद्दों को सुलझाने हेतु उत्तरदायी होगा :—

(ii-क) म.प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन पूर्ववर्ती एमपीईबी से संबंधित आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारियों एवं कर्मचारियों संबंधी विभाजन विषयक मुद्दे ;

(ii-ख) योजना तथा उसके संशोधन के संबंध में आस्तियों तथा दायित्वों का आबंटन;

(ii-ग) सीएसईबी के पुनर्गठन से संबंधित उत्तरवर्ती कंपनियों के मध्य विभिन्न मतभेदों का निराकरण करने से संबंधित समस्त अन्य कार्यों के साथ संव्यवहार्य करेगा।

अनुसूची – छः
भाग – एक
पूर्ववर्ती मंडल की प्राथमिक सेवाओं का उत्पादन कंपनी, पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी को आबंटन.

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित (सीएसपीजीसीएल)

स0 क्र0	सीएसपीजीसीएल को आबंटित कार्यालय का नाम	प्रमुख दायित्व और कार्य
01	कार्यालय, प्रबंध निदेशक, सीएसपीजीसीएल	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उत्पादन के अधीन विभिन्न परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए उत्पादन का सम्पूर्ण प्रभारी
02	कार्यालय, कार्यपालक निदेशक (सामान्य), सीएसपीजीसीएल	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के लिए उत्पादन के परियोजनाओं का संपूर्ण दायित्व।
03	कार्यालय, मुख्य अभियंता (ओएण्डएम – संचालन एवं संधारण) उत्पादन एवं उसके अधीनस्थ कार्यालय	समस्त संचालित उत्पादन संयंत्रों के संपूर्ण प्रभारी, जल एवं तापीय विद्युत संयत्र में स्थापना विषय, उत्पादन के संचालन तथा संधारण के मामलों में सलाहकारी भूमिका, विद्युत उत्पादन संयंत्रों के कार्यनिष्पादन की निगरानी, सिकासार और गंगरेल जलविद्युत संयंत्रों का संचालन एवं संधारण हेतु संपूर्ण प्रभार
04	कार्यालय, मुख्य अभियंता, (पीआरजी–I) और इसके अधीनस्थ कार्यालयय	नई परियोजनाओं, यथा– मड़वा तापविद्युत संयंत्र, कोजेन संयंत्र, कवर्धा, कोयला खदानों के विकास हेतु सम्पूर्ण प्रभार तथा कोजेन संयंत्रों का संचालन एवं संधारण। प्रस्तावित ताप विद्युत संयंत्रों के विकास की – गतिविधियाँ।
05	कार्यालय, मुख्य अभियंता (पीआरजी–II) और इसके अधीनस्थ कार्यालय	स्वंय की नवीन उत्पादन परियोजनाओं, यथा– कोरबा (पूर्व), कोरबा (पश्चिम) विस्तार परियोजनाओं का संपूर्ण प्रभार।
06*	कार्यालय, मुख्य अभियंता (सिविल परियोजना), रायपुर और इसके अधीनस्थ कार्यालय	नई और पुरानी जल तथा ताप विद्युत परियोजनाओं के सिविल कार्यों से संबंधित संपूर्ण उत्तरदायित्व जिसमें सर्वेक्षण, अनुसंधान और परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य सम्मिलित है।
07	कार्यालय, मुख्य अभियंता (पुनर्नवीनीकरण) परियोजना और इसके अधीनस्थ कार्यालय	उत्पादन संयंत्रों को पुनर्नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का संपूर्ण उत्तरदायित्व।
08	कार्यालय, मुख्य अभियंता (भण्डार एवं कय) (उत्पादन) एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय	सामग्रियों / उपभोज्य सामग्री की आवाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) और भण्डार इकाइयों के संचालक हेतु सामग्री प्रबंधन
09	कार्यालय, मुख्य अभियंता, केईटीपीएस कोरबा (पूर्व) और इसके अधीनस्थ कार्यालय	दैनंदिनी परिचालन के साथ–साथ उत्पादन संयंत्र के संधारण का कार्यकारी प्रभारी।
10	कार्यालय, मुख्य अभियंता, उत्पादन प्रशिक्षण, कोरबा (पूर्व) और इसके अधीनस्थ कार्यालय	उत्पादन कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण का उत्तरदायित्व।
11	कार्यालय, मुख्य अभियंता, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र (एचटीपीएस) कोरबा (पूर्व) और इसके अधीनस्थ कार्यालय	हसदेव ताप विद्युतगृह और हसदेव बांगो–मिनीमाता जल विद्युतगृह का दैनंदिनी संचालन और संधारण का कार्यकारी प्रभारी।
12	कार्यालय, मुख्य अभियंता (उत्पादन), डीएसपीएमटीपीएस, कोरबा (पूर्व) और इसके अधीनस्थ कार्यालय	डीएसपीएमटीपीएस, कोरबा (पूर्व) का दैनंदिनी संचालन और संधारण का कार्यकारी प्रभारी।
13	क्षेत्रीय लेखा अधिकारी कार्यालयों (आर.ए.ओ.) कोरबा (पूर्व), कोरबा (पश्चिम), कोरबा (पश्चिम परियोजना) और मड़वा	संबंधित विद्युतगृहों के पूरे वित्त एवं लेखा संबंधी कार्यों की देखभाल।

* कार्यपालन अभियंता (सिविल), जगदलपुर संभाग, जो कि मुख्य अभियंता (सिविल) परियोजनाएँ, रायपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में है, उसे सीएसपीजेनको के भाग के रूप में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसे सीएसपीटीसीएल और सीएसपीडीसीएल के बीच सहभागी सेवा के तौर पर रखा गया है।

टीपः— एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता की श्रेणी का एक—एक अधिकारी एवं कार्यपालन अभियंता की श्रेणी के दो अधिकारियों को होल्डिंग कंपनी में नियत तिथि से अड़तालिस माह के लिये परियोजनाओं के समन्वय एवं निगरानी, जैसा कि अनुसूची पॉच, भाग दो, 'होल्डिंग उपक्रम के कार्य एवं दायित्वों' में उल्लिखित किया गया है, हेतु प्रतिनियुक्त किया जायेगा

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित (सीएसपीटीसीएल)

स0 क्र0	सीएसपीटीसीएल को आबंटित कार्यालय का नाम	प्रमुख दायित्व और कार्य
01	कार्यालय, प्रबंध निदेश सीएसपीटीसीएल	संपूर्ण छत्तीसगढ़ हेतु पारेषण अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं सहित पारेषण का सम्पूर्ण प्रभार।
02	कार्यालय, मुख्य अभियंता (अतिउच्चदाब – निर्माण व संधारण) और इसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालय	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु ईएचटी लाईन और 132 के.व्ही. उपकेन्द्र और इससे अधिक क्षमता के उपकेन्द्रों का निर्माण और संधारण का संपूर्ण प्रभार।
03	कार्यालय; मुख्य अभियंता (पारेषण) और इसके अधीनस्थ कार्यालय	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु ईएचवी क्लास उपकरणों के अभिकल्पन और आवाप्ति (प्रोक्यूरमेंट)। ईएचवी लाइनों और उपकेन्द्रों की आयोजना का संपूर्ण प्रभार।
04	कार्यालय, मुख्य अभियंता (भार–प्रेषण केन्द्र), भिलाई और इसके अधीनस्थ कार्यालय	आगामी हेतु प्रतिवेदनों और शेड्यूल को प्राप्त करने सहित राज्यांतर्गत भार–प्रेषण के बारे में अनुदेश जारी करना।
05*	कार्यालय, मुख्य अभियंयता (जांच और सम्प्रेषण) और इसके अधीनस्थ कार्यालय	परेषण तंत्र (नेटवर्क) के सभी ईएचवी श्रेणी (132 के.व्ही. और ऊपर) उपकेन्द्रों का संचालन एवं संधारण का सम्पूर्ण प्रभार, जी.टी. और टी.डी. अंर्तीयफेसों के उच्चदाब मीटरों का परीक्षण एवं चालू करना (टैस्टिंग एण्ड कमिशनिंग) कैरियर कम्यूनिकेशन और पारेषण नेटवर्क का संरक्षण।

* जहाँ कि कार्यालय मुख्य अभियंता (परीक्षण एवं सम्प्रेषण) और इसके अधीनस्थ कार्यालय सीएसपीटीसीएल को आबंटित किए गए हैं, वहीं सभी एमआरटी संभाग और एमआरटी सह उपकेन्द्र संभागों को सहभागित सेवाओं के भाग की तरह रखा जाकर सीएसपीटीसीएल तथा सीएसपीडीसीएल के मध्य आबंटित कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सीएचपीडीसीएल)

स0क्र0	सीएसपीडीसीएल को आबंटित कार्यालय का नाम	प्रमुख दायित्व और कार्य
01	कार्यालय प्रबंध निदेशक, सीएसपीडीसीएल	संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वितरण के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए वितरण का सम्पूर्ण प्रभार।
02*	ऊर्जा सूचना तकनीक केन्द्र कार्यालय (ईआईटीसी)	निम्नदाब एवं उच्चदाब देयक प्रणालियों का विकास एवं संधारण और उससे संबंद्ध लेखा, वेतनपर्ची तथा भण्डारं संबंध कार्य।
03	कार्यालय, मुख्य अभियंता (संचालन एवं संधारण), रायपुर	छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वितरण प्रणाली के संचालन एवं अनुरक्षण का संपूर्ण प्रभार।
04	कार्यालय, मुख्य अभियंता (राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण –	राज्य में 33 के.व्ही. और निम्न दाब की

	एसटीआरई) और उनके अधीनस्थ कार्यालय	ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित निर्माण कार्यों का संपूर्ण प्रभार।
05	कार्यालय, मुख्य सतर्कता अधिकारी और उनके अधीनस्थ कार्यालय	उपभोक्ता द्वारा अपवंचन आदि से संबंधित सतर्कता प्रकरणों का संपूर्ण प्रभार।
06	कार्यालय, मुख्य अभियंता (भण्डार एवं कय)	सामग्रियों की आवाप्ति (प्रोक्यूरमेंट) एवं उपभोज्य तथा वितरण प्रणाली के संचालन और संधारण के लिए भण्डार/सामग्री प्रबंधन का संपूण प्रभार।
07	कार्यालय, मुख्य अभियंयता (वाणिज्यिक)	टैरिफ निर्धारण, ऊर्जा कय के वाणिज्यिक मामले, उपभोक्ता मामलों का संपूर्ण प्रभार।
08	कार्यालय, मुख्य अभियंता, रायपुर क्षेत्र और इसके अधीनस्थ कार्यालय	अपने क्षेत्र में 33 के.व्ही. और उससे निम्न नेटवर्क और प्रणाली का प्रशासन, संचालन और संधारण का संपूण प्रभार।
09	कार्यालय अंकेक्षण दल, रायपुर क्षेत्र	वितरण प्रणाली के संचालन और संधारण विषयक अंकेक्षण कार्य।
10	कार्यालय, मुख्य अभियंता, राजनांदगांव और इसके अधीनस्थ कार्यालय	अपने क्षेत्र में 33 के.व्ही. और उससे निम्न नेटवर्क और प्रणाली का प्रशासन, संचालन एवं संधारण का संपूर्ण प्रभार।
11	कार्यालय, मुख्य अभियंता, बिलासपुर क्षेत्र और इसके अधीनस्थ कार्यालय	अपने क्षेत्र में 33 के.व्ही. और उससे निम्न नेटवर्क और प्रणाली का प्रशासन, संचालन एवं संधारण का संपूर्ण प्रभार।
12	कार्यालय, अंकेक्षण दल–I, बिलासपुर क्षेत्र	वितरण प्रणाली के संचालन एवं संधारण से संबंधित अंकेक्षण कार्य।
13	कार्यालय, अंकेक्षण दल–II, बिलासपुर क्षेत्र	वितरण प्रणाली के संचालन और संधारण से संबंधित अंकेक्षण कार्य।
14	कार्यालय, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जगदलपुर क्षेत्र एवं इसके अधीनस्थ कार्यालय	अपने क्षेत्र में 33 के.व्ही. और उससे निम्न नेटवर्क और प्रणाली का प्रशासन, संचालन एवं संधारण का संपूर्ण प्रभार।
15	कार्यालय अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अम्बिकापुर और इसके अधीनस्थ कार्यालय	अपने क्षेत्र में 33 के.व्ही. और उससे निम्न नेटवर्क और प्रणाली का प्रशासन, संचालन एवं संधारण का संपूर्ण प्रभार।
16	उपभोक्ता शिकायत प्रतितोषण मंच, रायपुर/बिलासपुर	संबंधित क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के शिकायतों का निराकरण करना।

* ऊर्जा सूचना तकनीक केन्द्र कार्यालय (ईआईटीसी) प्रकोष्ठ के अधीन पदों में उत्पादन और वितरण कंपनी से प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी सम्मिलित हैं। एतद् द्वारा इन पदों को ईआईटीसी प्रकोष्ठ के प्रशासनिक नियंत्रण में सौंपा जाता है और वे अपनी सेवाएँ देना जारी रखेंगे।

भाग – दो

सहभागित सेवाओं का चिन्हांकन और इन सहभागित सेवाओं की स्वीकृत पदों का सीएसपीएचसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसपीडीसीएल और सीएसपीट्रेडको में आबंटन

सहभागित सेवाओं का चिन्हांकन :

सरल कमांक	सहभागित सेवा के तौर पर चिन्हित कार्यालय का नाम		प्रमुख दायित्व और कार्य
01	सचिवालय एवं प्रधान कार्यालय	कार्यालय सचिव (मण्डल)	मण्डल के सचिवालयीन कार्य, कार्मिक, सीएसईबी की स्थापना का संपूर्ण प्रभार।
		कार्यालय, अतिरिक्त सचिव	सचिवालय के स्थापना विषयक कार्यो का प्रभार।
		कार्यालय, संयुक्त सचिव (सचिवालय)	मण्डल की बैठकों, संकल्पों, मण्डल के सदस्यों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, कार्यालय प्रबंधन, सांख्यिकी वेतन पुनरीक्षण, प्रचार और सुरक्षा संबंधी मामलों का दायित्व।
		कार्यालय संयुक्त सचिव (कार्मिक–I)	श्रेणी–I / II कर्मचारियों से संबंधी समस्त के स्थापना विषयक कार्य, स्थानांतरण, पदोन्नतियॉ, पृथकि्करण, प्रशासनिक प्रशिक्षण, विधिक और अनुशासनिक मामले।
		कार्यालय, संयुक्त सचिव (कार्मिक–II)	श्रेणी–III / IV कर्मचारियों से संबंधी समस्त स्थापना विषयक कार्य, स्थानांतरण, पदोन्नतियॉ, पृथक्किरण, प्रशासनिक प्रशिक्षण, अनुशासनिक प्रकरण और यह भी समाहित हैं :– औद्योगिक संबंध एवं कल्याण विषय।
02	वित्त और लेखा	वित्त एवं लेखा जिसमें सम्मिलित हैं, केन्द्रीय लेखा इकाई तथा रायपुर, बिलासपुर एवं कोरबा स्थित क्षेत्रीय वित्त इकाइयॉ	वित्त और लेखों संबंधी सीएसईबी में कार्यो का संपूर्ण प्रभार, पेशनों सहित वित्त और लेखा कार्यो की स्थापना, परिवार पेंशन, समूह बीमा, संविदाओं का परिशीलन, कय, लेखे तैयार करना, आय–व्यय (बजट), बैंक और नकदी प्रबंधन, लेखा परीक्षण एवं देयकों की पुष्टि आदि, जिसके साथ–साथ क्षेत्रों / विद्युत केन्द्रों के संपूर्ण लेखा और वित्तीय कार्य की देखभाल भी सम्मिलित है।
03	सिविल कार्य (टीएण्डडी)	कार्यालय मुख्य अभियंता (सिविल) (टीएण्डडी) रायपुर	ईएचवी श्रेणी के उपकेन्द्रों और 33 के.व्ही. श्रेणी के उप केन्द्रों के विनिर्माण तथा संधारण संबंधी सिविल कार्यो, पारेषण स्तंभ आधार निर्माण, पारेषण–वितरण से संलग्न कर्मचारियों की आवासीय कॉलोनियों का संधारण और सिविल कार्यो से कामकाज तथा कार्यालयों की संपूर्ण देखभाल।
		कार्यालय, अधीक्षण यंत्री, बिलासपुर, सिविल वृत्त क्षेत्र	ईएचवी श्रेणी के उपकेन्द्रों, 33 के.व्ही. श्रेणी और उससे नीचे के उपकेन्द्रों, संबद्ध कर्मचारी हेतु कॉलोनियों के विनिर्माण में सिविल कार्यो से संबंधित कार्य एवं कार्यालय
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, सिविल संभाग, बिलासपुर	ईएचवी श्रेणी के उपकेन्द्रों और 33 के.व्ही. श्रेणी उपकेन्द्रों के विनिर्माण संबंधी सिविल कार्यो से संबंधित कार्य एवं कार्यालय, संबद्ध कर्मचारी हेतु कॉलोनियों का संधारण।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, सिविल संभाग, अम्बिकापुर	ईएचवी श्रेणी के उपकेन्द्रों और 33 के.व्ही. श्रेणी उपकेन्द्रों के विनिर्माण संबंधी सिविल कार्यो से संबंधित कार्य एवं कार्यालय, संबद्ध कर्मचारी हेतु कॉलोनियों का संधारण।
		कार्यालय अधीक्षण यंत्री,	ईएचवी श्रेणी के उपकेन्द्रों, 33 के.व्ही. उपकेन्द्रों,

		सिविल वृत्त (टीएण्डडी), रायपुर संभाग	पारेषण टॉवर्स के आधारों के विनिर्माण संबंधी सिविल कार्यों, संबद्ध कर्मचारी हेतु कॉलोनियों का संधारण का कार्य एवं कार्यालय।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, (सिविल) संभाग, राजनांदगांव	ईएचवी श्रेणी के उपकेन्द्रों, 33 के.व्ही. उपकेन्द्रों, पारेषण टॉवर्स के आधारों के विनिर्माण संबंधी सिविल कार्यों, संबद्ध कर्मचारी हेतु कॉलोनियों का संधारण का कार्य एवं कार्यालय।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता (सिविल), मुख्यालय संभाग, रायपुर	राजधानी क्षेत्र विकास अधिकरण (काडा) के प्रस्तावित प्रशासनिक कार्यालय ब्लॉक विनिर्माण में सिविल कार्य से संबंधित कार्य एवं कार्यालय।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता (सिविल) संभाग, भिलाई	ईएचवी श्रेणी के उपकेन्द्रों, 33 के.व्ही. उपकेन्द्रों के विनिर्माण, संबद्ध कॉलोनियों का संधारण विषयक सिविल कार्यों के कार्य एवं कार्यालय।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता (सिविल) परियोजनाएँ, जगदलपुर	अधीक्षण अभियंता (सिविल) परियोजनाओं से परियोजना संबंधी कार्य हेतु संबद्ध। अधीक्षण अभियंता (सिविल) परियोजनाओं का कार्यालय उत्पादन कार्य के अंतर्गत है।
04	भण्डार का कार्य (टीएण्डडी)	कार्यालय, अधीक्षण अभियंता, भण्डार वृत्त, रायपुर	सामग्रियों की आवाप्ति, उपभोज्य सामग्री और प्रशासन तथा वृत्त भण्डारों / कार्यालय में पोषण और वितरण के लिए सामग्रियों का प्रबंधन।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, भण्डार संभाग, रायपुर	सामग्रियों की आवाप्ति, उपभोज्य सामग्री और प्रशासन तथा संभागीय भण्डारों / कार्यालयों में पोषण और वितरण के लिए सामग्रियों का प्रबंधन।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, भण्डार संभाग, भिलाई	सामग्रियों की आवाप्ति, उपभोज्य सामग्री और प्रशासन तथा संभागीय भण्डारों / कार्यालयों में पोषण और वितरण के लिए सामग्रियों का प्रबंधन।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, भण्डार संभाग, विश्रामपुर	सामग्रियों की आवाप्ति, उपभोज्य सामग्री और प्रशासन तथा संभागीय भण्डारों / कार्यालयों में पोषण और वितरण के लिए सामग्रियों का प्रबंधन।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, भण्डार संभाग, बिलासपुर	सामग्रियों की आवाप्ति, उपभोज्य सामग्री और प्रशासन तथा संभागीय भण्डारों / कार्यालयों में पोषण और वितरण के लिए सामग्रियों का प्रबंधन।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, भण्डार संभाग, रायगढ़	सामग्रियों की आवाप्ति, उपभोज्य सामग्री और प्रशासन तथा संभागीय भण्डारों / कार्यालयों में पोषण और वितरण के लिए सामग्रियों का प्रबंधन।
		कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, भण्डार संभाग, जगदलपुर	सामग्रियों की आवाप्ति, उपभोज्य सामग्री और प्रशासन तथा संभागीय भण्डारों / कार्यालयों में पोषण और वितरण के लिए सामग्रियों का प्रबंधन।
		एमटीआरयू संभाग, भिलाई	पारेषण एवं वितरण के लिए मीटरों का परीक्षण एवं अनुरक्षण।
05	अग्नि एवं सुरक्षा सेवाएँ	कार्यालय, मुख्य अग्नि सह सुरक्षा अधिकारी, मुख्यालय और उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के अंतर्गत समस्त क्षेत्रों के अग्नि एवं सुरक्षा कर्मचारी सहित	उत्पादन, पारेषण एवं वितरण के लिए अग्नि और सुरक्षा प्रबंधन।
06	एमआरटी संभाग, परीक्षण एवं संचार	परीक्षण एवं संचार वृत्त, रायपुर एमआरटी–I, संभाग	रायपुर नगर में ईएचटी उपभोज्य के मीटरों और रिले के परीक्षण एवं स्थापन।
		परीक्षण एवं संचार वृत्त, रायपुर एमआरटी–II, संभाग	नगर को छोड़कर शेष रायपुर में ईएचटी उपभोक्ताओं के मीटरों और रिले के परीक्षण एवं स्थापन।

		परीक्षण एवं संचार वृत्त, महासमुंद एमआरटी संभाग	महासमुंद क्षेत्र में ईएचटी उपभोक्ताओं के मीटरों और रिले के परीक्षण एवं स्थापन।
		परीक्षण एवं संचार वृत्त, भिलाई एमआरटी संभाग	भिलाई क्षेत्र में ईएचटी उपभोक्ताओं के मीटरों और रिले के परीक्षण एवं स्थापन।
		परीक्षण एवं संचार वृत्त, बिलासपुर एमआरटी संभाग	बिलासपुर क्षेत्र में ईएचटी उपभोक्ताओं के मीटरों और रिले के परीक्षण एवं स्थापन।
		परीक्षण एवं संवाद वृत्त, बिलासपुर, एमआरटी सह उपकेन्द्र संभाग, विश्रामपुर	क्षेत्र में ईएचटी उपभोक्ताओं के मीटरों और रिले के परीक्षण एवं स्थापन।
07	क्षेत्रीय लेखांकन कार्यालय (टीएण्डडी)	क्षेत्रीय लेखा कार्यालय रायपुर एवं दुर्ग क्षेत्र	रायपुर और दुर्ग क्षेत्रों में संचालन और संधारण से संबंधित वितरण का लेखा संधारण
		क्षेत्रीय लेखा कार्यालय राजनांदगांव क्षेत्र	राजनांदगांव क्षेत्र में संचालन और संधारण से संबंधित वितरण का लेखा संधारण
		क्षेत्रीय लेखा कार्यालय बिलासपुर क्षेत्र	बिलासपुर क्षेत्र में संचालन और संधारण से संबंधित वितरण का लेखा संधारण
		क्षेत्रीय लेखा कार्यालय अम्बिकापुर क्षेत्र	अम्बिकापुर क्षेत्र में संचालन और संधारण से संबंधित वितरण का लेखा संधारण
		क्षेत्रीय लेखा कार्यालय जगदलपुर क्षेत्र	जगदलपुर क्षेत्र में संचालन और संधारण से संबंधित वितरण का लेखा संधारण
08	स्वास्थ्य सेवाएँ	डंगनिया मुख्यालय डिस्पेन्सरी (औषधालय), रायपुर	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।
		गुढ़ियारी, रायपुर औषधालय	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।
		सीएसईबी औषधालय, भिलाई	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।
		एचटीपीएस अस्पताल, कोरबा (पश्चिम)	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।
		मुख्य अस्पताल, कोरबा (पूर्व)	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।
		सीएसईबी, औषधालय, बिलासपुर	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।
		सीएसईबी औषधालय, जगदलपुर	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।
		सीएसईबी औषधालय, माचाडोली	क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा।

भाग – तीन

सहभागित सेवाओं के रूप में चिन्हित कार्यालयों के स्वीकृत पदों का आबंटन

सचिवालय एवं मुख्यालय

पद	कुल स्वीकृत पद	उत्पादन कंपनी	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी	ट्रेडिंग कंपनी	होल्डिंग कंपनी
श्रेणी – I						
कार्य.निदे. (मा.सं.)	1	0	0	1	0	0
अति. महाप्रबं. / अति. सचिव	1	0	0	0	0	1
संयु. सचिव / उपमहाप्रबंधक + St. अधिकारी	4	1	1	1	0	1
प्रबंधक / उप सचिव	12	2	2	3	1	4
सत्कार अधिकारी (अधिक्षण अभियंता (टीएण्डडी) वर्ग का)	1	0	0	0	0	1
आईआरओ*	1	0	0	0	0	1
विधिक सलाहकार *	1	0	0	0	0	1
स्टॉफ ऑफिसर	4	1	1	1	0	1
वरिष्ठ विधि अधिकारी	1	0	0	0	0	1
वरिष्ठ प्रचार अधिकारी	2	1	0	0	0	1
जनसंपर्क अधिकारी	1	0	0	0	0	1
उपयोग	**29**	**5**	**4**	**6**	**1**	**13**
श्रेणी – II						
सहायक प्रबंधक / सहायक अभियंता	7	1	1	2	1	2
प्रचार अधिकारी	1	0	0	1	0	0
ग्रंथपाल	1	0	0	0	0	1
कल्याण अधिकारी	1	0	0	1	0	0
विधि अधिकारी	2	1	0	1	0	0
प्रशासनिक अधिकारी	6	1	1	2	1	1
निज सचिव	5	1	1	1	1	1
उपयोग	**23**	**4**	**3**	**8**	**3**	**5**
श्रेणी – III						
कनिष्ठ अभियंता (टीएण्डडी)	1	0	1	0	0	0
निज सहायक	5	1	1	1	1	1
अनुभाग अधिकारी	3	1	0	1	0	1
प्रचार सहायक	1	0	0	1	0	0
वरिष्ठ शीघ्रलेखक	5	1	1	1	1	1
कार्या.सहा. वर्ग–I	7	1	1	1	1	3
कार्या. सहा.–II	14	3	3	3	2	3
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	3	1	1	0	0	1
कार्या. सहा. वर्ग–III	14	3	3	3	2	3
छायाकार	1	0	0	0	0	1
उपयोग	**54**	**11**	**11**	**11**	**7**	**14**
[illegible]						
भृत्य	16	2	1	2	1	10
उपयोग	**16**	**2**	**1**	**2**	**1**	**10**
कुल योग	**122**	**22**	**19**	**27**	**12**	**42**

* उपलब्ध होगा समस्त उत्तरदायी कम्पनियों को।

वित्त एवं लेखा

पद	वर्तमान स्वीकृत	उत्पादन कंपनी	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी	ट्रेडिंग कंपनी	होल्डिंग कंपनी
श्रेणी – I						
कार्यपालक निदेशक (वित्त)/ महाप्रबंधक (वित्त)	3	1	0	1	0	1
अति.महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	5	1	1	1	1	1
उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	11	3	1	5	0	2
प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	13	4	2	4	1	2
योग – श्रेणी – I	**32**	**9**	**4**	**11**	**2**	**6**
श्रेणी – II						
सहायक प्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	26	7	5	8	2	4
निज सचिव	1	1	0	0	0	0
योग – श्रेणी – II	**27**	**8**	**5**	**8**	**2**	**4**
श्रेणी – III						
वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	0	1	0	0
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	3	1	0	1	0	1
अनुभाग अधिकारी	31	9	5	12	1	4
कार्या. सहा. वर्ग–I	43	11	9	15	2	6
कार्या. सहा. वर्ग–II	74	22	14	29	1	8
कार्या. सहा. वर्ग–III	20	6	4	5	1	4
चालक	1	0	0	1	0	0
योग – श्रेणी – III	**173**	**49**	**32**	**64**	**5**	**23**
श्रेणी – IV						
दफ्तरी	4	1	1	2	0	0
भृत्य / फर्राश	16	4	3	4	2	3
योग – श्रेणी – IV	**20**	**5**	**4**	**6**	**2**	**3**
कुल योग	**252**	**71**	**45**	**89**	**11**	**36**

सिविल प्रकार्य (टीएण्डडी)

मुख्य अभियंता (सिविल) टीएण्डडी कार्यालय, रायपुर

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I			
मुख्य अभियंता	1	1	0
अतिरिक्त मुख्य अभियंता	1	0	1
अधीक्षण अभियंता	4	3	1
कार्यपालन अभियंता	10	6	4
वास्तुविद् सह नगर नियोजक	1	1	0
उपयोग	**17**	**11**	**6**
श्रेणी – II			
प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
सहायक वास्तुविद्	1	1	0
निज सचिव	1	1	0
उपयोग	**3**	**3**	**0**
श्रेणी – III			
कनिष्ठ अभियंता	2	1	1
वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0

कनिष्ठ शीघ्रलेखक	2	1	1
अनुभाग अधिकारी	1	1	0
कार्यालय सहायक वर्ग–I	1	1	0
कार्यालय सहायक वर्ग–II	4	2	2
कार्यालय सहायक वर्ग–III	3	2	1
प्रधान उपप्रबंधक	1	1	0
वरिष्ठ उपप्रबंधक	2	1	1
उपप्रबंधक	1	1	0
अतिरिक्त उपप्रबंधक	2	1	1
डी.ओ.ए. वर्ग–I	3	2	1
कार चालक	1	1	0
उपयोग	**24**	**16**	**8**
श्रेणी – IV			
डी.ओ.ए. वर्ग–II	1	1	0
दफ्तरी	1	1	0
भृत्य	4	2	2
उपयोग	6	4	2
कुल योग	**50**	**34**	**16**

सिविल (टीएण्डडी) जगदलपुर क्षेत्र

पद	कुल स्वीकृत पद	उत्पादन कंपनी	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I				
अधीक्षण अभियंता सिविल	1	1	0	0
कार्यपालन अभियंता सिविल	2	1	1	0
उपयोग	**3**	**2**	**1**	**0**
श्रेणी – II				
सहायक अभियंता सिविल	3	0	2	1
उपयोग	**3**	**0**	**2**	**1**
श्रेणी – III				
कनिष्ठ अभियंता सिविल	4	0	3	1
कार्यालय सहायक वर्ग–I	1	0	1	0
कार्यालय सहायक वर्ग–II	2	0	2	0
कार्यालय सहायक वर्ग–III	2	0	2	0
सहायक वर्ग–II सिविल	1	0	1	0
डी.ओ.ए. वर्ग–I	1	0	1	0
उपयोग	**11**	**0**	**10**	**1**
श्रेणी – IV				
परिचारक श्रेणी–I	4	0	3	1
परिचारक श्रेणी–II	32	0	26	6
परिचारक श्रेणी–III	2	0	2	0
भृत्य	2	0	2	0
उपयोग	**38**	**0**	**31**	**7**
कुल योग	**57**	**2**	**46**	**9**

टीप :– अधीक्षण अभियंता कार्यालय सिविल (परियोजनाएँ), जगदलपुर को, जैनको को आबंटित किया जा चुका है, जबकि कार्यपालन अभियंता (सिविल) टीएण्डडी संभाग, जगदलपुर जिसमें सिविल टीएण्डडी उपसंभाग, जगदलपुर भी सम्मिलित है, को पारेषण कंपनी और वितरण कंपनी के मध्य सहभागित रखा गया है।

सिविल बिलासपुर क्षेत्र

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I			
अधीक्षण अभियंता सिविल	1	0	1
कार्यपालन अभियंता सिविल	6	4	2
उपयोग	7	4	3
श्रेणी – II			
सहायक अभियंता सिविल	6	4	2
सहायक अभियंता सिविल प्रशिक्षु	0	0	0
उपयोग	6	4	2
श्रेणी – III			
कनिष्ठ अभियंता सिविल	6	4	2
कनिष्ठ अभियंता सिविल प्रशिक्षु	0	0	0
अनुभाग अधिकारी	1	1	0
सहायक ड्राफ्टमेन	2	1	1
डी.ओ.ए. वर्ग–I	3	3	0
सिविल पर्यवेक्षक वर्ग–II	1	1	0
सहायक वर्ग–I सिविल	2	1	1
सहायक वर्ग–II सिविल	7	4	3
वाहन चालक	8	5	3
भारी वाहन चालक	1	0	1
वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0
कार्यालय सहायक–I	3	2	1
कार्यालय सहायक–II	13	8	5
कार्यालय सहायक–III	7	6	1
उपयोग	55	37	18
श्रेणी – IV			
परिचारक वर्ग–I सिविल	6	4	2
परिचारक वर्ग–II सिविल	94	54	40
परिचारक वर्ग–III सिविल	4	3	1
हेल्पर	5	3	2
खानसामा	2	1	1
वाहन सफाईकार	3	2	1
फर्राश	0	0	0
माली	3	2	1
दफ्तरी	1	1	0
स्वीपर	3	2	1
भृत्य	4	4	0
उपयोग	125	76	49
कुल योग	193	121	72

सिविल (टीएण्डडी) रायपुर क्षेत्र

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I			
अधीक्षण अभियंता सिविल	1	1	0
कार्यपालन अभियंता सिविल	9	5	4
उपयोग	**10**	**6**	**4**
श्रेणी – II			
सहायक अभियंता सिविल	13	6	7
उपयोग	**13**	**6**	**7**
श्रेणी – III			
कनिष्ठ अभियंता सिविल	6	3	3
ड्राफ्टसमेन	1	1	0
पर्यवेक्षक वर्ग–II सिविल	1	0	1
पर्यवेक्षक वर्ग–III सिविल	0	0	0
सफाई निरीक्षक	0	0	0
सहायक ड्राफ्टसमेन	2	1	1
डी.ओ.ए. वर्ग–I	4	2	2
सिविल सहायक वर्ग–I	3	1	2
सिविल सहायक वर्ग–II	10	5	5
ट्रैक्टर ट्रेलर चालक	2	1	1
अनुभाग अधिकारी	1	1	0
वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1
कार्यालय सहायक वर्ग–I	3	1	2
कार्यालय सहायक वर्ग–II	16	8	8
कार्यालय सहायक वर्ग–III	13	6	7
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	2	1	1
चालक	13	6	7
सफाईकर्ता	7	4	3
उपयोग	**85**	**41**	**44**
श्रेणी – IV			
सिविल परिचारक वर्ग–I	12	6	6
सिविल परिचारक वर्ग–II	141	68	73
सिविल परिचारक वर्ग–III	23	10	13
दफ्तरी	1	1	0
खानसामा	3	2	1
भृत्य	8	4	4
हेल्पर	3	2	1
फर्राश	1	1	0
माली	3	2	1
स्वीपर	9	4	5
उपयोग	**204**	**100**	**104**
कुल योग	**312**	**153**	**159**

भण्डार – कार्य (टीएण्डडी)

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I			
अधीक्षण अभियंता (टीएण्डडी)	1	0	1
कार्यपालन अभियंता (टीएण्डडी)	8	2	6
उपयोग	9	2	7
श्रेणी – II			
सहायक अभियंता (टीएण्डडी)	0	0	0
लेखा अधिकारी	1	0	1
उपयोग	1	0	1
श्रेणी – III			
अनुभाग अधिकारी	7	1	6
कनिष्ठ अभियंता (टीएण्डडी)	6	1	5
टी.ए. वर्ग–I	1	0	1
टी.ए. वर्ग–II	14	3	11
वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	4	1	3
कार्यालय सहायक वर्ग–I	2	0	2
कार्यालय सहायक वर्ग–II	30	5	25
कार्यालय सहायक वर्ग–III	65	11	54
एस.के. – II	6	1	5
वाहन चालक	4	0	4
क्रेन संचालक	6	1	5
स्टेना / टायपिस्ट	0	0	0
सहायक डीएम	0	0	0
टीएस वर्ग–II	1	0	1
चालक	6	0	6
भण्डार सहायक	26	4	22
उपयोग	**179**	**28**	**151**
श्रेणी–IV			
परिचारक वर्ग–I (एल)	4	0	4
परिचारक वर्ग–II (एल)	115	18	97
परिचारक वर्ग–II (संविदा)	0	0	0
परिचारक वर्ग–III (एल)	70	11	59
एम.क्लीनर	7	1	6
दफ्तरी	4	1	3
भृत्य	16	2	14
उपयोग	**216**	**33**	**183**
कुल योग	**405**	**63**	**342**

अग्नि एवं सुरक्षा सेवाएँ

पद	कुल स्वीकृत पद	उत्पादन कंपनी	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I				
मुख्य अग्नि सह सुरक्षा अधि.	1	1	0	0
वरिष्ठ सुश्रक्षा अधि.	1	0	0	1
वरिष्ठ अग्नि अधि.	1	1	0	0
योग	**3**	**2**	**0**	**1**
श्रेणी – II				
अग्नि अधिकारी	1	1	0	0
सुरक्षा अधिकारी	3	3	0	0
योग	**4**	**4**	**0**	**0**
श्रेणी – III				
उप अग्नि अधिकारी	8	8	0	0
लीडिंग फायरमेन	8	8	0	0
फायरमेन	32	32	0	0
सहायक अग्नि अधि.	2	2	0	0
अनुभाग निरीक्षक	5	4	0	1
अनुभाग उप निरीक्षक	17	16	0	1
एच.डी. अनुभाग गार्ड / एच.डी. आरक्षक	39	36	1	2
योग	**111**	**106**	**1**	**4**
श्रेणी – IV				
वरिष्ठ अनुभाग गार्ड	173	62	45	66
अनुभाग गार्ड	519	184	91	244
योग	**692**	**246**	**136**	**310**
कुल योग	**810**	**358**	**137**	**315**

एम.आर.टी संभाग, परीक्षण एवं संवाद (टीएण्डडी)

टीएण्डसी वृत्त, रायपुर (एमआरटी संभाग) तथा एमआरटी सह उपकेन्द्र संभाग, जगदलपुर

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I			
कार्यपालन अभियंता	4	2	2
उपयोग	**4**	**2**	**2**
श्रेणी – II			
सहायक अभियंता (टीएण्डडी)	22	16	6
उपयोग	**22**	**16**	**6**
श्रेणी – III			
कनिष्ठ अभियंता (टीएण्डडी)	4	1	3
टी.एस. वर्ग–II	19	16	3
टी.ए. वर्ग–I	27	21	6
चालक	8	5	3
कार्यालय सहायक वर्ग–II	5	3	2
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	4	2	2
कार्या. सहा. वर्ग–III	8	4	4
टी.ए. वर्ग–II	41	35	6
उपयोग	**116**	**87**	**29**

श्रेणी – IV			
परिचारक वर्ग–I (एल)	4	1	3
परिचारक वर्ग–II (एल)	30	27	3
स्वीपर	7	5	2
भृत्य	5	2	3
उपयोग	46	35	11
कुल योग	188	140	48

टीएण्डसी वृत्त, भिलाई (एमआरटी संभाग)

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी – I			
कार्यपालन अभियंता	1	1	0
उपयोग	1	1	0
श्रेणी – II			
सहायक अभियंता (टीएण्डडी)	4	4	0
उपयोग	4	4	0
श्रेणी – III			
कनिष्ठ अभियंता (टीएण्डडी)	2	2	0
टीएस वर्ग–II	3	3	0
टीए वर्ग–I	3	3	0
सहायक वर्ग–II (एल)	0	0	0
चालक	3	3	0
कार्यालय सहायक वर्ग–II	1	1	0
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	1	1	0
कार्यालय सहायक वर्ग–III	2	2	0
टीए वर्ग–II	3	3	0
उपयोग	18	18	0
श्रेणी – IV			
परिचारक वर्ग–I (एल)	0	0	0
परिचारक वर्ग–II (एल)	3	3	0
भृत्य	1	1	0
उपयोग	4	4	0
कुल योग	27	27	0

टीएण्डसी वृत्त, बिलासपुर (एमआरटी संभाग) तथा एमआरटी सह उपकेन्द्र संभाग, विश्रामपुर

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी–I			
कार्यपालन अभियंता	3	3	0
उपयोग	3	3	0
श्रेणी–II			
सहायक अभियंता (टीएण्डडी)	17	17	0
उपयोग	17	17	0
श्रेणी–III			
कनिष्ठ अभियंता (टीएण्डडी)	2	2	0
एस/एस पर्यवेक्षक	1	1	0
टीएस वर्ग–I	1	1	0
टीएस वर्ग–II	22	22	0
टीए वर्ग–I	32	32	0
टीए वर्ग–II	43	43	0

एलए वर्ग–II	6	6	0
वाहन चालक	2	2	0
कार्यालय सहायक वर्ग–I	2	2	0
कार्यालय सहायक वर्ग–II	3	3	0
कनिष्ठ शीघ्रलेखक	3	3	0
कार्यालय सहायक वर्ग–III	6	6	0
उपयोग	**123**	**123**	**0**
श्रेणी–IV			
परिचारक वर्ग–I	1	1	0
परिचारक वर्ग–II	29	29	0
भृत्य	6	6	0
माली	2	2	0
स्वीपर	3	3	0
उपयोग	**41**	**41**	**0**
कुल योग	**184**	**184**	**0**

क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों (टीएण्डडी)

पद	कुल स्वीकृत पद	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
वरिष्ठ लेखाधिकारी	3	0	3
योग	**3**	**0**	**3**
लेखाधिकारी	12	3	9
योग	**12**	**3**	**9**
अनुभाग अधिकारी	27	5	23
कार्यालय सहायक वर्ग–I	52	9	43
कार्यालय सहायक वर्ग–II	127	27	100
कार्यालय सहायक वर्ग–III	82	18	64
योग	**288**	**59**	**230**
दफ्तरी	12	2	10
भृत्य	26	4	22
योग	**38**	**6**	**32**
कुल योग	**341**	**68**	**274**

स्वास्थ्य सेवाएँ :–

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्वीकृत कर्मचारी पद एतद् द्वारा होल्डिंग कम्पनी को आबंटित किए जाते हैं और दिए गए प्रबंध के अनुसार उत्पादन, पारेषण और वितरण के प्रशासनिक नियंत्रण में निर्दिष्ट किए जाते हैं :–

पद	कुल स्वीकृत पद	उत्पादन कंपनी	पारेषण कंपनी	वितरण कंपनी
श्रेणी–I				
मुख्य चिकित्सा अधि.	1	1	0	0
अति. मुख्य चिकित्सा अधि.	2	0	1	1
वरिष्ठ चिकित्सा अधि.	6	2	1	3
उपयोग	**9**	**3**	**2**	**4**
श्रेणी–II				
चिकित्सा अधि.	20	15	1	4
उपयोग	**20**	**15**	**1**	**4**
श्रेणी–III				
लैब टेक्निशियन	6	4	1	1
रेडियोग्राफर	4	4	0	0
मैट्रान	1	1	0	0
परिचारिका	2	2	0	0
फिजियोथैरेपिस्ट	1	1	0	0
कम्पाउण्डर / फारमासिस्ट	21	16	1	4
स्टॉफ परिचारिका	43	40	1	2
ईसीजी टेक्निशियन	2	2	0	0
ड्रेसर	8	6	1	1
ए.एन.एम.	9	7	0	2
उपयोग	**97**	**83**	**4**	**10**
श्रेणी–IV				
वार्ड आया / परिचारक	16	16	0	0
वार्ड ब्वॉय / उमेन	21	20	0	1
उपयोग	**37**	**36**	**0**	**1**
कुल योग	**163**	**137**	**7**	**19**

अनुसूची – सात

परिवेदना समिति का गठन

(i) उत्तरवर्ती कम्पनियों में कार्मिकों के स्थानांतरण और संविलियन पर अभ्यावेदन प्राप्त करने और अनुशंसा देने के लिए राज्य शासन एतद् द्वारा एक समिति गठित करती है। इस समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

- प्रबंध निदेशक, होल्डिंग कंपनी – समिति के अध्यक्ष सह संयोजक
- प्रबंध निदेशक, (उत्पादन कंपनी) – सदस्य
- प्रबंध निदेशक, (पारेषण कंपनी) – सदस्य
- प्रबंध निदेशक, (वितरण कंपनी) – सदस्य
- प्रबंध निदेशक, (ट्रेडिंग कंपनी) – सदस्य

(ii) इस समिति की कार्यावधि, अधिसूचना के दिनांक से 31 दिसम्बर, 2010 तक, अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित की जानेवाली किसी अन्य तिथि तक प्रवृत्त होगी।

परिवेदना समिति के कार्य एवं दायित्व

(i) इस समिति का उद्देश्य होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल (एतस्मिन पश्चात् मण्डल के रूप में संदर्भित) के समस्त कर्मचारियों के अभ्यावेदनों / हितों पर ध्यान दें तथा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 133 में यथाविनिर्दिष्ट (कार्मिक उत्तरदायी कम्पनियों के अधीन सुनिश्चित करें कि) अपने पद अथवा सेवा उन शर्तों और दशाओं के अनुसार धारित करें जो कि स्कीम के अनुरूप हों, परन्तु स्थानांतरण होने पर ऐसी शर्तें और दशाएँ, किसी भी प्रकार से उससे कम अनुकूल न हों जो कि उन पर वैसी दशा में लागू होगी, यदि इस स्कीम के अंतर्गत स्थानांतरण नहीं हुआ होता।

(ii) कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन / परिवेदनाएँ प्राप्त होने पर समिति उनके निपटान हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों / मानदण्डों का क्रमानुसार अनुसरण करेगी।

- प्रथम मापदंड होगा – 'प्रतिकार' (क्विड–प्रो–क्यो), जिसमें कि समान स्तर के कर्मचारी शेष उत्तरवर्ती कम्पनियों के एक जैसे पदों पर स्थानांतरित किए जाते हैं, उन्हें अपने संबंधित स्थानांतरणों को सीएसपीएचसीएल, सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, सीएसपीडीसीएल और सीएसपीट्रेडको, जैसा भी प्रकरण हो, में आपस में अदला–बदली करने का विकल्प दिया जावेगा।
- प्रथम मापदंड पूर्ण न किए जाने की स्थिति में, यह समिति परिवेदना को उत्तरवर्ती कम्पनियों में पदों की उपलब्धता को दृष्टिगोचर रखते हुए निराकृत कर सकेगी, जो कि आवेदक की वरिष्ठता, अनुभव के वर्षों और विकल्प के तौर पर दिए गए चक्रानुक्रम (रोस्टर) निर्मित करने और परिवेदनाओं के निष्पादन हेतु यथोचित् मानदण्ड विकसित करावेगी।

- पदों की अनुपलब्धता की अवस्था में समिति उत्तरदायी कम्पनियों के प्रबंध निदेशकों की सहमति से पदों को निर्मित करने के विकल्प पर विचार करेगी। तथापि, इसे समस्त सम्यक् विकल्प विफल हो जाने पर अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाना चाहिए।

(iii) समिति यह सुनिश्चित करेगी कि उत्तरवर्ती कम्पनियों में से प्रत्येक के सुचारू संचालन हेतु आयु और अनुभव की दृष्टि से कार्मिकों का सम्यक् संतुलन बनाए रखा जा सके। समिति प्रकरणों के गुण–अवगुण पर आधारित निराकरण करते समय किसी अध्ययन, यदि कोई किया गया हो, तो उसके परिणामों का उपयोग कर सकेगी और कार्मिकों हेतु आदर्श कार्य मापदण्डों अथवा उत्तरवर्ती कम्पनियों के लिए प्रस्तावित संगठनात्मक संरचना के विषय में सुझाव दे सकेगी।

(iv) जहां तक व्यवहार्य होगा, समिति अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रकरणों में उन्हें उनके गृहनगर के समीप पदांकित करने की सुविधा पर विचार करेगी और जहाँ पति–पत्नी दोनों ही कर्मचारी हैं, उन्हें एक ही स्थान पर पदांकित करा सकेगी।

(v) उपर्युक्त उद्देश्य हेतु समिति उसे संदर्भित किए गए मुद्दों के निराकरण हेतु उचित और सम्यक् समझी जाने वाली सहायता का निवेदन कर सकेगी।

(vi) इस समिति के निर्णय समस्त पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2010

क्रमांक एफ 21/13/2009/13/2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 31 मार्च, 2010 को अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
उमेश अग्रवाल, संयुक्त सचिव.

Raipur the 31st March 2010

NOTIFICATION

No. F-21/13/2009/13/2: In exercise of the powers conferred by Section 131 read with sub-section (1) and (2) of Section 133 of the Electricity Act, 2003 (Central Act 36 of 2003), State Government in consultation with the Governor of Chhattisgarh had issued the Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules, 2008 in regard to the transfer of properties, Undertakings, interests, rights, obligations, liabilities, personnel and proceedings from Chhattisgarh State Electricity Board to its Successor Companies viz., Chhattisgarh State Power Generation Company Ltd., Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Chhattisgarh State Power Trading Company Limited and Chhattisgarh State Power Holding Company Limited. The State Government, hereby issues the revised Scheme in supersession of the Scheme notified vide notification No. F1-8/2008/13/1 dated the 19th December, 2008, and as amended from time to time.

THE CHHATTISGARH STATE ELECTRICITY BOARD TRANSFER SCHEME RULES, 2010

1. **Short title, extent and commencement:-**(i) This Scheme may be called the Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules, 2010,
(ii) This Scheme shall extend to the whole of the State of Chhattisgarh.
(iii) It shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2009.

Notwithstanding the above, any action or decision taken pursuant to the provisions included in the Scheme superceded through this notification shall be valid and binding on the concerned parties.

2. **Application of Scheme to the Assets and Liabilities:** The Scheme shall apply to the assets, properties, interests, undertakings, rights and liabilities, proceedings and personnel of the Board within and outside the State.

3. **Definitions**: In this Scheme, unless the context otherwise requires:

(a) **"Accounting Procedures"** shall mean the arrangement to be put in place by the Holding Company during the Transition Period in accordance with Rule 12 of this Scheme;

(b) **"Act"** means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(c) **"Appointed Date"** means the date of 01 January, 2009 for effecting transfer of functions, properties, interests, undertaking, rights and liabilities, proceedings or personnel of the Board to the relevant Transferees in accordance with the Act and this Scheme for all objects and purposes under this Scheme.

(d) "**Board**" means Chhattisgarh State Electricity Board constituted under Section 5 (i) of the Electricity (Supply) Act, 1948 (54 of 1948) which is also functioning as deemed State Transmission Utility and a Licensee as per Section 172(a) of the Electricity Act, 2003;

(e) "**Cash Flow Arrangement**" shall mean the arrangement to be put in place by the Holding Company during the Transition Period in accordance with Rule 12 of this Scheme;

(f) "**Company**" means a company formed and registered under the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes any body corporate under a Central, State or Provincial Act;

(g) "**Distribution Company**" or "**CSPDCL**" means the Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 with the main object of distribution and supply of electricity;

(h) "**Existing Employees**" shall mean all the Personnel who have joined the service in the Board before 01 January 2004;

(i) "**Existing Pensioner**" means all the persons eligible for the pension as on the Appointed Date from the Board and shall include family members of the Existing Pensioner;

(j) "**Generation Company**" or "**CSPGCL**" means the Chhattisgarh State Power Generation Company Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 with the main object of operation and maintenance of existing power generation plants as well as installation of new power plants in Chhattisgarh State;

(k) "**Grievance Committee**" means a Committee as mentioned in Rule 8B (b) of this Scheme;

(l) "**Holding Company**" or "**CSPHCL**" means the Chhattisgarh State Power Holding Company Limited, a company to be incorporated under the Companies Act, 1956 with the main object of undertaking the coordination activities between Generation Company, Distribution Company, Transmission Company and Trading Company for smooth functioning of the above mentioned Successor Companies and to function as an investment company to all the above Successor Companies;

(m) "**Liabilities**" means all liabilities, debts, duties, obligations and other outgoings including statutory liabilities and Government levies of whatever nature and contingent liabilities which may arise in regard to the dealings before the Appointed Date in respect of the Undertakings transferred under this Scheme;

(n) "**New Recruits**" shall mean all the Personnel, who have joined the service of the Board / any Successor Company on or after 01 January 2004 including trainees;

(o) "**Personnel**" means workmen, employees, staff and officers of the Board by whatever name called and includes trainees, if any for the recruitment in the Board and those on deputation from the Board to other organizations or institutions but

shall exclude the employees on deputation to the Board from other organizations or institutions;

(p) "**Primary Services**" mean the offices which are providing services directly related to any one of the Successor Companies and the total Personnel working in such offices allocated to the relevant Successor Company on as –is where is basis;

(q) "**Proceeding**" means the proceedings of whatever nature including suits, appeals, complaints, petitions, applications, conciliatory, arbitration whether civil or criminal or otherwise;

(r) "**Property**" means all assets including power systems, generating stations, transmission and distribution systems, dams, tunnels, plant, machinery, land, building, offices, stores, furniture, fixtures, vehicles, residential quarters and guest houses and amenities and installations pertaining and attached thereto and other movable and immovable assets, cash in hand, cash at bank, investments, book debts- corporeal and incorporeal, tangible and intangible assets, benefits, licenses, consents, authorities, registrations patents, trade marks and powers of every kind, nature and description whatsoever, privileges, liberties, easements, advantages, benefits and approvals, contracts, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments and interest of whatever nature and wherever situated;

(s) **"SLDC"** means the State Load Despatch Centre, the centre established under Sub-section (1) of Section 31 of the Act;

(t) "**Schedule**" means the Schedules appended to this Scheme;

(u) **"Scheme"** means this Chhattisgarh State Electricity Board Transfer Scheme Rules, 2010;

(v) **"Shared Services"** means the offices which are providing services directly or indirectly to more than one of the Successor Companies and as detailed in Part II of Schedule VI of this Scheme;

(w) **"State"** means the State of Chhattisgarh;

(x) **"State Government"** means the State Government of Chhattisgarh;

(y) **"Successor Companies"** mean Chhattisgarh State Power Holding Company Limited (hereinafter referred to as "CSPHCL" or the "Holding Company"), Chhattisgarh State Power Generation Company Limited (hereinafter referred to as "CSPGCL" or the "Generation Company"), Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (hereinafter referred to as "CSPDCL" or the "Distribution Company"), Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (hereinafter referred to as "CSPTCL" or the "Transmission Company"), and Chhattisgarh State Power Trading Company Limited (hereinafter referred to as "Trading Company" or "CSPTradeco") as the case may be, in whom the functions and Undertakings of the Board are vested in terms of the provisions of the Act read with the provisions of the Scheme.

(z) "**Terminal Benefits**" mean the gratuity, pension, dearness allowances and other applicable relief, medical benefit, and other applicable benefits including the right

to have the appropriate revisions in the above benefits consistent with the practice that were prevalent in the Board;

(aa) **"Trading Company"** or **"CSPTradeco"** means the Chhattisgarh State Power Trading Company Limited, a company incorporated under the Companies Act-1956 with the main object of undertaking the trading of electricity;

(ab) **"Trading Representative"** means the authorization to the Trading Company granted by the Government of Chhattisgarh to purchase power from IPPs / CPPs and to sell such power contracted on behalf of the State Government of Chhattisgarh;

(ac) "**Transferee**" means Transmission Company or Generation Company or Distribution Company or Trading Company or Holding Company, as the case may be,. in whom the functions and Undertakings of the Board are vested in terms of the provisions of the Act read with this Scheme;

(ad) **"Transition Period"** means the period beginning 1st January 2009 and ending on 31st March 2010 or any other date as may be notified by the State Government;

(ae) "**Transmission Company**" or **"CSPTCL"** means the Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, a company incorporated under the Companies Act-1956 with the main object of undertaking the transmission of electricity in the State of Chhattisgarh and to function as State Transmission Utility and perform SLDC functions as per the provisions of the Act;

(af)"**Undertaking**" means the functions of the Board and a block or blocks of properties, interest, rights and liabilities to the extent and in the manner specified as a part of the undertakings and such other properties, interest, rights and Liabilities, Personnel and Proceeding as specified in this Scheme relevant to the functions.

4. Words and expressions used in this Scheme but not specifically defined in this Scheme shall have the same meaning as assigned to them in the Act.

5. **Classification of Undertakings of the Board** (a) The Undertakings of the Board are classified in the following Schedules:

(i) Generation Undertaking as set out in Schedule – 'I';
(ii) Transmission Undertaking (along with functions of the State Transmission Utility and SLDC) as set out in Schedule - 'II'.
(iii) Distribution Undertaking as set out in Schedule – 'III';
(iv) Trading Undertaking as set out in Schedule – 'IV';
(v) Holding Undertaking as set out in Schedule- 'V'

(b) If the assets of the Undertaking under sub-Rule 5(a) are subject to security documents or arrangements in favour of third parties for any financial assistance or obligation taken by the Board and the liabilities in respect thereof are to be classified in different Undertakings, the State Government may by order to be issued for the purpose, provide for the apportionment of the Liabilities secured by such properties, assets and rights between the different Undertakings and upon such apportionment, the security shall be applicable to the extent of apportioned liability.

6. **Transfer of Property to the State:** - (a) In accordance with the Section 131 (1) of the Act, on and from the Appointed Date, 1st January 2009, the properties and all interests, rights, Liabilities and Proceedings of the Board as specified in Schedules 'I' to 'V' shall stand transferred to and vested in the State Government for the purposes of further transfers under this Scheme except to the extent specified hereunder.

(b) Nothing in sub-Rule 6(a) shall apply to rights, responsibilities, liabilities and obligations in respect of the Personnel and Personnel related matters including statutory dues such as salary, wages, gratuity, pension, provident fund, compensation, terminal and retirement benefits and the same shall be dealt in the manner provided under Rule 8 of this Scheme.

(c) The State Government hereby retains the ownership of the power contracted either directly or through the Holding Company or the Distribution Company from the various IPPs and CPPs in the State as on the Appointed Date and thereafter. Such agreements shall vest with the State Government of Chhattisgarh.

(d) For the Transition Period, the surplus revenues from the sale of power as specified above, by the Holding Company on behalf of the State Government, after paying for the cost of power purchased and any other incidental expenses incurred in relation to the sale of such power and retaining the commission (if any) for the services rendered by the Trading Company as the Trading Representative, shall be invested by State Government in the Holding Company, which shall in turn invest as equity in the other Successor Companies as per the directives of the State Government.

(e) For the period subsequent to the Transition Period, sixty percent (60%) of the surplus revenues from the sale of power by the State Government through its Trading Representative, after paying for the cost of power purchased and any other incidental expenses incurred in relation to the sale of power and retaining the commission (if any) for the services rendered by the Trading Company as the Trading Representative, shall be remitted to the Holding Company as equity contribution by the State Government, and the balance remitted in the account head decided by the Finance Department within 30 days from the end of every financial year. The Holding Company shall in turn invest this equity in the other Successor Companies as per the directives of the State Government.

7. **Transfer of undertaking by the State** (a) The Undertaking forming part of generation undertaking as set out in Schedule – 'I' shall stand transferred to and vested in Generation Company on and from the Appointed Date subject to the terms and conditions specified in the Act and this Scheme.

(b) The Undertaking forming part of transmission undertakings along with functions of State Transmission Utility (STU) as set out in Schedule – 'II' shall stand transferred to and vested in Transmission Company on and from the Appointed Date subject to the terms and conditions specified in the Act and this Scheme.

(c) The Undertaking forming part of distribution undertaking as set out in Schedule 'III' shall stand transferred to and vested in the Distribution Company on and from the Appointed Date subject to the terms and conditions specified in the Act and the Scheme.

(d) The Undertakings forming part of trading Undertakings as set out in Schedule 'IV' shall stand transferred to and vested in the Trading Company on and from the Appointed Date subject to the terms and conditions specified in the Act and the Scheme.

(e) The Undertakings forming part of Holding Company undertaking as set out in Schedule 'V' shall stand transferred to and vested in the Holding Company on and from the Appointed Date subject to the terms and conditions specified in the Act and the Scheme.

(f) On such transfer and vesting of the Undertakings in terms of sub-Rules 7(a), 7(b), 7(c), 7(d) and 7(e) of this Scheme and except as otherwise provided, the respective Transferee, shall be responsible for all functions, contracts, rights, deeds, schemes, bonds, agreements and other instruments of whatever nature relating to the respective Undertakings transferred to it to which the Board was a party, subsisting or having effect on the Appointed Date, in the same manner as the Board was liable immediately before the Appointed Date, and the same shall remain in force and effect against or in favour of the respective Transferee and may be enforced effectively as if the respective Transferee had been a party thereto instead of the Board.

(g) As consideration for the transfer and vesting of assets and liabilities to the Transferees as specified in this Scheme, the State Government and / or any Company will be issued shares and/ or instruments as may be decided by State Government

(h) The transfer to and vesting of the Undertakings to the Transferees in terms of this Scheme shall take effect immediately on the Appointment Date notwithstanding that the value of such Undertaking have not been determined and shall be determined at a later date.

(i) The value of the assets to be transferred to the Transferees shall be the fair value determined in any one or more of the following basis.
   (i) Revenue earning potential, or
   (ii) Depreciated replacement value, or
   (iii) Book value

(j) The opening balance sheet of the Transferees may be finalized and notified by the State government at any time during the provisional period of forty eight months from the Appointed Date as mentioned in Rule 11 of this Scheme.

8. Transfer of Personnel - (a) The transfer of Personnel shall be subject to the terms and conditions contained in Section 133 and Section 134, of the Act.

(b) Under this scheme :- i. On the Appointed Date, the Personnel of the Board shall stand assigned to the services of the Generation Company, Distribution Company, Transmission Company, Holding Company and Trading Company as the case may be, on as is where is basis, namely, that they will continue to serve in the place where they are working on the Appointed date, till further orders of the State Government.

ii. The sanctioned posts of the grade of Section Officer and above (including posts of equivalent grade) of the respective cadres of the Primary Services of

erstwhile CSEB, which for the purpose of promotions only have been identified as common cadres, are hereby allocated to the Successor Companies on as is where is basis. However, there shall continue to be a common cadre for next 48 months from the Appointed Date only for the purpose of promotions, which shall be administered by Holding Company. However, for day to day service matters which include transfers, postings, etc., the Personnel shall stand assigned under the administrative control of such Successor Companies.

iii. The State Government hereby allocates the Primary Services of the erstwhile Board to the Generation Company, Transmission Company and Distribution Company as set out in Part I to Schedule VI.

(c) All Proceedings including disciplinary proceedings pending against the Personnel prior to the Appointed Date which may relate to misconduct, lapses or acts of commission or omission committed before the Appointed Date, shall not abate and shall be continued by the relevant Transferee.

(d) The Personnel transferred to the Transferees, shall be deemed to have entered into an agreement with the Transferee concerned to repay loans, advances and other sums due or otherwise perform obligations undertaken by them to the Board which remain outstanding as on the Appointed Date, on the same terms and conditions as contained in the arrangement with the Board.

(e) Nothing contained in this Scheme shall apply to personnel of the State Government or the Central Government or any other organization on deputation to Board as on the Appointed Date but such personnel shall continue to be on deputation to the concerned Transferee(s) to whose services they are assigned on as is where is basis or otherwise as per the orders of the State Government from time to time, issued in this behalf.

8A. Transfer of Personnel for Shared Services - (a) Under this scheme:

(i) The State Govt. hereby provides that the Holding Company shall assign the Personal of Shared Services against the allocated posts to Successor Companies in consultation with the other Successor Companies. The Shared Services are identified in Part II to Schedule VI.

(ii) The sanctioned posts of the grade of Section Officer and above (including posts of equivalent grade)of the respective cadres of the Shared Services of erstwhile CSEB, which for the purpose of promotions only have been identified as common cadre, are hereby allocated to the Successor Companies as provided in Part III to Schedule VI. However, there shall continue to be common cadre for next 48 months from the Appointed Date only for the purpose of promotions which shall be administered by Holding Company. However, for day to day service matters which include transfers, postings, etc., the Personnel shall stand assigned under the administrative control of such Successor Companies.

(b) The assignment under sub-Rule 8(b) and 8A(a) above to the Successor Companies shall continue till the Personnel are absorbed in the services of the specific Successor Company, in accordance with the provisions of the Act and this Scheme.

8B. Absorption of Personnel in Transferee Company - (a) The State Government shall, in consultation with the Successor Companies, finalize the transfer to and permanent absorption of the Personnel in a Transferee taking into account the suitability, ability and experience of the personnel, number and nature of the vacancies and other relevant factors and issue appropriate orders, as it may think fit, for such permanent absorption within forty eight months from the Appointed Date as mentioned in Rule 11.

(b) For the purpose of sub rule 8B(a) above the State Government hereby constitutes a Grievance Committee to receive representations and submit recommendations on transfer and absorption of Personnel to the Successor Companies in the manner as set out in Schedule VII and also prescribes the functions & duties thereof.

(c) The State Government shall, after considering the recommendations of the Grievance Committee in relation to the transfer of personnel, finalize the transfer and permanent absorption in the respective Successor Companies.

(d) Upon the finalization in terms of the sub-Rule 8B(c), the Personnel shall form part of the service of the Transferee concerned, in the post, scale of pay or seniority in accordance with the orders that may be issued for this purpose, without any further act, deed or thing to be done by the State Government or the Board or the Transferee or any other person including the Personnel.

(e) Subject to the provisions of the Act and this Scheme, the Transferee shall be entitled to modify or frame new regulations governing the conditions of service of Personnel transferred to the Transferee under this Scheme. However, their rank, scale of pay, salary, allowances and other pecuniary benefits including pension, Terminal Benefits etc., after the Appointed Date shall not in any way be inferior to those applicable to them immediately before the said transfer.

(f) In respect of all statutory and other schemes and employment related matters including the provident fund, gratuity fund, pension and any other superannuation fund or any other special fund created or existing for the benefit of the Personnel, the relevant Transferee shall stand substituted for the Board for all purposes and all the rights, powers and obligations of the Board in relation to any and all such matters shall become those of the Transferee concerned and the services of the Personnel shall be treated as having been continuous for the purpose of the application of Scheme.

8C. Arrangement for Provident Fund - (a) The existing arrangements in terms of the CSEB Provident Fund Trust shall continue pursuant to the notification of this Scheme till such time that the Successor Companies set up their own trust funds. Till such time, these shall be under the administrative control of the Holding Company and the Holding Company shall put in place necessary administrative arrangements in this regard.

8D. Arrangement for Existing Pensioners - (a) The existing arrangements in terms of the CSEB Gratuity & Pension Fund Trust shall continue pursuant to the notification of this Scheme till such time that the Successor Companies set up their own trust funds.The Holding Company shall put in place necessary administrative arrangements in regard to the funding and payment of the pension and Terminal Benefits during the Transition Period and thereafter to the Existing Pensioners and New Recruits (for the purpose of gratuity only) of the Board as on

the Appointed Date and such payments shall be duly made by the Generation Company, Distribution Company or Transmission Company or Holding Company or Trading Company, as the case may be.

(b) The provisions of sub-Rule 8C(a) and 8D(a) above shall apply only to existing Personnel, and Existing Pensioner of the Board (except for the purpose of gratuity for New Recruits), as on the Appointed Date. All Personnel recruited and appointed by the Transferee, after the Appointed Date shall be governed by appropriate scheme of Provident Fund, which the Transferee concerned may establish, for the purpose.

9. **Rights and obligations of third parties restricted** - Upon the transfer being effected in accordance with the provisions of the Act and this Scheme, the rights and obligations of all persons (including body corporate, financial institutions, lenders, etc.) shall be restricted to the Transferee to whom they are transferred to and notwithstanding anything to the contrary contained in any deed, documents, instruments, agreements or arrangements which such person has with the Board, he shall not claim any right or interest against the State Government, Board or any other Transferee.

10. **Pending Suits, Proceedings, etc.** - (a) All proceedings of whatever nature by or against the Board pending on the Appointed Date shall not abate or discontinue or otherwise in anyway prejudicially be affected by reason of the transfer under this Scheme and the Proceedings may be continued, prosecuted and enforced by or against the Transferee to whom the same are assigned in accordance with this Scheme and orders issued there under.

(b) Such Proceedings may be continued in the same manner and to the same extent as it would or might have been continued, prosecuted and enforced by or against the Board if the transfers specified in this Scheme had not been made.

11. **Classification and transfer of property, rights, Liabilities and Proceedings to be provisional in the first instance** - a) The classification and transfer of Undertakings including Personnel under this Scheme, unless otherwise specified in any order issued by the State Government, shall be provisional and shall be final upon the expiry of forty eight months from the Appointed Date or any other date notified by the State Government.

11A. **Finalisation of the Scheme.**- a) At any time within a period of forty eight months from the Appointed Date or any other date notified by the State Government, the State Government may, by order to be notified, amend, vary, modify, add, reduce, delete or otherwise change terms and conditions of the transfer including items included in the transfer, and transfer such properties, interests, rights, Liabilities, Personnel and Proceedings forming part of an Under-taking of one Transferee to that of any other Transferee or the Board or to the State Government in such manner and on such terms and conditions as the State Government may consider appropriate.

b) On the expiry of the period of forty eight months from the Appointed Date or any other date notified by the State Government and subject to any directions given by the State Government, the transfer of Undertakings, properties, interests, rights, Liabilities, Personnel and Proceeding made in accordance with this Scheme shall become final.

12. **Cash Flow Arrangement and Accounting Procedures** - (a) The State Government hereby notifies that the Holding Company shall put in place necessary arrangements for management of the cash flows for the Successor Companies and among the Successor Companies to ensure smooth functioning of cash related transactions, dealings, cash in-flow, cash out-flow and accounting thereof during the Transition Period. In addition, the Holding Company shall also be responsible for establishing the necessary Accounting Procedures to be followed by the Successor Companies for their day-to-day accounting transactions and maintaining of their books of accounts as per the applicable provisions under law during the Transition Period.

(b) Post the Transition Period, each of the Successor Companies shall function independently in respect of all financial matters and maintain necessary accounting records as per prescribed accounting procedures.

13. **Transfer by operation of law** - The transfer under this Scheme shall be operated and be effective pursuant to action of the State Government by publishing this Scheme and Orders issued in terms of this Scheme and without any further act, deed or thing to be done by the State Government, Board, Transferees or any other person, subject to the terms and conditions of this Scheme.

14. **Decision of State Government to be final** - (a) If any doubt, dispute, difference or issue shall arise in regard to the transfers under this Scheme subject to the provisions of the Act, the decision of State Government thereon shall be final and binding on all parties.

(b) The State Government may, by order published in the Official Gazette, amend this Scheme and make such provisions, not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulties arising in implementing the transfers under this Scheme.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
UMESH AGARWAL, Joint Secretary.

SCHEDULE - I

GENERATION UNDERTAKING
PART - I

ASSETS AND LIABILITIES

The generation Undertaking shall comprise of the Assets, Liabilities and Proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the generation of electricity:

GENERATION ASSETS

I. EXISTING POWER STATIONS:

THERMAL:

(a) Korba (West) generating station with Phase 1 (2 x 210) MW plus and Phase 2 (2 x 210 MW) generating units and with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers, circuit breakers, HT and LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(b) Korba (East) generating station with Phase 2 generating units of (4x50) MW and Phase 3 (2x 120) MW capacity each with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT and LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(c) 2x250 MW Korba (East) generating station with all associated and related equipment such as generators, turbines, boilers, condensers, electrostatic precipitators, controls and instrumentation, Railway Sidings, coal handling system, ash handling system, ash pond, raw water supply and treatment system, DM water plant, secondary fuel oil storage facilities and its handling system, switch yard including step up transformers, service transformers, auxiliary unit transformers circuit breakers, HT and LT Switchgears, control and protection system, overhead cranes, chimney, Stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress

HYDEL POWER STATIONS:

(a) Hasdeo Bango: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 3 units of 40 MW capacity each along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(b) Rudri Mini/Micro Station: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 0.20 MW capacity along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(c) Gangrel Station: Penstocks at the intake structure, penstock gates, draft tube gate, tail race channel, power house with 4×2.5 MW capacity along with generators, turbines and all associated and related equipment and switch yard including step up transformers, step down transformers, circuit breakers, control and protection system, overhead cranes, gantry cranes, hydraulic hoists, power house stores, spare parts, consumables, raw materials etc. and works in progress.

(d) 850 KW Mini Hydel at Korba (W): All related auxiliaries, penstock gates, draft tube gate and tail race channel etc.

(e) Sikasar Hydel Project - (2×3.5 MW) : All related auxiliaries, penstock gates, draft tube gate and tail race channel etc

NON CONVENTIONAL POWER STATION

(a) Kawardha Cogen Project (6 MW)

II.POWER PROJECTS UNDER CONSTRUCTION:

(a) Korba West Ext. Stage -3 (1 × 500MW))

(b) Marwa Thermal Power Project (2 × 500 MW)

(c) Mini Hydel project 850 KW

(d) Development of coal blocks

III.GENERAL ASSETS:

The following, if they exclusively or primarily pertain to the generating stations or projects referred to in Para I and II above or activities related to such generating stations or projects:

(a) Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, land and civil works installations including dams, barrages, canals roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centres, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

(b) All independent and stand-alone rest houses, which are not part of any substations/installations of the Board.

(c) The office establishment and other buildings and land, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied / used for the activities of generation Undertaking as on the Appointed Date.

IV. MISCELLANEOUS:

(a) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to generation activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I to III above including all contracts and agreements with Coal India, IOC and HPCL.

(b) Contingent liabilities to the extent they are associated with or related to generation activities or to the Undertaking or Assets referred to in Para I to III above.

(c) Proceedings to the extent they are associated with or related to generation activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I to III above.

(d) The following general assets of the offices identified as Shared Services shall form part of generation Undertaking.

SE Office, Civil Projects, Jagdalpur
Main Hospital Korba (East)
CSEB Dispensary, Machadoli
STPS Hospital, Korba (West)
Dispensary at HQ Dangania, Raipur (on sharing basis)

V. GENERAL:

(a) The assets of the Generating Undertaking shall vest in Generation Company

(b) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may direct the Generation Company to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the Chhattisgarh State Power Holding Company Limited as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from Board to Generation Company.

GENERATION UNDERTAKING
PART - II

FUNCTIONS AND DUTIES OF GENERATION COMPANY

The functions and duties of the Generation Company will be detailed as per the clauses of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company constituted there under as originally framed or as altered from time to time.

Main functions and duties of Generation Company are:

(a) To acquire, establish, construct, take over, erect, lay, operate, run, manage, hire, lease, buy, sell, maintain, enlarge, alter, renovate, modernize, work and use Electric generating stations, projects associated lines and all things connected thereto for the purpose of generation of power including power stations, civil works, cables, wires, lines, accumulators, plant, motors, meters, apparatus, materials and development of captive coal mine & mining and things connected with the production, generation, use, storage, measurement, and transmission lines connected there with.

(b) To carry on the business of exporting, producing, trading, manufacturing or otherwise dealing in electric power and to coordinate, aid and advise on the activities of other companies and concerns including subsidiaries, associates, affiliates engaged in the generation, distribution or trading of power on all matters concerning the operation and maintenance of electric generating stations, associated lines and in the production, generation, use, storage and measurement and supply of electric power.

(c) To study, investigate, collect information and data, review operations, plan, research, design, prepare feasibility reports, prepare project reports, diagnose operational difficulties and weaknesses, and advise on the remedial measures to improve and modernize existing stations and facilitate and to undertake for and on behalf of others the setting up of electric power plants and generally work for the efficient and economic management of electric power and the optimum utilisation of the resources available.

SCHEDULE - II
TRANSMISSION UNDERTAKING
PART - I

ASSETS AND LIABILITIES

The Transmission Undertaking shall comprise of all Assets forming part of subsection 72 of Section (2) of the act, Liabilities and Proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board concerning the transmission of electricity:

I. **TRANSMISSION ASSETS** - Transmission assets mean all high pressure cables and overhead lines (not being an essential part of the Distribution Company) transmitting electricity from a generating station to another generating station or a substation, together with any step-up and step-down transformers, switch gear, and other works necessary to and use for the control of such cables or overhead lines, and such buildings or part thereof as may be required to accommodated such transformers, switch gears and other works and shall also include all the transmission lines having the capacity to carry electricity at voltages of 66 kV and above (not withstanding the same are presently charged at voltages below 66 kV) on double circuit / single circuit / single circuit on double circuit towers with Grid sub-stations of various capacities with all associated and related equipment, including step-up, step-down transformers, circuit breakers, metering arrangements and other protective devices with power-line communication system, allied control rooms, load dispatch center, land (including right of way), buildings, roads and other auxiliary assets spread over within and outside the territory of the State including such assets under construction and assets acquired, transferred or rights of which were vested with the Board by transfer, sale, lease or otherwise, but excluding such constructions or installations lawfully owned and operated by others.

In addition to the above, the 33 kV and below distribution system which are in the 66 kV and above Grid Sub-stations and are integral part of the transformation from 66 kV and above voltages to 33 kV and below voltages shall be part of the transmission system and they shall not form part of the distribution undertakings notwithstanding anything contained in any other schedule.

II. GENERAL ASSETS:

(a) The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned transmission systems properties or projects or activities related to such transmission systems, properties or projects:

(i) Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, all stores and spares lying at workshop, consumables, raw materials, land and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centres, workshops, works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

(ii) All independent and stand-alone rest houses, which are not part of any substations / installations of the Board and any other transferee company, pre-dominantly company used / occupied by the transmission undertaking.

(iii) The office establishment and other buildings and land, not covered elsewhere in this schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of the Transmission Undertaking as on the Appointed Date.

(b) The following general assets of the offices identified as Shared Services shall form part of the Transmission Undertaking.

Name of Office
All Camping Houses (Rest Houses)
Staff Quarters attached to all Sub stations of 132 kV and above
CE Office, Civil (T & D), Raipur
EE Civil Division Jagdalpur
SE Office, Raipur Region, Civil
EE Civil Divn. Bhillai
EE Civil Divn Rajnandgaon
EE Civil Divn Head Quarter, Raipur
EE Civil Divn Ambikapur
EE Stores Div, Bhilai
EE Stores Div, Bilaspur
T & C Circle, Raipur MRT – I Division ;
MRT cum Sub-station Division Jagadalpur
T & C Circle, Bhilai, MRT Division
T & C Circle, Bilaspur, MRT Division
T & C Circle, Bilaspur, MRT-cum-Substation Division Raigarh,
T&C Circle Bilaspur, MRT-cum-Substation Division, Vishrampur
CSEB Dispensary, Bhilai

III. MISCELLANEOUS:

(a) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I and II above.

(b) Contingent liabilities to the extent they are recognised and are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I and II above.

(c) Proceedings to the extent they are associated with or related to transmission activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I and II above.

IV. GENERAL:

(a) Assets related to transmission infrastructure of the Board shall vest with the Transmission Company.

(b) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may, direct Transmission Company to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the Holding Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from Board to Transmission Company.

TRANSMISSION UNDERTAKING
PART - II

FUNCTIONS AND DUTIES OF TRANSMISSION COMPANY

The functions and duties of the Transmission Company will be detailed as per the clauses of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company constituted there under as originally framed or as altered from time to time.

Main functions and duties of the Transmission Company:

(a) To plan, acquire, establish, construct, take-over, erect, lay, operate, run, manage, hire, lease, buy, sell, maintain, enlarge, alter, work and use, renovate, modernize electrical transmission lines and / or net work through extra high voltage, high voltage and low voltage lines and associated sub-stations, including cables, wires, accumulator plants, motors, meters, apparatus, computers and materials connected with transmission, ancillary services, telecommunication and telemetering equipment;

(b) To undertake, for and on behalf of others the erection, operation, maintenance, management of extra high voltage, high voltage and low voltage lines and associated sub-stations, equipment, apparatus, cables and wires;

(c) To undertake planning and coordination activities in regard to transmission, works connected with the transmission in the State of Chhattisgarh, Load Dispatch functions and such other functions as may be assigned to the Company by law or otherwise by Government or Government Authority concerning the operation of the Power System and to coordinate, aid and advise on the activities of other companies and concerns, including subsidiaries, associates and affiliates, engaged in generation, transmission, distribution, supply and wheeling of electrical energy;

(d) To carry on the business of wheeling, transmission and system operation including finalisation of tariff, billing and collection thereof;

(e) To execute agreements with generating, transmission, distribution or trading companies, Central and State generating stations, Regional Electricity Boards, neighbouring States, Utilities, Companies and persons;

(f) To execute agreements for transmission and wheeling of power to other companies and persons and to coordinate, aid and advise on the activities of other companies and concerns, including subsidiaries, associates and affiliates engaged in generation, transmission, distribution, supply and wheeling of electrical energy;

(g) To schedule and dispatch generation of all units connected to the State power system including the Centrally owned generating stations, in respect of the share assigned to the State and electricity purchased from other States undertakings.

SCHEDULE -III
DISTRIBUTION UNDERTAKING
PART - I

ASSETS AND LIABILITIES

The Distribution Undertaking shall comprise generally of all the Assets forming part of sub-section 18 and 19 of Section (2) of the Act, Liabilities and Proceedings, including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the distribution of electricity in the area of supply consisting of Collectorates of Raipur, Bilaspur, Durg, Rajnandgaon, Raigarh, Koriya, Korba, Sarguja, Janjgir-Champa, Mahasamund, Kawardha, Dhamtari, Kanker, Bastar, Dantewada, Jashpur, Narayanpur in the State of Chhattisgarh.

I. **DISTRIBUTION ASSETS** - Distribution assets mean the system of wires and associated facilities between the delivery points on the transmission lines or the generating station connection and the point of connection to the installation of the consumers, the portion of any main with which a service line is or is intended to be immediately connected read with Section 4 of the Electricity Rules 2005 and shall include all 33 kV, 11 kV, LT. (Single phase 2 wire to 3 phase 5 wire) lines (with overhead lines, aerial bunched cables and underground cables) and Sub-stations on different types of supports with various sizes of conductors and step up/step down transformers, breakers, protective and metering devices and control rooms, testing laboratories, land (including right of way), buildings, roads, diesel generating sets or other conventional and non-conventional generating units, service connections and installations inside consumer's premises, street lighting timers and signal systems owned by or leased to the Board but excluding fittings, fixtures and installations owned, by private persons or local authorities, including any of the above assets under construction as on Appointed Date.

II. **GENERAL ASSETS** - The following, if they exclusively or primarily pertain to the above mentioned distribution systems, properties or projects or activities related to such distribution systems, properties or projects:

(a) Special tools and equipment, material handling equipment, earth movers, bulldozers, concrete mixtures, cranes, trailers, heavy and light vehicles, furniture, fixtures, office equipment, air coolers and air conditioners, refrigerators, computers and signal systems, spares, consumables, raw materials, land and civil works installations including roads, buildings, staff quarters, rest houses, properties and structures and their associated buildings, schools, dispensaries, testing laboratories and equipment, training centres, workshops, transformer repairing units works in progress, machinery and equipment sent for repairs, scraps and obsolete.

(b) All independent and stand-alone rest houses, which are not part of any substations/installations of the Board and any other Transferee Companies predominantly used/occupied by the Distribution Undertaking.

(c) The office establishment and other buildings and land, not covered elsewhere in this Schedule, which are predominantly occupied/used for the activities of Distribution Undertaking of Distribution Company as on the Appointed Date.

(d) The following general assets of the offices identified as shared services shall form part of Distribution Undertakings

Name of Office
EE Stores Div, Raigarh
Staff housing complex at Gudihari
Staff housing complex at Raipur
Staff Quarters attached to all 33 KV Sub stations
SE Office Civil, Bilaspur Region
EE Civil Mtc. Div, Raipur
EE Civil Divn. Bilaspur
Office of SE (Stores), Raipur Region
EE Stores Div, Raipur
EE Stores MTRU Div, Bhillai
EE Stores Div, Ambikapur
EE Stores Div, Jagdalpur
T & C Circle, Raipur, MRT – II Division
T & C Circle, Raipur MRT Division, Mahasumund
RAO, Raipur and Durg at Raipur Region
RAO, Rajnandgaon Region
RAO, Bilaspur, Jajgir-Champa and Raigarh at Bilaspur Region
RAO, Ambikapur Region
RAO, Jagdalpur Region
Dispensary at HQ Dangania, Raipur (On sharing basis)
Dispensary at Gudhiari, Raipur
CSEB Dispensary, Bilaspur
CSEB Dispensary, Jagdalpur

III. MISCELLANEOUS:

(a) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or assets referred to in Para I and II above including all agreements and contracts with Central Power Sector Undertakings (NTPC, PGCIL and NPCIL), Independent Power Producers and Captive Power Plants;

(b) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I and II above;

(c) Proceedings to the extent they are associated with or related to distribution activities or to the Undertakings or Assets referred to in Para I and II above.

IV. GENERAL:

(a) The assets of the Distribution Undertaking shall vest in the Distribution Company.

(b) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may direct the Distribution Company to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the Holding Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from Board to the Distribution Company.

DISTRIBUTION UNDERTAKING
PART - II

FUNCTIONS AND DUTIES OF DISTRIBUTION COMPANY

The functions and duties of the Distribution Company will be detailed as per the clauses of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company constituted there under as originally framed or as altered from time to time.

Main functions and duties of Distribution Company are:

(a). To acquire, establish, construct, take over, erect, lay, operate, run, manage, hire, lease, buy, sell maintain, enlarge, alter, renovate, modernize, work and use Electric sub-transmission lines and / or net work through medium voltage and low voltage line and associated sub-stations, including distribution centres, cables, wires, accumulators, plants, motors, meters, apparatus, computers and materials connected with sub-transmission, distribution, ancillary services, supply of electrical energy, telecommunication and telemetering equipment in the State of Chhattisgarh and elsewhere;

(b). To undertake, for and on behalf of others, the erection, operation, maintenance, management of medium voltage and low voltage lines and associated sub-stations, equipment, apparatus, cables, wires, maintain uninterrupted electric supply;

(c). To undertake finalization billing and collection thereof;

(d). To execute power purchase agreements with Trading Companies, Generating Companies, Central and state generating stations, Regional Electricity Board, other states, utilities, companies and persons and execute Transmission Service Agreement with Transmission Licensees;

(e). To execute agreements for sale or purchase of power to or from other distribution or trading companies and other persons and to coordinate, aid and advise on the activities of other companies and concerns, including subsidiaries, associates and affiliates engaged in generation, transmission, distribution, supply and wheeling of electrical energy;

(f). To study, investigate, collect information and data, review operations, plan, research, design, prepare projects, diagnose operational difficulties and weaknesses, and advise on the remedial measures to improve and modernize existing high voltage, medium voltage and low voltage lines and sub-stations;

(g). To forecast load and indicate generation targets in consultation with Transmission Companies and Generating stations / Companies;

(h) To tender and finalise contracts for purchase of power from new generation plants (both under State and Central Sectors), including Independent Power Producers;

(i) To carry on the business of purchasing, importing, exporting, producing, trading, or otherwise dealing in electric power and to coordinate, aid and advise on the activities of other companies and concerns including subsidiaries, associates, affiliates engaged in the distribution or trading of power on all matters concerning the operation and maintenance, use, storage and measurement, distribution and supply of electric power;

(j) The bulk purchase and bulk supply functions, namely, purchase of electricity in bulk from generating companies including Central Generating Companies, Independent Power Producers and other Joint Venture Companies and supply of electricity in bulk to the distribution companies in Chhattisgarh and other States of the Union of India.

SCHEDULE - IV

TRADING UNDERTAKING
PART I
ASSETS AND LIABILITIES

The Trading Undertaking shall comprise generally of all the assets, Liabilities and Proceedings including the following but not limited to them, belonging to the Board, concerning the trading of electricity:

I. **MISCELLANEOUS:** (a) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to trading activities or to the Undertakings or assets referred above including all agreements and contracts with Central Power Sector Undertakings (for which no allocation of power is made by the Central Government for the State), other than contracts, agreements, interest and arrangements with Independent Power Producers and Captive Power Plants in the State.

(b) Contingent liabilities to the extent they are recognized and are associated with or related to trading activities or to the Undertakings or Assets referred above.

(c) Proceedings to the extent they are associated with or related to trading activities or to the Undertakings referred above.

II. **GENERAL:** In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may direct the Trading Company to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the Holding Company as the State Government may direct taking into account the assets and liabilities transferred from Board to the Trading Company.

TRADING UNDERTAKING
PART II

FUNCTIONS AND DUTIES OF TRADING COMPANY

The functions and duties of the Trading Company will be detailed as per the clauses of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company constituted there under as originally framed or as altered from time to time.

Main functions and duties of Trading Company are:

(a). To execute power purchase agreements with Trading Companies, Generating Companies, Central generating stations (for which no allocation of power is made by the Central Government for the State) and state generating stations, State Electricity Boards, other states, utilities, companies and persons and execute Transmission Service Agreement with Transmission Licensees;

(b). To execute agreements for sale or purchase of power to or from other distribution or trading companies and other persons and to coordinate, aid and advise on the activities of other companies and concerns, including subsidiaries, associates and affiliates engaged in generation, transmission, distribution, supply and wheeling of electrical energy;

(c). To invite tenders and finalise contracts for purchase of power from Captive Power Plants and new generation plants being developed by Independent Power Producers in the State, on behalf of the State Government and shall act as the Trading Representative w.e.f. the Appointed Date. The Trading Company shall be paid a commission, as decided by the State Government from time to time, in lieu of the functions carried out by the Trading Company as Trading Representative.

(d). To carry on the business of purchasing, importing, exporting, trading, or otherwise dealing in electric power and to coordinate, aid and advise on the activities of other companies and concerns including subsidiaries, associates, affiliates engaged in the distribution or trading of power on all matters concerning the operation and maintenance, use, storage and measurement, distribution and supply of electric power.

(e). The Trading Company shall be responsible for trading of surplus power on behalf of the Distribution Company. For this purpose, the Trading Company shall be responsible:

(i) To execute an agreement with the Distribution Company for purchase of surplus power from the Distribution Company, and

(ii) To arrange for sale of surplus power available with the Distribution Company.

(f) The Trading Company shall purchase power on behalf of the Distribution Company for meeting any shortfall of power for supply on a short term basis to the Distribution Company's consumers. For this purpose, the Trading Company shall be responsible:

(i) To arrange short term power purchase through bilateral contracts, power traders, barter arrangements, power exchanges, open access, etc., and

(ii) For meeting any such shortfall of the Distribution Company, Trading Company, if necessary, shall enter into bulk power sale agreement.

(iii) Trading Company, if required shall meet such shortfall of power of the Distribution Company either from surplus power available with it , over and above the contracted power from IPP's of MoU route, or from other sources which may include captive power plants operating within the state or outside the state.

(g) The Trading Company shall act as an authorised representative of Government of Chhattisgarh to exercise the powers vested in the Trading Company under the Scheme. The functions and duties of the Trading Company as an authorised representative shall include:

(i) Issuing letter of comfort to Private Power Developers based on market economics, for purchase of power required as per the provisions of the MOUs entered into by Government of Chhattisgarh and erstwhile CSEB with the Independent Power Producers for setting up coal based thermal power projects;

(ii) Entering into power purchase agreement on behalf of the State Government with the Independent Power Producers, based on market economics or as per the directives of the State Government;

(ii-a) Receiving the power generated from the projects developed by the Private Power Developers at a price to be determined by the appropriate Regulatory Commission and utilise or sell this power as per the directives of the State Government;

(ii-b) Maintaining separate accounts for the above mentioned power and for the money realised against sale of such power separately; and

(ii-c) Remitting the surplus fund, if any, generated from the trading transactions, the sharing of such surplus shall be in accordance with the provisions of Rule 6(e) of the Scheme. But in the event of such trading transactions resulting in any loss, then the State Government shall indemnify such loss of the Trading Company in full.

(h) The Trading Company, as an authorised representative of the State, shall be responsible for maintaining separate accounting records and bank accounts in respect of discharge of the abovementioned functions and duties in accordance with prudent accounting practices.

SCHEDULE - V

HOLDING UNDERTAKING
PART - I

ASSETS AND LIABILITIES

The Holding Undertaking shall comprise of the equity investments made in Chhattisgarh State Power Generation Company Limited, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited, Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited and Chhattisgarh State Power Trading Company Limited.

I. MISCELLANEOUS:- (a) Contracts, agreements, interest and arrangements to the extent they are associated with or related to activities of the Holding Company or to the Undertakings.

(b) Contingent liabilities to the extent they are recognised and are associated with or related to activities of the Holding Company or to the Undertaking referred above.

(c) Proceedings to the extent they are associated with or related to the activities of the Holding Company or to the Undertaking referred above.

II. GENERAL:- (a) In consideration of the transfer mentioned above, the State Government may direct the Holding Company to issue instruments such as equity shares, preference shares, debentures and other securities in favour of the State Government taking into account the assets and liabilities transferred from Board to the Holding Company.

(b) The following general assets of the offices identified as Shared Services shall form part of Holding Undertaking

Name of Office
Head Office Complex including the Secretariat
Guest House at Raipur
Liasioning Office, Delhi
CAU, Raipur

HOLDING UNDERTAKING
PART - II

Functions and Duties of Holding Company

The functions and duties of the Holding company will be detailed as per the clauses of the Memorandum of Association and Articles of Association of the Company constituted there under as originally framed or as altered from time to time.

Main functions and duties of Holding Company are:

a. Functions and duties as a Holding Company:

(i) As on the Appointed Date, the Holding Company shall hold equity up to one hundred percent (100%) in each of the Chhattisgarh State Power Generation Company Limited (Generation Company), Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (Transmission Company), Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (Distribution Company) and Chhattisgarh State Power Trading Company Limited (Trading Company).

(ii) The Holding Company, in consultation with the Government of Chhattisgarh, shall subscribe to additional equity in the Generation Company, Transmission Company, Distribution Company and Trading Company as required from time to time.

(iii) The Holding Company shall provide all required support to the Successor Companies during the Transition Period.

(iv) The Holding Company shall deal with Shared Services till final allocation to different Successor Companies, in consultation with the other Successor Companies, including transfer of personnel of the Shared Services against the allocated posts.

(v) All expenses incurred by the Holding Company including Administration and General expenses, legal and consulting fees, etc. shall be shared by Generation Company, Transmission Company, Distribution Company and Trading Company in the ratio of their respective equity.

b. Functions and Duties as an Investment Company:

(i) The Holding Company shall be primarily an investment company and shall invest in companies engaged in any of the businesses of generation, transmission, distribution and trading of electricity.

(ii) The existing equity holding vested in State Government in all joint venture projects with private developers for which joint venture agreements have already been executed prior to the Appointed Date for the development of new power generation capacity shall hereby stand transferred to the Holding Company. The details of such equity holding are given below.

	JV Project	Equity Holders	Equity Participation
a)	I.C.P.L.(IFFCO Chhattisgarh Power Limited)	Indian Farmers Fertiliser Co-operative Limited (IFFCO)	Seventy Four percent (74%)
		Chhattisgarh State Electricity Board (CSEB)	Twenty Six percent (26%)
b)	I.C.B.P.L.(Indiabulls CSEB Bhaiyathan Power Limited)	CSEB	Twenty Six percent (26%)
		Indiabulls Power Services	Seventy Four percent (74%)

(iii) The Holding Company shall invest, on behalf of the State Government, equity in all future projects proposed to be implemented through the joint venture route with Private Power Developers.

c. Co-ordination Functions of Holding Company:

(i) Coordination with Independent Power Producers (IPPs):

(i-a) All MOUs and Implementation Agreements executed between the State Government, erstwhile CSEB and respective Independent Power Producers shall hereby stand transferred in the name of Holding Company. The Holding Company shall be responsible for executing all MOUs and Implementation Agreements in future.

(i-b) The Holding Company shall also be responsible for monitoring the progress of all IPPs to be set-up under the MOU route.

(ii) The Holding Company shall co-ordinate for synchronisation and timely development of all new capital projects each exceeding estimated cost of Rs. Twenty (20) Crores for the Generation Company and Rs. Ten (10) Crores for the Transmission Company, Distribution Company and Trading Company. For this purpose, the Holding Company shall be responsible for the formation of two high-level committees, viz., the Steering Committee, comprising of the Managing Directors of all the Successor Companies and the Chairman of the Holding Company as the Chairman of the Committee, and the Task Force comprising of senior most Executive Directors / Chief Engineers of Successor Companies along with head of Finance and Accounts of all Successor Companies, to discharge the functions as above. The nominees of the Holding Company shall be the convenor for this Committee and Task Force.

(iii) To coordinate development and implementation of generation projects developed in partnership with the State Government or with any State Government agency and the Successor Companies.

(iv) The Holding Company shall also act as the coordinator between the Successor Companies and the State Government that may be required from time to time for the smooth functioning of the Successor Companies.

(v) Coordination functions and duties related to accounts and finance:

(v-a) Performing all the functions and duties for the Successor Companies in relation to Cashflow Arrangements and implementation of the Accounting Procedures during the Transition Period;

(v-b) Finalisation and auditing of accounts of erstwhile CSEB up to 31 December 2008;

(v-c) Providing all required support and information to the Successor Companies for the finalisation of individual company accounts for the Transition Period.

(vi) Coordination functions and duties related to Human Resources:

(vi-a) The Holding Company shall be responsible to formulate policies/regulations for recruitment and promotions for the employees of the Successor Companies in consultation with the other Successor Companies;

(vi-b) The Holding Company shall be responsible to formulate necessary policies regarding pay scales and remuneration structures for the Successor Companies, as and when required, in consultation with the other Successor Companies. However, each of the Successor Companies will independently design any reward or incentive scheme for their employees to incentivise and encourage performance linked efficiency improvements;

(vi-c) The Holding Company shall coordinate between the Successor Companies for discharging the Terminal Liabilities for the employees of the Successor Companies including the management and supervision of the CSEB Gratuity & Pension Fund Trust and CSEB Provident Fund Trust.

(vi-d) The Holding Company shall recruit Personnel, as necessary, against sanctioned posts for its own requirements

(vii) Coordination functions and duties related to Legal Issues:

(vii-a) The Holding Company shall deal with all cases pertaining to income tax, pending in any court of law, tribunal or any authority of State or Central Government, in the name of erstwhile CSEB;

(vii-b) The Holding Company shall coordinate all matters pertaining to the VAT, cess, Income Tax and Entry Tax cases of all the Successor Companies during the Transition Period;

(vii-c) Handling any pending legal cases pertaining to the reorganisation of the erstwhile MPEB and reorganisation of erstwhile CSEB, other than those associated with or related to the undertakings or assets of any individual Successor Company.

d. Discharging liabilities and resolution of all disputes / issues of erstwhile MPEB/ MPSEB/ CSEB:

(i) The Holding Company shall discharge all liabilities of the erstwhile CSEB till the same is allocated among the Successor Companies and in turn recover the same amount from the Generation Company, Transmission Company, Distribution Company and the Trading Company.

(ii) The Holding Company shall also be responsible for resolving the following disputes / issues:

(ii-a) Division of assets, liabilities, employees and employee-related issues of the erstwhile MPEB under the provisions of the MP Re-organization Act, 2000;

(ii-b) Allocation of assets and liabilities in respect to the Scheme and amendments thereof.

(ii-c) Dealing with all other work related to resolution of differences between Successor Companies relating to re-organisation of CSEB into the Successor Companies.

SCHEDULE -VI
PART I

Allocation of the Primary Services of the erstwhile Board to the Generation Company, Transmission Company and Distribution Company

Chhattisgarh State Power Generation Company Limited (CSPGCL)

Sl No	Name of the office allocated to CSPGCL	Main Duties and Functions
(1)	(2)	(3)
1	Office of Managing Director, CSPGCL	Overall in charge of generation including the various projects under generation for the entire State of Chhattisgarh.
2	Office of ED (Gen)	Overall responsibility of projects under the generation for the entire State of Chhattisgarh.
3	Office of Chief Engineer (O&M), Generation and its subordinate offices.	Overall in-charge for all running generation plants, establishment matters in thermal and hydel. Advisory role in operation and maintenance of generation, monitoring of power plant performance. Overall in-charge of O&M of Gangrel and Sikasar Hydro Electric PowerStation
4	Office of Chief Engineer (PRG-I) and its subordinate offices.	Overall in-charge of new projects like, Marwa thermal power project, Cogen Plant Kawardha, development of Coal mines and O & M of Cogen plants, etc. Developmental activities of proposed thermal power projects.
5	Office of Chief Engineer (PRG-II) and its subordinate offices.	Overall in-charge of own generation new projects like Korba (East), Korba (West) extension projects.
6*	Office of Chief Engineer (Civil Project), Raipur and its subordinate offices.	Overall responsibility of old and new hydel and thermal projects, related with Civil work only including survey, investigation and land acquisition for projects.
7	Office of Chief Engineer (Renovation) Project and its subordinate offices.	Overall responsibility for renovation and modernization of generation plants
8	Office of Chief Engineer (Stores and Purchase) (Generation) and its subordinate offices.	Procurement of materials, consumables and stores/ materials management for generation running units
9	Office of Chief Engineer, KETPS, Korba(East) and its subordinate offices.	Executive in charge of day to day operation as well as maintenance of generation plant
10	Office of Chief Engineer, Generation Training, Korba(E) and its subordinate offices.	Responsible for training for Generation Company employees and officers.

Sl No	Name of the office allocated to CSPGCL	Main Duties and Functions
(1)	(2)	(3)
11	Office of Chief Engineer, Hasdeo Thermal Power Station (HTPS), Korba (West) and its subordinate offices.	Executive in charge of day to day operation and maintenance of Hasdeo Thermal Power Station and Hasdeo Bango Minimata Hydro Power Station.
12	Office of Chief Engineer (Generation), DSPMTPS, Korba (E) and its subordinate offices.	Executive in charge of day to day operation and maintenance of the DSPMTPS, Korba East.
13	RAO offices at Korba (East), Korba (West), Korba (DSPM), Korba (West-Project) and Marwah	Looking after the overall finance and accounts functions of the respective power stations.

* The office of EE (Civil), Division, Jagdalpur, which is under the administrative control of CE (Civil) Projects, Raipur has not been included as a part of the Generation Company. The same is considered as a Shared Service between the Transmission Company and the Distribution Company.

Note:- As an interim arrangement, personnel consisting of one officer each of the ranks of Addl. CE and SE and two officers of the rank of EE shall be on deputation to CSPHCL for a period of 48 months from the appointed date for coordination and monitoring of projects as specified in Schedule V, Part II, Functions & Duties of CSPHCL.

Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL)

Sl No	Name of the office allocated to CSPTCL	Main Duties and Functions
(1)	(2)	(3)
1	Office of Managing Director, CSPTCL	Overall in charge of transmission including the various projects under transmission for the entire State of Chhattisgarh.
2	Office of Chief Engineer (EHT) (C&M) and its subordinate offices	Overall in-charge for construction of EHT line &132 KV substation and above, and maintenance of EHT lines (132 k V and above) for Chhattisgarh State
3	Office of Chief Engineer (Transmission) and its subordinate offices	Overall in-charge for planning of EHV lines and sub-stations. Design and procurement of EHV class equipment for Chhattisgarh State
4	Office of Chief Engineer (Load Dispatch Centre), Bhilai and its subordinate offices	Instruct on load dispatch within State including obtaining day ahead reports and schedules

5*	Office of Chief Engineer (Testing and Communication) and its subordinate offices	Overall in-charge for operation and maintenance of all EHV class (132kV and above) substations of the transmission network, testing and commissioning of HT meters in the G-T and T-D interfaces, Carrier communication and protection for transmission network

*. Where as the Office of CE (T & C) and its subordinate offices have been allocated to the Transmission Company, but all the MRT Divisions and MRT cum Sub-Station Divisions have been covered as a part of Shared Services and allocated between Transmission Company and Distribution Company.

Chhattisgarh State Power Distribution Company Limited (CSPDCL)

Sl No (1)	Name of the office allocated to CSPDCL (2)	Main Duties and Functions (3)
1	Office of Managing Director, CSPDCL	Overall in charge of distribution including the various projects under distribution for the entire State of Chhattisgarh.
2*	Office of Energy Information Technology Center (EITC)	Development and maintenance of LT Billing and HT Billing System and other allied works in accounts, payroll and stores
3	Office of Chief Engineer (O&M), Raipur	Overall in-charge of operation and maintenance of Distribution system for Chhattisgarh State
4	Office of Chief Engineer (STRE) and its sub-ordinate offices	Overall in-charge for construction work of 33KV and below in the State with Rural Electrification.
5	Office of Chief Vigilance Officer and its subordinate offices.	Overall in-charge for vigilance cases relating to consumers theft etc
6	Office of Chief Engineer (Stores and Purchase)	Overall in-charge for procurement of materials, consumables and stores/materials management for operation and maintenance of distribution system
7	Office of Chief Engineer (Commercial)	Overall in-charge for matters relating to tariff setting, commercial matters for power purchases, consumers
8	Office of Chief Engineer Raipur Region and its subordinate offices.	Overall in-charge for administration, operation and maintenance of 33kV and below network and system in his region.
9	Office of Audit party , Raipur region	Audit work pertaining to operation and maintenance of distribution system
10	Office of Chief Engineer Rajnandgaon Region and its subordinate offices.	Overall in-charge for administration, operation and maintenance of 33kV and below network and system in his region.

Sl No (1)	Name of the office allocated to CSPDCL (2)	Main Duties and Functions (3)
11	Office of Chief Engineer Bilaspur Region and its subordinate offices.	Overall in-charge for administration, operation and maintenance of 33kV and below network and system in his region.
12	Office of Audit party-I , Bilaspur region	Audit work pertaining to operation and maintenance of distribution system
13	Office of Audit party-II , Bilaspur region	Audit work pertaining to operation and maintenance of distribution system
14	Office of Addl. Chief Engineer Jagdalpur Region and its subordinate offices.	Overall in-charge for administration, operation and maintenance of 33kV and below network and system in his region.
15	Office of Addl. CE Ambikapur Region and its subordinate offices.	Overall in-charge for administration, operation and maintenance of 33kV and below network and system in his region.
16	Consumer Grievance Redressal Forum Raipur / Bilaspur	Handling the consumer grievance cases for the regions.

* The posts under the EITC cell include deputed staff from the Generation Company and the Transmission Company. These posts are hereby assigned under the administrative control of EITC cell and they shall continue to render their services.

PART - II

Identification of the Shared Services and allocation of the sanctioned posts of these Shared Services to the Holding Company, Generation Company, Transmission Company, Distribution Company and the Trading Company

Identification of Shared Services:

Sl. No		Name of Office identified as Shared Services	Main Duties and Functions
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Secretariat and Head Office	Office of the Secretary (Board)	Secretarial functions of the board, overall in-charge for personnel, establishment matters for CSEB
		Office of Additional Secretary	In-charge for establishment matters of Secretariat
		Office of Joint Secretary (Secretariat)	Responsible for board meetings, resolutions, administrative arrangements for members of the Board, office management, Statistics, Wage revisions, publicity and security matters.
		Office of Joint Secretary (Personnel –I)	All establishment matters relating to Class I / II officers, transfers, promotions, separation, training administration, law and disciplinary cases.
		Office of Joint Secretary, (Personnel –II)	All establishment matters relating to Class III / IV employees, transfers, promotions, separation, training administration, disciplinary cases and also includes Industrial relation and welfare matters.
2	Finance and Accounts	Office of Executive Director (Finance and Accounts) including the Central Accounting Unit, and the Finance Cells at Raipur, Bilaspur and Korba	Overall in-charge of Finance and Accounts function in CSEB, establishment of Finance and Accounts function including pensions, family pension, group insurance, scrutiny of contracts, purchases, preparation of accounts, budgets, bank and cash management, audits and verification of bills etc. along with looking after overall Finance and Accounts functions of the Regions / Power Stations.

Sl. No		**Name of Office identified as Shared Services**	**Main Duties and Functions**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
3	Civil Function (T & D)	Office of Chief Engineer (Civil) (T&D)	Overall supervision of functions and offices pertaining to civil works in construction and maintenance of EHV Class Substations and 33kV class of S/S, foundations for Transmission Towers, maintenance of attached staff colonies for Transmission and Distribution function.
		Office of SE, Civil Circle, Bilaspur region	Function and offices pertaining to civil works in construction of EHV class substations, 33kV and below S/S, foundations for transmission towers, maintenance of attached staff colonies
		Office of EE, Civil Division, Bilaspur	Function and offices pertaining to civil works in construction of EHV Class Substations and 33 kV class Substations, maintenance of attached staff colonies
		Office of EE, Civil Division, Ambikapur	Function and offices pertaining to civil works in construction of EHV Class Substations and 33 kV class Substations, maintenance of attached staff colonies
		Office of SE, Civil Circle(T&D), Raipur region	Function and offices pertaining to civil works in construction of EHV class substations and 33kV class of S/S, foundations for transmission towers, maintenance of attached staff colonies
		Office of EE(T&D), Civil Maintenance Division, Raipur	Function and offices pertaining to civil works in construction of EHV Class Substations and 33 kV class Substations, maintenance of attached staff colonies
		Office of EE, Civil Division, Rajnandgaon	Function and offices pertaining to civil works in construction of EHV Class Substations and 33 kV class Substations, maintenance of attached staff colonies
		Office of EE (Civil) , HQ Division, Raipur	Function and offices pertaining to civil works in construction of proposed Office administrative block in CADA

Sl. No.		Name of Office identified as Shared Services	Main Duties and Functions
(1)	(2)	(3)	(4)
		Office of EE (Civil) Division Bhilai	Function and offices pertaining to civil works in construction of EHV Class Substations and 33 kV class Substations, maintenance of attached staff colonies
		Office of EE (Civil) Projects, Jagdalpur	Attached to SE (Civil) Projects - works pertaining to projects. The office of SE (Civil) Projects is under generation function
4	Stores Function (T & D)	Office of SE, Stores Circle, Raipur	Procurement of materials, consumables and administration and materials management in circle stores/office for transmission and distribution
		Office of EE Stores Division, Raipur	Procurement of materials, consumables and administration and materials management in division stores/office for transmission and distribution.
		Office of EE, Stores Division, Bhilai	Procurement of materials, consumables and administration and materials management in division stores / office for transmission and distribution.
		Office of EE Stores Division, Bishrampur	Procurement of materials, consumables and administration and materials management in division stores / office for transmission and distribution
		Office of EE Stores Division, Bilaspur	Procurement of materials, consumables and administration and materials management in division stores / office for transmission and distribution
		Office of EE Stores Division, Raigarh	Procurement of materials, consumables and administration and materials management in division stores / office for transmission and distribution
		Office of EE Stores Division, Jagdalpur	Procurement of materials, consumables and administration and materials management in division stores / office for transmission and distribution
		MTRU Division, Bhillai	Meter testing and repair unit for transmission and distribution

Sl. No		Name of Office identified as Shared Services	Main Duties and Functions
(1)	(2)	(3)	(4)
5	Fire and Security Services	Office of Chief Fire Cum -Security Officer including the entire fire and security staff at HO and all regions under Generation, Transmission and Distribution	Overall head and management of the fire and security services for Generation, Transmission and Distribution.
6	MRT Divisions, Testing and Communication (T & C)	T & C Circle Raipur, MRT –I Division	Testing and commissioning of meters and relays for EHT consumers in Raipur City
		T & C Circle Raipur, MRT –II Division	Testing and commissioning of meters and relays for EHT consumers in Raipur other than City
		T & C Circle Raipur, MRT Division, Mahasumund	Testing and commissioning of meters and relays for EHT consumers in Mahasumund region
		T & C Circle Bhilai, MRT Division	Testing and commissioning of meters and relays for EHT Consumers in Bhilai Division
		T & C Circle Bilaspur, MRT Division	Testing and commissioning of meters and relays for EHT consumers in Bilaspur region
		T & C Circle, Bilaspur, MRT cum Sub-station Division, Vishrampur	Testing and commissioning of meters and relays for EHT consumers in the region and Overall in-charge for operation and maintenance of all EHV class (132kV and above) substations of the transmission network, testing and commissioning of HT meters in the G-T and T-D interfaces, Carrier communication and protection for transmission network
		T & C Circle, Bilaspur, MRT cum Sub-station Division, Raigarh	Testing and commissioning of meters and relays for EHT consumers in the region and Overall in-charge for operation and maintenance of all EHV class (132kV and above) substations of the transmission network, testing and commissioning of HT meters in the G-T and T-D interfaces, Carrier communication and protection for transmission network
		MRT cum sub-station Division, Jagdalpur	

Sl. No (1)	(2)	Name of Office identified as Shared Services (3)	Main Duties and Functions (4)
7	Regional Accounting Offices (T & D)	RAO, Raipur and Durg at Raipur Region	Maintenance of accounts pertaining to O&M of distribution in Raipur and Durg region
		RAO, Rajnandgaon Region	Maintenance of accounts pertaining to O&M of distribution in Rajnandgaon region
		RAO, Bilaspur Region	Maintenance of accounts pertaining to O&M of distribution in Bilaspur region
		RAO, Ambikapur Region	Maintenance of accounts pertaining to O&M of distribution in Ambikapur region
		RAO, Jagdalpur Region	Maintenance of accounts pertaining to O&M of distribution in Jagdalpur region
8	Medical Services	Dispensary at HQ Dangania, Raipur	Medical Services in the region
		Dispensary at Gudhiari, Raipur	Medical Services in the region
		CSEB Dispensary, Bhilai	Medical Services in the region
		HTPS Hospital, Korba (W)	Medical Services in the region
		Main Hospital, Korba (E)	Medical Services in the region
		CSEB Dispensary, Bilaspur	Medical Services in the region
		CSEB Dispensary, Jagdalpur	Medical Services in the region
		CSEB Dispensary, Machadoli	Medical Services in the region

PART - III

Allocation of Sanctioned Posts of offices identified as Shared Services

SECRETARIAT AND HEAD OFFICE*

Designation	Total Sanctioned posts	Generation Company	Transmission Company	Distribution Company	Trading Company	Holding Company
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
CLASS-I						
ED (HR)	1	0	0	1	0	0
Addl GM/Addl Secy.	1	0	0	0	0	1
JS / DGM + St. Off.	4	1	1	1	0	1
Manager/Dy. Secy.	12	2	2	3	1	4
Protocol Officer (Rank of EE (T&D))	1	0	0	0	0	1
IRO*	1	0	0	0	0	1
Legal Advisor*	1	0	0	0	0	1
Staff Officer	4	1	1	1	0	1
Sr. Law Officer	1	0	0	0	0	1
Sr. Publicity Officer	2	1	0	0	0	1
PRO*	1	0	0	0	0	1
Sub total	**29**	**5**	**4**	**6**	**1**	**13**
CLASS-II						
Asst Manager / AE	7	1	1	2	1	2
Publicity Officer	1	0	0	1	0	0
Librarian	1	0	0	0	0	1
Welfare Officer	1	0	0	1	0	0
Law Officer	2	1	0	1	0	0
Ad. O.	6	1	1	2	1	1
Private Secretary	5	1	1	1	1	1
Sub Total	**23**	**4**	**3**	**8**	**3**	**5**
CLASS-III						
JE (T&D)	1	0	1	0	0	0
P.A.	5	1	1	1	1	1
S.O.	3	1	0	1	0	1
Publicity Asst	1	0	0	1	0	0
Senior Steno	5	1	1	1	1	1
O.A. Gr. I	7	1	1	1	1	3
O.A.Gr. II	14	3	3	3	2	3
Junior Steno	3	1	1	0	0	1
O.A. Gr. III	14	3	3	3	2	3
Photographer	1	0	0	0	0	1
Sub Total	**54**	**11**	**11**	**11**	**7**	**14**
CLASS-IV						
Peon	16	2	1	2	1	10

Designation (1)	Total Sanctioned posts (2)	Generation Company (3)	Transmission Company (4)	Distribution Company (5)	Trading Company (6)	Holding Company (7)
Sub Total	16	2	1	2	1	10
GRAND TOTAL	122	22	19	27	12	42

* will provide support to all the Successor Companies.

FINANCE & ACCOUNTS

Designation (1)	Existing Sanctioned (2)	Generation Company (3)	Transmission Company (4)	Distribution Company (5)	Trading Company (6)	Holding Company (7)
CLASS-I						
ED (Fin) / GM (Fin)	3	1	0	1	0	1
AGM (F&A)	5	1	1	1	1	1
DGM (F&A)	11	3	1	5	0	2
Mgr (F&A)	13	4	2	4	1	2
Total-Class I	**32**	**9**	**4**	**11**	**2**	**6**
CLASS-II						
Asst. Mgr (F&A)	26	7	5	8	2	4
Personal Secy	1	1	0	0	0	0
Total-Class II	**27**	**8**	**5**	**8**	**2**	**4**
CLASS-III						
Sr. Steno	1	0	0	1	0	0
Jr. Steno	3	1	0	1	0	1
Section Officer	31	9	5	12	1	4
OA Gr-I	43	11	9	15	2	6
OA Gr-II	74	22	14	29	1	8
OA Gr-III	20	6	4	5	1	4
Driver	1	0	0	1	0	0
Total-Class III	**173**	**49**	**32**	**64**	**5**	**23**
CLASS-IV						
Daftary	4	1	1	2	0	0
Peon / Farrash	16	4	3	4	2	3
Total-Class IV	**20**	**5**	**4**	**6**	**2**	**3**
GRAND TOTAL	**252**	**71**	**45**	**89**	**11**	**36**

CIVIL FUNCTION (T & D)

CE (Civil) T & D Office, Raipur

Designation (1)	Total Sanctioned posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
CLASS-I			
CE	1	1	0
Addl. CE	1	0	1
SE	4	3	1
EE	10	6	4
Architect Cum Town Planner	1	1	0
Sub Total	**17**	**11**	**6**
CLASS-II			
Administrative Officer	1	1	0
Asst Architect	1	1	0

Designation (1)	Total Sanctioned posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Pvt. Secy.	1	1	0
Sub Total	**3**	**3**	**0**
CLASS-III			
JE	2	1	1
Sr. Steno	1	1	0
Jr. Steno	2	1	1
Section Officer	1	1	0
OA Gr.-I	1	1	0
OA Gr.-II	4	2	2
OA Gr.-III	3	2	1
Head DM	1	1	0
Sr. DM	2	1	1
DM	1	1	0
ADM	2	1	1
D.O.A. Gr. I	3	2	1
Motor Driver	1	1	0
Sub Total	**24**	**16**	**8**
CLASS-IV			
DOA Gr. II	1	1	0
Daftari	1	1	0
Peon	4	2	2
Sub Total	**6**	**4**	**2**
GRAND TOTAL	**50**	**34**	**16**

Civil (T & D) Jagdalpur Region

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Generation Company (3)	Transmission Company (4)	Distribution Company (5)
CLASS-I				
SE civil	1	1	0	0
EE civil	2	1	1	0
Sub Total	**3**	**2**	**1**	**0**
CLASS-II				
AE civil	3	0	2	1
Sub Total	**3**	**0**	**2**	**1**
CLASS-III				
JE civil	4	0	3	1
OA Gr-I	1	0	1	0
OA Gr-II	2	0	2	0
OA Gr-III	2	0	2	0
Civil Asst. Gr II	1	0	1	0
D.O.A. Gr. I	1	0	1	0
Sub Total	**11**	**0**	**10**	**1**
CLASS-IV				
Civil Attd. Gr. I	4	0	3	1
Civil Attd. Gr. II	32	0	26	6
Civil Attd. Gr. III	2	0	2	0
Peon	2	0	2	0

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Generation Company (3)	Transmission Company (4)	Distribution Company (5)
Sub Total	38	0	31	7
GRAND TOTAL	57	2	46	9

Note: The SE Office Civil (Projects), Jagdalpur has been allocated to Genco whereas the EE (Civil) T & D Division, Jagdalpur including the Civil T & D Sub-Division Jagdalpur has been shared between the Transmission Company and the Distribution Company.

Civil Bilaspur Region

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Class-I			
SE Civil	1	0	1
EE-Civil	6	4	2
Sub Total	7	4	3
Class-II			
AE Civil	6	4	2
AE Civil Trn.	0	0	0
Sub Total	6	4	2
Class-III			
JE Civil	6	4	2
JE Civil Trn.	0	0	0
Section officer	1	1	0
Asst. Draftsmen	2	1	1
D.O.A. Gr. I	3	3	0
Cvl Supervisor Grd-II	1	1	0
Civil Asst. Gr. I	2	1	1
Civil Asst. Gr. II	7	4	3
Motor Driver	8	5	3
Heavy Motor Driver	1	0	1
Senior Steno	1	1	0
OA Gr.-I	3	2	1
OA Gr.-II	13	8	5
OA Gr.-III	7	6	1
Sub Total	55	37	18
Class IV			
Civil Attd. Gr. I	6	4	2
Civil Attd. Gr. II	94	54	40
Civil Attd. Gr. III	4	3	1
Helper	5	3	2
Khansama	2	1	1
Motor Cleaner	3	2	1
Farrash	0	0	0

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Gardener	3	2	1
Daftari	1	1	0
Sweeper	3	2	1
Peon	4	4	0
Sub Total	**125**	**76**	**49**
GRAND TOTAL	**193**	**121**	**72**

Civil (T & D) Raipur Region

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Class-I			
SE Civil	1	1	0
EE-Civil	9	5	4
Sub Total	**10**	**6**	**4**
Class-II			
AE Civil	13	6	7
Sub Total	**13**	**6**	**7**
Class-III			
JE Civil	6	3	3
Draftsmen	1	1	0
Cvl. Supervisor Grd-II	1	0	1
Cvl. Supervisor Grd-III	0	0	0
Sanitary Inspector	0	0	0
Asst. Draftsmen	2	1	1
D.O.A. Gr. I	4	2	2
Civil Asst. Gr. I	3	1	2
Civil Asst. Gr. II	10	5	5
Tractor Trailer Driver	2	1	1
Section Officer	1	1	0
Sr. Steno	1	0	1
OA Gr-I	3	1	2
OA Gr-II	16	8	8
OA Gr-III	13	6	7
Jr. Steno	2	1	1
Driver	13	6	7
Cleaner	7	4	3
Sub Total	**85**	**41**	**44**
Class-IV			
Civil Attd. Gr. I	12	6	6

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Civil Attd. Gr. II	141	68	73
Civil Attd. Gr. III	23	10	13
Daftari	1	1	0
Khansama	3	2	1
Peon	8	4	4
Helper	3	2	1
Farrash	1	1	0
Gardner	3	2	1
Sweeper	9	4	5
Sub Total	**204**	**100**	**104**
GRAND TOTAL	**312**	**153**	**159**

STORES FUNCTION (T & D)

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Class I			
SE (T&D)	1	0	1
EE (T&D)	8	2	6
Sub Total	**9**	**2**	**7**
Class II			
AE (T&D)	0	0	0
AO	1	0	1
Sub Total	**1**	**0**	**1**
Class III			
Section Officer	7	1	6
JE (T&D)	6	1	5
TA Gr. I	1	0	1
TA Gr. II	14	3	11
Sr. Steno	1	0	1
Jr. Steno	4	1	3
OA Gr. I	2	0	2
OA Gr. II	30	5	25
OA Gr. III	65	11	54
SK II	6	1	5
Motor Driver	4	0	4
Crane Operator	6	1	5
Steno/Typist	0	0	0
Asst. DM	0	0	0
TS GR-II	1	0	1

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Driver	6	0	6
Store Asstt.	26	4	22
Sub Total	**179**	**28**	**151**
Class IV			
Attd. Gr. I (L)	4	0	4
Attd. Gr. II (L)	115	18	97
Attd. Gr. II (Contract)	0	0	0
Attd. Gr. III (L)	70	11	59
M. Cleaner	7	1	6
Daftari	4	1	3
Peon	16	2	14
Sub Total	**216**	**33**	**183**
GRAND TOTAL	**405**	**63**	**342**

FIRE AND SECURITY SERVICES

Designation (1)	Total Sanctioned posts (2)	Generation Company (3)	Transmission Company (4)	Distribution Company (5)
CLASS-I				
Chief Fire Cum Security Officer	1	1	0	0
Sr. Security Officer	1	0	0	1
Sr. Fire Officer	1	1	0	0
Total	**3**	**2**	**0**	**1**
Class-II				
Fire Officer	1	1	0	0
Security Officer	3	3	0	0
Total	**4**	**4**	**0**	**0**
Class-III				
Sub Fir Officer	8	8	0	0
Leading Fireman	8	8	0	0
Fireman	32	32	0	0
Asstt. Fire	2	2	0	0

Designation (1)	Total Sanctioned posts (2)	Generation Company (3)	Transmission Company (4)	Distribution Company (5)
Officer				
Sec. Inspector	5	4	0	1
Sec. Sub Inspector	17	16	0	1
Hd. Sec.. Guard/H.D Const	39	36	1	2
Total	**111**	**106**	**1**	**4**
Class-IV				
Sr. Sec Guard	**173**	62	45	66
Sec. Guard	**519**	184	91	244
Total	**692**	**246**	**136**	**310**
GRAND TOTAL	**810**	**358**	**137**	**315**

MRT DIVISIONS, TESTING AND COMMUNICATION (T & D)

T & C Circle, Raipur (MRT Division) & MRT cum substation division, Jagdalpur

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
CLASS-I			
EE	4	2	2
Sub Total	**4**	**2**	**2**
CLASS-II			
AE (T & D)	22	16	6
Sub Total	**22**	**16**	**6**
CLASS-III			
JE (T & D)	4	1	3
TS Grade II	19	16	3
TA Grade I	27	21	6
Driver	8	5	3

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
OA GR – II	5	3	2
Jr Steno	4	2	2
OA GR – III	8	4	4
TA Grade II	41	35	6
Sub Total	**116**	**87**	**29**
CLASS-IV			
Att. Gr I (L)	4	1	3
Att. Gr II (L)	30	27	3
Sweeper	7	5	2
Peon	5	2	3
Sub Total	**46**	**35**	**11**
GRAND TOTAL	**188**	**140**	**48**

T & C Circle, Bhilai (MRT Divisions)

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
CLASS-I			
EE	1	1	0
Sub Total	**1**	**1**	**0**
CLASS-II			
AE (T & D)	4	4	0
Sub Total	**4**	**4**	**0**
CLASS-III			
JE (T & D)	2	2	0
TS Grade II	3	3	0
TA Grade I	3	3	0
Asst Grade II (L)	0	0	0
Driver	3	3	0
OA Grade II	1	1	0
Jr. Steno	1	1	0
OA Grade III	2	2	0
TA Grade II	3	3	0
Sub Total	**18**	**18**	**0**
CLASS-IV			
Att. Gr I (L)	0	0	0
Att. Gr II (L)	3	3	0
Peon	1	1	0
Sub Total	**4**	**4**	**0**
GRAND TOTAL	**27**	**27**	**0**

T & C Circle, Bilaspur (MRT Division) & MRT cum Substation division Vishrampur

Designation (1)	Total Sanctioned Posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
CLASS-I			
EE	3	3	0
Sub Total	**3**	**3**	0
CLASS-II			
AE (T & D)	17	17	0
Sub Total	**17**	**17**	0
CLASS-III			
JE (T & D)	2	2	0
S/S Supervisor	1	1	0
TS Grade I	1	1	0
TS Grade II	22	22	0
TA Grade I	32	32	0
TA Grade II	43	43	0
LA Grade II	6	6	0
Motor Driver	2	2	0
OA Grade I	2	2	0
OA Grade II	3	3	0
Jr Steno	3	3	0
OA Grade III	6	6	0
Sub Total	**123**	**123**	0
CLASS-IV			
Att. Gr I	1	1	0
Att. Gr II	29	29	0
Peon	6	6	0
Gardner	2	2	0
Sweeper	3	3	0
Sub Total	**41**	**41**	0
GRAND TOTAL	**184**	**184**	0

REGIONAL ACCOUNTING OFFICES (T&D)

Designation (1)	Total Sanctioned posts (2)	Transmission Company (3)	Distribution Company (4)
Sr AO	3	0	3
Total	**3**	**0**	**3**
AO	12	3	9
Total	**12**	**3**	**9**
Section Officer	27	5	23

OA Gr. I	52	9	43
OA Gr. II	127	27	100
OA Gr. III	82	18	64
Total	**288**	**59**	**230**
Daftari	12	2	10
Peon	26	4	22
Total	**38**	**6**	**32**
Grand Total	**341**	**68**	**274**

MEDICAL SERVICES

The sanctioned staff / posts for the Medical Services are hereby allocated to the Holding Company and assigned under the administrative control of Generation, Transmission and Distribution as per the arrangements given below:

Designation (1)	Total Sanctioned posts (2)	Generation Company (3)	Transmission Company (4)	Distribution Company (5)
CLASS-I				
CMO	1	1	0	0
Addl. CMO	2	0	1	1
Senior Medical Officer	6	2	1	3
Sub Total	**9**	**3**	**2**	**4**
CLASS-II				
Medical Officer	20	15	1	4
Sub Total	**20**	**15**	**1**	**4**
CLASS-III				
Lab Tech	6	4	1	1
Radiographer	4	4	0	0
Matron	1	1	0	0
Nursing Sister	2	2	0	0
Physiotherapist	1	1	0	0
Compounder / Pharmacist	21	16	1	4
Staff Nurse	43	40	1	2
ECG Technician	2	2	0	0
Dresser	8	6	1	1
ANM	9	7	0	2
Sub Total	**97**	**83**	**4**	**10**
CLASS-IV				
Ward Ayah / Attendant	16	16	0	0
Ward Boy / Woman	21	20	0	1
Sub Total	**37**	**36**	**0**	**1**
GRAND TOTAL	**163**	**137**	**7**	**19**

SCHEDULE -VII

Constitution of the Grievance Committee

(i) The State Government hereby constitutes a committee to receive representations and submit recommendations on transfer and absorption of Personnel to the Successor Companies. The Committee shall consist of following members :

- MD, Holding Company - Chairman and convener of the Committee
- MD (Generation Company) - Member
- MD (Transmission Company) - Member
- MD (Distribution Company) – Member
- MD (Trading Company) - Member

(ii) The tenure of the committee shall be from the date of the notification till the 31st December, 2010 or till any other date notified by the State Government

Functions & Duties of the Grievance Committee

(i) The objective of the Committee shall be to address the representations/ interests of all Personnel of the Chhattisgarh State Electricity Board (hereinafter referred to as the Board) and as provided in Section 133 of the Electricity Act, 2003 to ensure that the Personnel shall hold office or service under the Successor Companies on such terms and conditions as may be determined in accordance with the Scheme, provided that such terms and conditions on the transfer shall not in any way be less favourable than those which would have been applicable to them if there had been no such transfer under the Scheme.

(ii) The Committee shall use the following guidelines / criteria in order of sequence to address representations/grievances from the Personnel.

- The first criterion shall be "Quid-Pro-Quo", wherein Personnel of the same level are transferred to similar posts in either of the Successor Companies, be given the option to mutually exchange their respective transfers to the Holding Company, Generation Company, Transmission Company, Distribution Company and Trading Company, as the case may be.
- In the event of the first criterion not being satisfied, the Committee shall accommodate the grievance based on the availability of posts in the Successor Companies, based on the applicant's seniority, years of experience and relevance to the post opted for. The Committee shall consider creating a roster and developing a fair criterion for addressing the grievances.

- The Committee shall, in case of unavailability of posts, consider an option for creation of posts with the concurrence of the Board of Directors of the Successor Companies. However this should be the last option and be done only when all other feasible options have been exhausted.

(iii) The Committee shall ensure that a balanced mix of age and experience is retained in each of the Successor Companies for efficient operation. The Committee, in deciding on the merits of the grievances, may utilize the findings of any study, if done, and recommend the ideal work study norms for the Personnel or the Successor Company's proposed organization structure.

(iv) To the extent practically feasible, the Committee shall endeavour to accommodate cases of SC / ST employees, by facilitating posting near their hometowns and in cases where both spouses are employees, posting may be facilitated at the same location.

(v) The Committee for the above purpose may solicit the assistance as deemed fit and proper for resolving the issues referred to it.

(vi) The decision of the Committee shall be final and binding on all parties.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010